सोमवार,
१९ अप्रैल, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

सोमवार १९ अप्रैल, १९५४

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

वी० सी० जी० टीका

*१८६२. **श्री दाभी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) बम्बई राज्य में अब तक कितने व्यक्तियों का क्षय रोग सम्बन्धी परीक्षण किया गया है और उनको बी० सी० जी० टीका लगाया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार टीका लगाये गये व्यक्तियों में से क्या किसी व्यक्ति को हानि पहुंची है ; तथा

(ग) क्या उन में से किसी को क्षय रोग हो गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) फरवरी १९५४ की समाप्ति तक बम्बई राज्य में १,२०९,७९५ व्यक्तियों का क्षय रोग सम्बन्धी परीक्षण किया गया और २०८,५८८ व्यक्तियों को बी० सी० जी० का टीका लगाया गया।

(ख) तथा (ग). इस प्रकार के किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री दाभी : राज्य के किन नगरों और शहरों में लोगों का क्षय रोग सम्बन्धी परीक्षण किया गया था और बी० सी० जी० टीका लगाया गया था ? ऐसे व्यक्तियों की पृथक् पृथक् संख्या बताई जाये।

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरे पास पृथक् पृथक् आंकड़े नहीं हैं।

श्री दाभी : कितने समय के पश्चात् बी० सी० जी० टीके के प्रभाव का परीक्षण किया जा सकता है और क्या कोई अनुमानित अवधि है कि जब तक इस टीके के द्वारा रोग से मुक्त रहा जा सकता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : इस के सम्बन्ध में, जहां तक यूरोप में किये गये प्रयोगों का सम्बन्ध है, उन लोगों का विश्वास है कि कई वर्षों तक के लिये रोग से मुक्ति मिल जाती है, किन्तु सदन के सामने रखने के लिये हमारे पास कोई बिल्कुल ठीक जानकारी नहीं है।

श्री दाभी : क्या इस टीका की उपयोगिता या अनुपयोगिता के विषय में चिकित्सा विशेषज्ञों में कुछ मतभेद है ?

राजकुमारी अमृतकौर : जी, नहीं बहुमत इसके पक्ष में है।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या बी० सी० जी० का टीका केवल सरकारी अभिकरण के द्वारा लगाया जाता है अथवा गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा भी ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : गैर-सरकारी अभिकरण भी बी० सी० जी० का टीका लगाते हैं।

विल्लुपुरम् मालगोदाम

*१८६३. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि विल्लुपुरम मालगोदाम वर्तमान समय के बढ़ते हुए माल यातायात के लिये पर्याप्त नहीं है ; तथा

(ख) यदि ऐसी बात है, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सामान्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बिल्लुपुरम मालगोदाम की क्षमता पर्याप्त है । कभी कभी, अत्यधिक माल होने के कारण काम में कुछ रुकावट आ जाती है ।

(ख) विभिन्न स्थानों पर किये जाने वाले कामों की शीघ्र आवश्यकता और उनकी प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए, विल्लुपुरम मालगोदाम में कभी कभी होने वाली रुकावट को दूर करने की दृष्टि से उस मालगोदाम के विकास का काम यथा-समय प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को विल्लुपुरम मालगोदाम की कठिनाइयों का वर्णन करने वाला कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई है ?

श्री शाहनवाज खां : कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे , और उन पर यथायोग्य विचार किया गया था । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अगस्त के पश्चात् वहां की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हो गया है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या सरकार को पता है कि वहां मालगोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों को मालगोदाम में अधिक भीड़ होने और इस असुविधा के कारण कई बार दण्ड मिलता है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में ऐसा आता है कि यह आरोप लगाया गया है कि यद्यपि मालगोदाम में अच्छी सुविधायें प्रदान नहीं की जाती हैं, किन्तु उसके लिये कर्मचारियों को उत्तरदायी मान लिया जाता है और उन को दण्ड दिया जाता है ।

श्री शाहनवाज खां : यह सच है कि विल्लुपुरम मालगोदाम में माल रखने की क्षमता बहुत सीमित है । क्षमता ६०२ गाड़ियों की है और प्रतिदिन वहां आने और वहां से जाने वाली गाड़ियों की संख्या ५५० है । वहां बहुत भीड़ है और हम मालगोदाम की सुविधाओं को बढ़ाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया कि क्या कर्मचारियों को दण्ड दिया जाता है ?

श्री शाहनवाज खां : कर्मचारियों को दण्ड नहीं दिया जाता है । संभव है कि मालगोदाम सम्बन्धी सुविधायें पर्याप्त न हों परन्तु हम उनको सुधारने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु क्या कर्मचारियों को दण्ड दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : हमें इसकी जानकारी नहीं है ।

पैक, लेबिल और मार्का सप्ताह

*१८६४. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पैक, लेविल और मार्का सप्ताह मनाये जाने के पश्चात् पार्सलों के

सुरक्षित रूप से भेजे जाने में कुछ सुधार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में; तथा

(ग) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कितने पार्सल गुम हुए थे अथवा ग़लत स्थानों को भेज दिये गये थे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये, परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ३४]**

(ग) रेलवे विभाग इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखता है जिनके आधार पर यह जानकारी दी जा सके । अस्तु रेलवे विभाग को आंकड़े इकट्ठे करने के लिये कहा गया है, जिन से पता चले कि कितने ऐसे लदान भेजे गये थे, जिन के गुम होने या गलत स्थान पर भेजे जाने के कारण पिछले दो वर्षों के अन्दर दावे दर्ज किये गये हैं। जब जानकारी एकत्रित हो जायेगी, तो सदन पटल पर रख दी जायेगी।

पंडित डी० एन० तिवारी : पिछले वर्ष रेलवे को दावों के लिये कितनी धन राशि देनी पड़ी थी ?

श्री अलगेशन : ये आंकड़े सदन में कई बार बताये जा चुके हैं, परन्तु ठीक अभी मेरे पास दावों सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : यह जो पैक, लेबिल और मार्का सप्ताह मनाया गया था, क्या इसके सम्बन्ध में कुछ खर्च हुआ था ?

श्री अलगेशन : अब हम इस सप्ताह को छः महीने के पश्चात् मनाते हैं और कई वर्षों के अनुभव से हम ने देखा है कि इस से स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ है । जब यह पहले पहल चालू किया गया था तो केवल ६० प्रतिशत पार्सल बिना किसी नुकस के पहुंचे थे ; जो सप्ताह दिसम्बर १९५३ में मनाया गया था, उस में ८४ प्रतिशत पार्सल बिना किसी नुकस के पहुंचे थे ।

मैं इस पर होने वाला खर्च बताने में असमर्थ हूं । मैं नहीं समझता कि इस पर कुछ खर्च हुआ है, केवल सब कर्मचारियों को इन बातों को रोकने के लिये काम पर लगाया गया है ।

कोसी नियंत्रण योजना

*१८६५. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कोसी नदी के नियंत्रण के निमित्त नवीन योजना को कार्यान्वित करने के लिये कुछ रेलवे सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने का विचार किया गया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव किस स्थिति पर है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या सिंचाई मंत्रालय ने कोसी परियोजना के लिये बढ़ी हुई यातायात सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये फ़ोरबसगंज रेलवे स्टेशन को कुछ अधिक सुविधायें देने का सुझाव दिया था ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सिंचाई मंत्रालय ने रेलवे विभाग को कुछ सुविधायें देने का सुझाव दिया था ?

श्री शाहनवाज़ खां : रेलवे को कोई सुझाव नहीं दिये गये थे ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सच नहीं है, कि कोसी बांध स्थान तक रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव पिछले तीन वर्षों से रेलवे मंत्रालय के सामने निलम्बित पड़ा है ?

श्री शाहनवाज़ खां : १९४७ में कुछ परिमापन किया गया था । किन्तु बाद में, बांध का स्थान हनुमान नगर को बदल दिया गया था। तब से वहां रेलवे सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय तार संचार गवेषणा तथा विकास समिति

*१८६९. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या एक राष्ट्रीय तार संचार गवेषणा तथा विकास समिति स्थापित की गई है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस समिति के क्या कार्य हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां ।

(ख) तार संचार गवेषणा एवं विकास सम्बन्धी मामलों और ऐसी टैक्निकल तथा वैज्ञानिक समस्याओं से सम्बन्धित मामलों पर, जो अध्ययन, गवेषणा और वैज्ञानिक परिषदों द्वारा परामर्श दिये जाने के लिये उपयुक्त मामले हैं, सरकार को परामर्श देना इस समिति का कार्य है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

श्री दातार : इस समिति के छः सदस्य हैं । संचार मंत्रालय के सचिव इस के सभापति हैं । अन्य सदस्य ह डा० के० एस० कृष्णन, डा० डी० एस० कोठारी, श्री एम० एस० थापर, डा० एस० आर० खस्तागीर, श्री स्वामी सरन, डाक तथा तार विभाग के चीफ इंजीनियर, बेतार परियोजना तथा सहयोजन सम्बन्धी सलाहकार, और श्री एच० एन० श्रीवास्तव, सचिव ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस समिति की अब तक कोई बैठक हुई है ?

श्री दातार : पिछले वर्ष एक बैठक हुई थी, और इस वर्ष जून या जुलाई में उसकी दूसरी बैठक हो रही है ।

श्री डी० सी० शर्मा : इस पद्धति के उत्तम ढंग से कार्यकरण के लिये क्या सिपारिशें की गई थीं ?

श्री दातार : पहली बैठक प्रारम्भिक प्रकार की थी और जो भी सलाह इस समिति ने दी है वह सब सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और उसके अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : समिति द्वारा दी गई सलाह या सिपारिशों के परिणामस्वरूप किस प्रकार से उत्तम परिणाम निकले हैं ?

श्री दातार : परामर्श टैक्निकल प्रकार का है और इस मंत्रालय के विभिन्न टैक्निकल विभागों द्वारा इन परामर्शों को यथासंभव अधिकतम मात्रा में कार्य रूप में परिणत करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

भारतीय माल का निर्यात

*१८७०. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाज़ों द्वारा भारतीय माल का निर्यात जो १९५१-५२ में ६·२ प्रतिशत था, १९५२-५३ में घट कर ५·७ प्रतिशत रह गया ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). विभिन्न राष्ट्रों के जहाज़ों में वस्तुतः कितना माल ले जाया गया, इस की जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस लिये यह बताना संभव नहीं कि विदेशी जहाज़ों की तुलना में भारतीय जहाज़ों में वस्तुतः किस अनुपात से माल का

निर्यात हुआ। तो उन जहाज़ों के कुल टन भार में, जो १९५१-५२ और १९५२-५३ में भारतीय पत्तनों में आये और माल ले गये, भारतीय और विदेशी जहाज़ों के भाग की प्रतिशतता दर्शाने वाला एक विवरण सदन-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३५**] विवरण के आंकड़ों से पता चलेगा कि भारतीय नौवहन समवायों के भाग में निरन्तर वृद्धि हुई है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि हम फारिन शिप आनर्स को फ्रेट के रूप में कितना रुपया देते हैं।

श्री अलगेशन : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय विदेशी समवायों को दिये जाने वाले भाड़े से है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच नहीं कि भारत से निर्यात और भारत में आयात के सम्बन्ध में नौवहन की दरों में विदेशी नौवहन ने १९५१-५२ में वृद्धि की और १९५२-५३ में फिर से वृद्धि की, और इस विदेशी नौवहन का वस्तुतः भारतीय विदेशी व्यापार पर एकाधिकार है ?

श्री अलगेशन : विवरण से पता चलेगा कि भारतीय पत्तनों पर से माल ले जाने वाले जहाज़ों में भारतीय टन भार की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। इस से कुछ तो पता चलता है। परन्तु हमारे पास ये आंकड़े नहीं हैं कि भारतीय जहाज़ वस्तुतः कितना माल ले गये। हम ने एक नौवहन आंकड़ा समिति नियुक्त की है जो आंकड़ों का संकलन कर रही है। समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् हम कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न दरों के सम्बन्ध में था। मैं जानना चाहता था कि क्या १९५१-५२ में नौवहन दरों में वृद्धि की गई थी और क्या १९५२-५३ में विदेशी नौवहन स्वार्थों ने इस में पुनः वृद्धि की थी।

श्री अलगेशन : जब तक माननीय सदस्य एक पृथक प्रश्न न रखें, मैं उत्तर नहीं दे सकता।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि भारत से जाने वाले विदेशी जहाज़ पूर्णतः भरे होते हैं जब कि भारतीय जहाज़ अंशतः भरे होते हैं ?

श्री अलगेशन : यह प्रश्न पहले भी एक बार पूछा गया था और तब मैं यह जतला सका था कि भारतीय जहाज़ हमारे तट से अधिक अच्छी तरह माल से लदे हुए जाते हैं।

चावल

*१८७१. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ फरवरी १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३५७ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि रंगून से कोलम्बो हो कर जो चावल भारत आ रहा है उसके तथा भारत से कोलम्बो जाने वाले चावल के भाड़े तथा अन्य खर्च का क्या अनुमान है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : रंगून से आने वाले जिस चावल को लंका सरकार ने कोचीन पत्तन पर भेजा है उसका नौवहन भाड़ा ३३ रुपये प्रति टन था और कोचीन में माल उतारने इत्यादि का खर्च लगभग ५ रुपये प्रतिटन था। उस के बदले में मध्य-प्रदेश से कोलम्बो चावल नहीं भेजा गया। अब हम बर्मा से खरीदे चावल में से ही उतना चावल कोलम्बो भेजने का विचार कर रहे हैं, यदि लंका सरकार इस के लिये सहमत हुई।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या भारत में आयात किये गये चावल का मूल्य निर्धारित करते समय परिवहन की लागत और आनुषंगिक खर्चे को ध्यान में रखा गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : परिवहन की लागत तथा आनुषंगिक खर्च—जो हमें व्यय करने हैं—के बारे में प्रत्येक बात का ध्यान रखा गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी मैं जान सकता हूं कि क्या यहां चावल के निकासी–मूल्य में वह मूल्य सम्मिलित किया गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यहां मूल्य का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता परन्तु यहां इस के स्थान पर अपना चावल भेजने का प्रश्न है। मूल्य कुछ भी हो हम ने स्थिर मूल्य १७ रुपये प्रति मन रखा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : बर्मा द्वारा ऋण के भुगतान के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि ऋण के भुगतान की आगे की शर्तों के सम्बन्ध में कोई बातचीत हुई थी अथवा नहीं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस प्रश्न का सम्बन्ध उन लौटाये जाने वाले चावल से है जो लंका से उधार लिया गया है, इस का बर्मा के साथ दूसरे सौदे के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । इस का सम्बन्ध लंका के ३०००० टन चावल से है जिस में से हमें २२००० टन चावल मिला है जो हमें बर्मा से खरीदे चावल में से वापस करना है ।

श्री साधन गुप्त : क्या यह सच है कि जो चावल हम बर्मा से खरीद रहे हैं उसका मूल्य ४८ पौंड प्रति टन है और लंका से भिजवाया गया जो चावल हम ने लिया है उसका मूल्य ३८ रुपये प्रति मन निकला था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : हम ने अभी तक चावल का एक दाना भी लंका नहीं भेजा । हम ने लंका सरकार से इस सम्बन्ध में पूछा है। हमें उस के बदले में मध्यप्रदेश का चावल भेजना चाहिये था परन्तु क्योंकि बर्मा से चावल मिल रहा है इस लिये हम लंका सरकार की सहमति लेना चाहते हैं और हमें आशा है कि लंका सरकार सहमत हो जायेगी ।

श्री साधन गुप्त : मेरा प्रश्न यह था कि क्या जो चावल हमें लंका से मिला और जो चावल हम भिजवा रहे हैं, दोनों का एक ही मूल्य है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : उन का एक ही मूल्य है । लंका का चावल ५०, ४८, और ४६ पौंड इत्यादि के भाव खरीदा गया था और इस की औसत ४८ पौंड निकालती है और इसी मूल्य पर हम बर्मा से चावल खरीद रहे हैं ।

मैसूर में 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना

*१८७२. **श्री एन० राचय्या :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्र ने १९५३-५४ में मैसूर सरकार को 'अधिक उन्न उपजाओ' योजना के लिये कितनी राशि का अनुदान दिया ; और

(ख) क्या वर्ष भर में सारी राशि व्यय की गई थी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ५,४८,८३२ रुपये ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि दिसम्बर १९५३ के अन्त तक ३,१६,७२० रुपये व्यय किये गये हैं और बकाया राशि मार्च १९५४ के अन्त तक उपयोग में लाई जायेगी ।

श्री एन० राचय्या : मैसूर राज्य में रैयत को ये अनुदान किन आधारों पर दिये जाते हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का सम्बन्ध राज्य सरकार से है । हम राज्य सरकारों को जो अनुदान देते हैं वे कतिपय

नियमों के अधीन हैं जो राज्य सरकारों और कृषि मंत्रालय ने स्वीकार कर लिये हैं।

श्री एन० राचय्या: क्या सरकार को विदित है कि राज्य सरकार थोड़ी भूमि वाले लोगों के आवेदनपत्रों पर शीघ्र विचार नहीं करती जिस के फलस्वरूप योजना असफल रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: इस का उत्तर राज्य सरकार देगी।

श्री शिवनंजप्पा: इस योजना के आधीन कितनी अतिरिक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया गया ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे पास ये आंकड़े विभिन्न मदों के रूप में हैं और, उन्हें बताने में बहुत समय लगेगा।

श्री नानादास: राज्य सरकार ने भूमि हीन गरीबों को भूमि देने और कृषि सम्बन्धी औज़ार देने के लिये कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैं नहीं समझता कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है। प्रश्न का सम्बन्ध तो केवल 'अधिक अन्न उपजाओ' योजनाओं के लिये मैसूर राज्य को कतिपय सहायता देने से है।

रेलवे की आय

***१८७३. श्री वी० पी० नायर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५० से १९५३ तक दक्षिण रेलवे की त्रिवेंद्रम–क्विलोन लाइन पर चिरायंकिल और परम स्टेशनों की कुल क्या आय है ?

रेल तथा परिवहन मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज खां): दक्षिण रेल की त्रिवेंद्रम-क्विलोन लाइन पर परम नाम का कोई स्टेशन नहीं है। संभवत: माननीय सदस्य के विचार में परावूर स्टेशन है....

श्री वी० पी० नायर: ठीक यही मैं ने लिखा था।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति !

श्री शाहनवाज खां: १९४९-५० से १९५२-५३ तक के वर्षों के लिये परावूर और चिरायंकिल स्टेशनों के सम्बन्ध में जानकारी सदन-पटल पर रखे गये विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३६**]

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि विवरण में दी गई यह आय तब हुई है जब कि त्रिवेंद्रम-एक्सप्रेस जोकि इस लाइन की सब से महत्वपूर्ण गाड़ी है इन दोनों स्टेशनों पर नहीं ठहरती ?

श्री शाहनवाज खां: विवरण वास्तविक तथ्यों से तैयार किया गया है और हम उन गाड़ियों को इस में नहीं जोड़ते जो वहां नहीं ठहरतीं।

श्री वी० पी० नायर: क्या सरकार को विदित है कि यह चिरायंकिल स्टेशन, जहां विवरण के अनुसार प्रति वर्ष एक लाख रुपये से कुछ अधिक राशि का कार्य होता है, केवल एक छोटा सा कमरा है और वहां कोई विश्राम गृह अथवा प्लेटफार्म नहीं...

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ! मैं इस प्रकार अलग अलग स्टेशनों पर प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री वी० पी० नायर: यह प्रश्न स्वीकार किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु अनुपूरक प्रश्न प्रस्तुत नहीं किया गया था।

श्री वी० पी० नायर: तब मुझे सामान्य प्रश्न रखने दें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या चिरायंकिल और परावूर के लोगों की ओर से भारत सरकार को बहुत संख्या में अभ्यावेदन आये हैं, जिन में सरकार से यह आग्रह किया गया है कि त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस गाड़ी की दोनों स्टेशनों पर खड़े होने की

आवश्यकता है क्योंकि ये स्टेशन बहुत महत्व-पूर्ण हैं।

श्री शाहनवाज़ खां : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न में जो विशेषण प्रयोग किये हैं हमें उन से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री वी० पी० नायर : क्योंकि यह मेरा निर्वाचन क्षेत्र है .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह अपने अपने मत का विषय है कि वह महत्वपूर्ण स्टेशन है या नहीं ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को पता है कि इन स्टेशनों के पास कुछ कालिजों के होने के कारण इन पर एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहरना ज़रूरी है ताकि विद्यार्थियों को आने जाने में सुविधा हो सके ?

श्री शाहनवाज़ खां : रेलवे प्रशासन एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराने के बारे में निश्चय करने के लिये मुख्य रूप से यह देखता है कि सम्बन्धित स्टेशन से होने वाली आय पर्याप्त है या नहीं ; कालिज़ों का पास में होना मुख्य चीज़ नहीं हैं।

श्री पुन्नस : क्या इसका मतलब यह है....

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डाक व तार कर्मचारियों को डाक्टरी सुविधायें

***१८७४. श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५३ को डाक व तार विभाग के कर्मचारियों की डाक्टरी सुविधाओं के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने डाक व तार विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कमचारियों के परिवारों को डाक्टरी सुविधायें देने के लिये क्या क़दम उठाये हैं; तथा

(ख) उनके लिये कितनी शय्यायें रक्षित की गई हैं और किस किस सेनेटोरियम में ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सरकार ने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के परिवारों को भी अभिज्ञात अस्पतालों में डाक्टरी इलाज के सम्बन्ध में पहली अप्रैल १९५४ से वही रियायतें देने का फ़ैसला किया है जो अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के परिवारों को मिलती हैं।

(ख) निम्नलिखित सेनेटोरिया में डाक व तार कर्मचारियों के लिये ३९ शय्यायें रक्षित रखी गई हैं :

(१) लाला राम स्वरूप टी०बी० अस्पताल, महरोली	२६
(२) लेडी लिनलिथगो सेने-टोरियम, कसौली	५
(३) वानलेस टी० बी० सेनेटो-रियम (वानलेसवाड़ी बम्बई)	१
(४) टी० बी० सेनेटोरियम, पेंड्रारोड, विलासपुर	१
(५) कचरपारा टी० बी० सेने-टोरियम, पश्चिमी बंगाल	३
(६) विश्रान्तिपुरम टी० बी० सेनेटोरियम, राजामुंड्री	१
(७) कोयम्बटूर टी० बी० सेने-टोरियम, पेरन्डुराई	१
(८) राजाजी टी० बी० सेने-टोरियम, तिरुचिरपल्ली	१
कुल	३९

श्री एस० सी० सामन्त : सरकार द्वारा यह फैसला किये जाने से पहले क्या टी० बी० से पीड़ित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये इन अस्पतालों में अस्थायी रूप से शय्याओं की व्यवस्था की जाती थी ?

श्री दातार : वर्त्तमान व्यवस्था होने से पहले से भी सरकार हमेशा ऐसा प्रयत्न करती थी जिससे इन कर्मचारियों के लिये ही नहीं, वरन् इनके परिवारों के लिये भी स्थान का प्रबन्ध हो सके। अब इन सब चीजों को नियमित रूप दे दिया गया है और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के परिवार, अपने अधिकार के रूप में, इन रक्षित शय्याओं का लाभ उठा सकते हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में डाक व तार विभाग के कर्मचारियों को डाक्टरी सुविधायें देने के लिये आय-व्ययक में जो राशि नियत की गई थी उसे पूरा खर्च नहीं किया गया था ; यदि यह बात सच है तो मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस वर्ष सारी राशि के खर्च हो जाने की आशा करती है ?

श्री दातार : प्रश्न के पहले भाग के बारे में मेरे पास यहां सूचना नहीं है। जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, सरकार रक्षित शय्याओं की संख्या १२९ तक बढ़ाने के उद्देश्य से इस वर्ष तथा अगले वर्ष में काफ़ी रुपया खर्च करने का इरादा रखती है।

श्री नानादास : चूंकि संचार विभाग के कर्मचारियों के लिये रक्षित शय्याओं की संख्या अपर्याप्त है, क्या सरकार की इनके लिये कोई अलग सेनेटोरियम बनाने की योजना है ?

श्री दातार : सरकार अलग सेनेटोटोरियम बनाने का इरादा नहीं रखती, परन्तु उसका विचार कुछ ख़ास सेनेटोरिया में डाक व तार विभाग के लिये अलग वार्ड बनवाने का है, जिसमें ३·९ लाख रुपये का अनावर्त्तक व्यय होगा और १,७१,००० रुपये का प्रति वर्ष आवर्त्तक व्यय होगा।

वन विभाग, त्रिपुरा

***१८७५. श्री दशरथ देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के वन विभाग द्वारा निर्बाध कटाई के परमिट जारी करने के बारे में हाल ही में नये नियम अधिसूचित किये गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उस अधिसूचना को वापस लेने के लिये बहुत से अभ्यावेदन किये गये हैं ; तथा

(ग) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या क़दम उठाने का विचार करती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ वन-नियमों को अप्रैल १९५२ में अधिसूचित किया गया था; इन में से कुछ नियमों का सम्बन्ध निर्बाध कटाई के परमिट जारी करने से है। अगस्त १९५३ में स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त नियमों में उदारता लाने के लिये कुछ संशोधन किये गये थे।

(ख) तथा (ग). हाल ही में कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए थे जिन पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री दशरथ देव : क्या यह सच नहीं है कि जब तक सम्बन्धित अधिकारी को कुछ रुपया न दिया जाये तब तक निर्बाध कटाई का यह परमिट प्राप्त नहीं होता ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं आपका प्रश्न नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि निर्बाध कटाई के परमिट मिलते ही नहीं हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : निर्बाध कटाई के परमिट देने के लिये कोई नियम निर्धारित करना सरल नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि निर्बाध कटाई के परमिटों के देने से कितना नुकसान होता है । परन्तु फिर भी इन अभिवेदनों पर राज्य सरकार विचार कर रही है और देख रही है कि इसमें कहां तक रियायत हो सकती है ?

श्री दशरथ देव : ये परमिट मासिक आधार पर दिये जाते हैं या त्रैमासिक अथवा वार्षिक आधार पर ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास विस्तृत सूचना नहीं है । परमिटों के बारे में हमारा सामान्य सिद्धान्त यह है कि हम उन पेड़ों को नहीं काटने देते जो वास्तव में लाभदायक ह और स्थाई प्रकार के हैं ।

उड़ीसा में कृषि कालेज

***१८७६. श्री संगण्णा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने एक कृषि कालेज स्थापित करने के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को एक कृषि कालेज स्थापित करने के लिये १७·४९ लाख रुपये तक का एक अनावर्त्तक अनुदान मंजूर किया है ।

श्री संगण्णा : यह कालिज कब तक बन जायेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका फ़ैसला करना राज्य का काम है । हमने अनुदान मंजूर कर दिया है, राज्य जब चाहे इसे ले सकता है ।

श्री संगण्णा : यह कालिज किस प्रकार का होगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : वैसा ही होगा जैसा सब जगह होता है ।

पूर्वोत्तर रेलवे पर नई लाइनें

***१८७७. श्री विश्वनाथ रॉय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे पर कोई नई लाइन बनाने का विचार रखती है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : अगले दो वर्षों के बारे में कोई निश्चित उत्तर देना तो कठिन है, परन्तु चालू वर्ष में गारो पहाड़ियों तक रेलवे लाइन बनाने के लिये यातायात सर्वेक्षण करने का फ़ैसला कर लिया गया है ।

श्री विश्वनाथ रॉय : क्या सरकार का ध्यान देवरिया कस्बे से, जो कि ज़िले का प्रधान केन्द्र है, पडरौना और खड्डा तक रेलवे लाइन बनाने के लिये ज़िले के सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई सिफ़ारिश तथा जनता द्वारा की गई मांग की ओर दिलाया गया है ?

श्री शाहनवाज़ खां : हो सकता है कि जनता ने कुछ अभिवेदन किये हों, परन्तु सरकार की ओर से अभी इस विषय पर पूरी तरह विचार नहीं हुआ है ।

श्री विश्वनाथ रॉय : क्या रेलवे लाइन को बनाने के लिये रजिस्टर की गई किसी कम्पनी को सरकार सहायता, अनुदान अथवा ऋण देगी ?

श्री शाहनवाज खां : जब कोई सुझाव दिया जायेगा तो सरकार उस पर विचार करेगी ।

श्री अमजद अली : क्या गारो पहाड़ियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : सर्वेक्षण अभी आरम्भ नहीं हुआ है परन्तु इस वर्ष के अन्दर ही हो जायेगा ।

वैगन

*१८७८. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सम्बन्धित व्यापारी एक स्थान के लिये बुक हुए वैगनों को दूसरे किसी स्थान तक माल भेजने के लिये प्रयोग नहीं कर सकते हैं चाहे, वास्तव में, उनमें माल लादा ही न गया हो; तथा

(ख) इस सम्बन्ध में प्रक्रिया बदलने का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) कोई भी परेषक, जिसने किसी विशेष स्थान के लिये वैगन के सम्बन्ध में अपनी मांग पंजीबद्ध कराई हो, तब तक गंतव्य स्टेशन को नहीं बदल सकता जब तक कि यह सब शर्तें पूरी न होती हों—

(१) पंजीयन की तारीख के पश्चात् कम से कम एक महीने तक मूल गंतव्य स्थान के लिये बुकिंग बन्द रहा हो तथा उस दिन भी बन्द हो जिस तारीख को परिवर्तन के लिये प्रार्थना की जाये ।

(२) सम्बन्धित पंजीयन के अनुसार पहले ही वैगन का प्रबन्ध न कर दिया गया हो ।

(३) सम्बन्धित पंजीयन के सम्बन्ध में पहले ही गंतव्य स्थान में परिवर्तन करने की अनुमति न दे दी गई हो ।

(ख) वैगनों के लिये झूठे इन्डैन्टों से बचने के लिये ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या यह सच है कि युद्ध से पहले यह प्रक्रिया थी कि वे व्यापारी जो वैगनों में माल लादना चाहते थे, वास्तव में, लादने से पहिले गंतव्य स्थान को बदल सकते थे ?

श्री शाहनवाज खां : युद्ध से पहले क्या प्रक्रिया थी इसका ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब वैगन के लिये वास्तविक बुकिंग और उसमें लादने में अन्तर होता है तथा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इस अन्तर के कारण कभी कभी गंतव्य स्टेशन के लिये मांग नहीं रहती, क्या सरकार इस प्रक्रिया के बदलने पर विचार करेगी तथा व्यापारियों को वैगनों के वास्तविक रूप से लादे जाने से पहले गंतव्य स्थान बदलने देगी ?

श्री शाहनवाज खां : पहले गंतव्य स्थान में कोई परिवर्त्तन नहीं करने दिया जाता था, किन्तु जब हमें कुछ अभिवेदन प्राप्त हुए तो हमने कुछ शर्तों के आधार पर, जिनका मैंने ऊपर उल्लेख किया है, गंतव्य स्थान बदलने की अनुमति दे दी ।

रेलवे सेवा आयोग

*१८८०. **श्री राजगोपाल राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कलकत्ता स्थित रेलवे सेवा आयोग को तीसरी श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, कितने उम्मीदवारों का इन्टरव्यू किया गया तथा वास्तव में कितने उम्मीदवारों को चुना गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबंध संख्या ३७]**

श्री नानादास : जो उम्मीदवार चुने गये उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के थे ?

श्री अलगेशन : साधारणत: मैं यह कह सकता हूं कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार चुनने की स्थिति में सुधार हो गया है । वर्तमान आंकड़ों का तो मेरे पास ब्यौरा नहीं है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या सरकार को किसी ऐसे मामले का पता लगा है जिस में सेवा आयोग ने उन उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया जिन्हें वास्तव में पहले चुन लिया गया था ?

श्री अलगेशन : साधारणत: होता यह है कि यदि स्थान खाली हुए तो उम्मीदवारों को चुनते ही नियुक्त कर दिया जाता है । वास्तव में, स्थान खाली हैं । उन्हें नियुक्त किया जायेगा ।

श्री सिंहासन सिंह : यह प्रश्न पूछने के लिये मुझे माननीय सदस्य ने प्राधिकृत किया है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि उन्हों ने प्राधिकृत किया है तो वह प्रश्न अन्त में पूछा जायेगा । अगला प्रश्न ।

हैदराबाद में अनाज का लाना ले जाना

*१८८४. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में हैदराबाद से कितना गेहूं और जुवार भेजा गया ; तथा

(ख) उसी अवधि में राज्य में कितना चासल लाया गया ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) १९५३ में हैदराबाद से ३४ हज़ार टन जुवार निर्यात किया गया था । गेहूं का निर्यात नहीं हुआ ।

(ख) २२ हजार टन ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या पिछले कुछ वर्षों में हैदराबाद राज्य में जुआर और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया है .....

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां ।

श्री एच० जी० वैष्णव : ..... और यदि हां तो किस अनुपात में ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जुआर का उत्पादन बढ़ गया है ।

१९५१	८,३७,००० टन
१९५२	९,६५,००० टन

१९५३ में जब हैदराबाद राज्य ने ३४,००० टन निर्यात किया था तो वहां पर ११ लाख टन का सब वर्षों से अधिक उत्पादन हुआ था ।

श्री एच० जी० वैष्णव : किस राज्य को जुआर निर्यात किया गया था ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : गत वर्ष हम ने मैसूर, मद्रास और बम्बई राज्यों को निर्यात किया था ।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या हैदराबाद चावल के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर हो गया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : जी हां । गत वर्ष वहां कमी थी । उन्हों ने २२,००० टन आयात किया था । लेकिन अब उन्हों ने अतिरेक की घोषणा कर दी है और उन के पास ४०,००० टन है । प्रश्न इस बात का है कि उसका कैसे निबटारा किया जाये ।

हैदराबाद में "अधिक अनाज उपजाओ" योजनाएं

*१८८५. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि अप्रैल, १९५२ से "अधिक अनाज उपजाओ" आन्दोलन के अन्तर्गत हैदराबाद राज्य को कितना ऋण और सहायक अनुदान दिये गये ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : १९५२-५३ में ८३ लाख रुपये ऋण के रूप में और २४·३३ लाख रुपये अनुदान के रूप में तथा १९५३-५४ में १४९·५३ लाख रुपये ऋण के रूप में और ११·५४ लाख रुपये अनुदान के रूप में मंजूर किये गये थे।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या इस राशि में सामूहिक परियोजना क्षेत्रों को दी गई आर्थिक सहायता भी शामिल है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम एक क्षेत्र और दूसरे में कोई भेद नहीं करते ? क्षेत्र और परियोजना चुनने का काम राज्य सरकार का है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या समस्त राशि नकद दी गई थी या वस्तुओं के रूप में थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : जब तक ऋण उर्वरक के रूप में न हो तब तक मेरे विचार में कोई सहायता वस्तु के रूप में नहीं दी जा सकती है ।

श्री नानादास : क्या यह ऋण और सहायक अनुदान देने का उद्देश्य विस्तृत और घनी खेती कराना है और यदि उन से विस्तृत खेती कराने का भी विचार है तो राज्य सरकारों नें भूहीन व्यक्तियों को भूमि देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे माननीय मित्र वही प्रश्न फिर दोहरा रहे हैं। यह अनुदान और ऋण विशिष्ट परियोजनाओं के लिये दिये जाते हैं । हो सकता है उनका कभी भूमि को खेती योग्य बनाने या कभी कुएं खोदने आदि में प्रयोग किया जाता हो । यह बताना कठिन है कि कौन से विस्तृत और कौन से घनी खेती के लिये होते हैं ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : यह ऋण ब्याज पर दिया गया था या बिना ब्याज के ?

डा० पी० एस० देशमुख : इन समस्त ऋणों पर ब्याज लिया जाता है ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : दर क्या है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नही हैं ।

रेल के इंजन

***१८८८. श्री नवल प्रभाकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चितरंजन के रेल के इंजन बनाने के कारखाने में तय्यार हुए इंजनों का मूल्य बाहर से मंगाये गये इंजनों के मूल्य की तुलना में कितना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चितरंजन के रेल के कारखाने में तय्यार हुए इंजन की लागत ५·३५ लाख रुपया है जिस में विकास व्यय सम्मिलित नहीं है जब कि विदेशों से मंगाये गये इसी प्रकार के इंजन का मूल्य ५·२५ से लेकर ५·५० लाख रुपये तक है ।

श्री नवल प्रभाकर : विदेशी इंजनों की तुलना में चितरंजन के कारखाने में बने हुए इंजन कार्यक्षमता तथा स्थायित्व की दृष्टि में कैसे हैं ?

श्री अलगेशन : कार्यक्षमता तथा स्थायित्व की दृष्टि में यह उतने ही अच्छे हैं जितने विदेशी इंजन । इस दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : विदेशी इंजनों के तटागत मूल्य में तथा चितरंजन कारखाने में तय्यार होने वाले इंजनों के मूल्य में जो अन्तर है उसी की पूर्ति कैसे की जाती है——

चितरंजन रेल के इंजन बनाने के कारखाने को ऋण या अनुदान देकर या किसी अन्य रूप में ?

श्री अलगेशन : अतिरिक्त धनराशि विकास उचन्ती खाता नाम के एक पृथक शीर्ष के अन्तर्गत डाल दी जाती है। यह उपाय वर्तमान उत्पादन की लागत तथा भविष्य के उत्पादन मूल्यों को बराबर रखने के लिये किया गया है। जैसे जैसे चितरंजन कारखाने में तय्यार होने वाले इंजनों की संख्या बढ़ेगी प्रति इंजन की लागत निश्चय ही कम हो जायगी और उचन्ती खाता भी साफ हो जायेगा।

श्री मुनिस्वामी : क्या में जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

हड्डी का चूरा

*१८८९. **श्री बर्मन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में निर्यात किये जाने वाले हड्डी के चूरे की मात्रा तथा हड्डी के चूरे की वह मात्रा जो देश के अन्दर प्रयोग में लाई गई ; तथा

(ख) १९५३ में आयात किये जाने वाले राक फासफेट की मात्रा ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) हड्डी के चूरे का निर्यात निषिद्ध है। अनुमान किया जाता है कि १९५३ में ३०,००० टन हड्डी का चूरा तय्यार किया गया तथा काम में लाया गया।

(ख) १९५३ में आयात किये गये राक फासफेट के आंकड़े पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।

श्री बर्मन : क्या सूखी हड्डी के निर्यात करने की आज्ञा है ? यदि हां तो उस निर्यात की मात्रा कितनी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हड्डी का चूरा चूंकि कीमती प्राकृतिक देशी खाद है इस लिये १९४६ से उसके निर्यात पर निषेध लगा हुआ है। हड्डी के केवल उसी चूरे का निर्यात किया जा सकता है जो ३/३२ इंच से बड़े परन्तु २ इंच से कम के जालरन्ध्र से निकल सकता हो। हड्डी का चूरा केवल उसी को कहते हैं जो ३/३२ इंच के जालरंध्र से निकल सकता हो।

श्री बर्मन : क्या सरकार ने हड्डी का चूरा, हड्डी का मैदा तथा राक फासफेट तीनों प्रकार की प्राकृतिक खाद के सापेक्ष मूल्यों की जांच कराई है, यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला ?

डा० पी० एस० देशमुख : एक दो वाक्यों में इन परिणामों का सार बताना कठिन है परन्तु जांच की जा रही है।

श्री बर्मन : सूखी हड्डियों के निर्यात पर कोई निषेध नहीं है। निर्यात करने के बजाये जितनी भी सूखी हड्डियां इस देश में जमा की जा सकती हैं उनको जमा करवाने के तथा उनकी खाद तय्यार करवाने के सरकार क्या उपाय कर रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख : हड्डी के चूरे को जमा करने तथा उस को काम में लाने के लिये सरकार अधिकाधिक जितना भी संभव है प्रयत्न कर रही है।

कुमारी एनी मस्करीन : देश की खपत के लिये आवश्यक हड्डी के चूरे की कितनी प्रतिशतता यहां तय्यार की जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

गौशाला तथा पिंजरापोल

*१८९०. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गौशालों तथा पिंजरपोलों के राज्य

फेडरेशनों को उचित रीति से पुनर्संगठित करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : गोशालाओं तथा पिंजरापोलों के राज्य फेडरेशनों के पुनर्संगठन की एक योजना केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् द्वारा संमोदित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत गोशालाओं तथा पिंजरापोलों के प्रत्येक राज्य फेडरेशन को उचित रूप से काम करने में सहायता देने के लिये १,००० रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जाता है। अनुदान प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित निबन्धन हैं :

फेडरेशन

(१) अपनी रजिस्टरी करा ले,

(२) एक नियमित कार्यालय रखे,

(३) एक शिक्षण प्राप्त गोशाला सहायक को नौकर रखे,

(४) पशु-पालन राज्य संचालक को अपना एक सदस्य नियुक्त करे,

(५) केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् तथा पशुपालन के राज्य विभाग के निकट सहयोग में कार्य करने को तय्यार हो, तथा

(६) केन्द्रीय गो समवर्धन परिषद् के सामने मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या ऐसी भी गोशालायें हैं जिन को संघ सरकार या राज्य सरकारें विशेष रूप से अपने खर्चे से चलाती हों ?

डा० पी० एस० देशमुख : ऐसी कोई गोशाला नहीं जो पूर्ण रूप से हमारे खर्चे से चलाई जाती हो।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि नई व्यवस्था लागू होने के पूर्व कुछ राज्य सरकारों ने गोशालाओं तथा पिंजरापोलों को जनप्रिय बनाने के लिये सहायता मांगी थी ?

डा० पी० एस० देशमुख : हो सकता है। मैं कोई निश्चय उत्तर नहीं दे सकता।

बच्चों के लिये टी० बी० अस्पताल

*१८९१. **श्री जनार्दन रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि भारत में अपनी किस्म के पहले पहल, दो बच्चों के टी० बी० अस्पताल खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां तो यह अस्पताल कहां पर स्थित होंगे ; तथा

(ग) प्रत्येक अस्पताल में रोगियों के लिये कितनी खाटें होंगी ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) हां।

(ख) तथा (ग). एक मदनापल्ली (आन्ध्र) में जिस में ७६ खाटें होंगी तथा दूसरा मेहरौली (नई दिल्ली) में जिस में पचास खाटें होंगी।

श्री जनार्दन रेड्डी : इन दो अस्पतालों पर कितना रुपया व्यय किया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मदनापल्ली अस्पताल के लिये पहली पंच वर्षीय योजना में ३·८२ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है तथा १९५४-५५ के आयव्ययक में प्राक्कलन में २·७५ लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। यह रुपया वहां पर चलाये जाने वाली आरोग्य-शाला (सैनीटोरियम) को दिया जायेगा।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : रोगियों के लिये जिन खाटों का प्रबन्ध मदनापल्ली में किया जा रहा है वह आरोग्यशाला में होंगी अथवा राजकुमारी अमृतकौर अस्पताल में ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: आरोग्यशाला में।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: कितनी रोगी शय्याएं निशुल्क होंगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): विचार है कि, यदि संभव हो सके, तो जितने संभव हो सकें उतनी रोगी शय्याएं निशुल्क हों। शुल्क केवल उन्हीं लोगों से लिया जाय जो दे सकते हों ।

धान कूटने का उद्योग

***१८९३. श्री पी० रामस्वामी:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि धान को चावल बनाने के लिये प्राप्त सुविधाओं की जांच करने की प्रस्तावित समिति के सदस्य कौन कौन हैं तथा उस के निर्देश के निबन्धन क्या क्या हैं ?

(ख) यह अपना कार्य कब आरम्भ करेगी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) समिति के प्रस्तावित निर्देश निबंधनों की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये** परिशिष्ट ८ अनुबन्ध संख्या ३८]

समिति के लिये उचित सदस्यों के चुनाव के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। अभी तक इस प्रश्न का निपटारा नहीं हो सका है।

(ख) समिति जैसे ही उसकी रचना हो जायेगी, कार्य आरम्भ कर देगी।

श्री पी० रामस्वामी: इस समिति में कौन कौन से हितों का प्रतिनिधित्व होगा, तथा क्या हैदराबाद के धान कूटने के उद्योग के प्रतिनिधि भी इस समिति में रखे जायेंगे ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: समिति में आठ सदस्यों के रखे जाने का विचार है — एक सभापति एक चावल मिल मालिक, एक चावल मिल इंजीनियर, एक प्रतिनिधि चावल व्यापारियों का एक प्रतिनिधि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का एक प्रतिनिधि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का, एक प्रतिनिधि योजना आयोग का, एक प्रतिनिधि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का।

श्री एस० सी० सामन्त: अभी उस दिन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने मुझे बताया कि ऐसी ही एक समिति हाथ से धान कूटने के सम्बन्ध में बनाई जाने वाली है। क्या इन दोनों समितियों में किसी प्रकार की टक्कर होगी ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मेरा अनुमान है टक्कर बिल्कुल न होगी और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग रखे जायें।

मध्य प्रदेश को दिये जाने वाले ऋण तथा अनुदान

***१८९४. श्री किरोलिकर:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ के लिये सिंचाई की छोटी परियोजनाओं के लिये मध्य प्रदेश को दिये जाने वाले ऋण तथा अनुदान की धन राशि ; **तथा**

(ख) क्या राज्य सरकार ने इन वर्षों में कुल धनराशि का व्यय कर लिया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) निम्नलिखित धन राशियां संमोधित की गई थीं :—

	अनुदान	ऋण
	लाख रु०	लाख रुपया
१९५२-५३	१२.६९	४१.५४
१९५३-५४	१.५०	७६.८४

(ख) १९५२-५३ में ३.४३ लाख के अनुदान का तथा २३.०५ लाख रुपये के ऋण

का उपयोग किया गया । १९५३-५४ की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं है ।

श्री किरोलिकर : सिंचाई के इन छोटी छोटी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कितने एकड़ भूमि पर खेती की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : १९५२-५३ में १५,८१८ एकड़ क्षेत्रफल को लाभ पहुंचेगा तथा अतिरिक्त उत्पादन ३,७०३ टन होगा ।

श्री किरोलिकर : ऐसी कितनी सिंचाई योजनायें पूरी की जा चुकीं हैं तथा कितनी पूरी की जा रही हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे संख्या ज्ञात नहीं है । कितने अनुदान का प्रयोग किया जा चुका है यह मैं अभी बता चुका हूं ।

कलकत्ता एक्सचेंज में टेलीफोन आपरेटर

***१८९६. श्री साधन गुप्त :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ते के हस्त चालित टेलीफोन एक्सचेंज को चलाने वाले टेलीफोन आपरेटरों की इस वक्त कितनी संख्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): १२६४।

श्री साधन गुप्त : जब स्वचालित यंत्रों के लगाने की योजना पूरी हो जायेगी, तो इन में से कितने यंत्रचालक फालतू हो जायेंगे ?

श्री दातार : इस योजना के पांच क्रम हैं और सरकार की यह नीति है कि जो फालतू हो जायें उन सब को खपा लिया जाये ।

श्री साधन गुप्त : कितने फालतू हो जायेंगे और उन्हें खपाने के लिये पूरी वास्तविक योजना क्या है ?

श्री दातार : खपाने की योजना यह है कि उनके लिये उसी विभाग में और विशेष रूप से उसी स्थान पर और कोई काम ढूंढा जाये । क्रमश: प्रत्येक अवस्था पर कितने लोगों के फालतू होने की सम्भावना है इस की ठीक ठीक संख्या यहां मेरे पास नहीं है ।

श्री साधन गुप्त : जैसे जैसे यंत्रचालक फालतू होते जायेंगे क्या उन के वैसे वैसे खपाते जाने की सरकार के पास कोई ठोस योजना है ?

श्री दातार : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार के पास एक योजना है और कुछ और पद हैं जिन पर कि इन व्यक्तियों को रखा जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या १८९७ ।

डा० सत्यवादी : श्रीमान, संख्या १८९७ ।

श्री वी० वी० गिरि : श्रीमान्, यदि आप को प्रश्न संख्या १८९७ तथा १९०० के एक साथ पूछे जाने पर कोई आपत्ति न हो, तो मैं उनका उत्तर दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये एक ही सदस्य के नाम से हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : ये एक ही सदस्य के नाम से तो नहीं हैं, किन्तु इन का विषय एक ही है—शिवा राव समिति ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं ?

श्री पी० सी० बोस : जी हां, श्रीमान ।

अध्यक्ष महोदय : तो वह उस प्रश्न को पूछ लें ।

श्री पी० सी० बोस : प्रश्न संख्या १९००

दिल्ली का नौकरी दफ्तर

***१८९७. डा० सत्यवादी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में हर महीने कितने ग्रेजुएटों ने नौकरी के लिये दिल्ली के नौकरी दफ्तर में अपने नाम रजिस्टर कराये; और

(ख) इन में से हर महीने कितने व्यक्तियों को नौकरी के अवसर दिये गये और कितने वास्तव में नौकरी पर लगे ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ३९]।

शिवाराव समिति

*१९००. **श्री पी० सी० बोस :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में नौकरी दफ्तरों के भविष्य के सम्बन्ध में कार्य का सिंहावलोकन करने के लिये बनाई गई समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस ने कहां तक प्रगति की है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) . समिति अपना कार्य पूरा करने वाली है और इस का प्रतिवेदन तैयार होने वाला है।

मैं इतना और बता दूं कि यह आशा है कि समिति लगभग इस मास के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

डा० सत्यवादी : क्या यह गवर्नमेंट को मालूम है कि एम्प्लायर्स के पास जब उम्मीदवारों के नाम भेजे जाते हैं तो सीनियारिटी का ख्याल नहीं रखा जाता ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं समझता हूं कि वे ज्येष्टता (सीनियारिटी) का अवश्य ध्यान रखते हैं ।

डा० सत्यवादी : क्या यह ठीक है कि इस फरवरी के आखिर में इन्कमटैक्स डिपार्टमेंट में कुछ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएटों के नाम भेजे गये थे, लेकिन उस में जुलाई १९५३ के दर्ज किये हुये नामों को छोड़ कर बाद में दर्ज किये गये जूनियर नाम भेजे गये और सीनियर नाम नहीं भेजे गये ?

श्री वी० वी० गिरि : नहीं यह ठीक है । नियोक्ता को नाम भेज दिये जाते हैं और वह उन में से स्वयं चुन लेता है ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जितने लोगों की आवश्यकता होती है इंटरव्यु कार्डस उस से अधिक लोगों को दिये जाते हैं ? क्या यह सत्य है कि जो लोग नौकरी के लिये सिलेक्ट नहीं होते हैं उन की सीनियारिटी समाप्त कर दी जाती है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं समझता हूं कि उसके पश्चात् भी ज्येष्टता का ध्यान रखा जाता है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : सरकार को कब तक शिवा राव समिति के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने की आशा है ?

श्री वी० वी० गिरि : लगभग इस मास के अन्त तक यह प्रस्तुत किया जायेगा । सरकार को प्रतिवेदन पर विचार करना होगा और उसके बाद यथासम्भव शीघ्र से शीघ्र हम उसे प्रकाशित कर देंगे ।

श्री पी० सी० बोस : सारे भारत के नौकरी दफ्तरों में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं यह जानकारी दे सकता हूं । १५६२ पदाधिकारी हैं—२१७ गजेटेड और १३४५ नानगजेटेड ।

श्री पी० सी० बोस : क्या सरकार को यह विदित है कि इस नौकरी के अस्थायी तथा अनिश्चित होने के कारण कर्मचारियों का मन सदा अस्थिर रहता है और इस कारण काम भी अवश्य ही उतना अच्छा नहीं होता ?

श्री वी० वी० गिरि : सरकार को यह विदित है और इसलिये वह इस कठिनाई को अवसर मिलते ही दूर करने को उत्सुक है ।

श्री नानादास उठे —

अध्यक्ष महोदय : मैं अब अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

मध्य भारत में मलेरिया कार्यक्रम

***१८९९. श्री डामर :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि १९५३-५४ में राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम के अधीन मध्य भारत को कितना डी० डी० टी० पाउडर दिया गया ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : १९५३-५४ में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य भारत को २,१३,५९५ पौंड डी० डी० टी० ७५% गीला होने योग्य पाउडर दिया गया था ।

श्री डामर : क्या इस का वितरण केन्द्रीय सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संकेतों से होता है या राज्य की सरकार स्वयं इसके वितरण का प्रबन्ध करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर): केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से योजनायें प्रस्तुत करने के लिये कहती है, इन योजनाओं की परीक्षा की जाती है इन पर सहमति प्राप्त की जाती है और राज्यों को जो सहायता मिलती है उससे वे इन्हें चलाते हैं ।

श्री डामर : क्या इस का उपयोग आदिवासियों के क्षेत्रों में भी हुआ है ?

राजकुमारी अमृतकौर : मेरे पास इस समय यह जानकारी नहीं है ।

श्री एन० एल० जोशी : क्या गांवों में प्रयोग के लिये इस की कोई मात्रा अलग रख दी जाती है और यदि हां, तो वह मात्रा कितनी है ?

राजकुमारी अमृतकौर : यह सब ग्रामीण क्षेत्रों में ही प्रयोग की जाती है ।

श्रीमती मायदेव : क्या सरकार ने मलेरिया के उपचार के लिये किसी स्वदेशी औषधी का प्रयोग करके देखा है ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस कार्यक्रम में कोई स्वदेशी औषधी नहीं आती । यह बिलकुल असम्भव है ।

होमियोपैथी

***१९०१. श्री मुनिस्वामी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि पंचवर्षीय योजनाओं में ३७.५ लाख रुपये में से कितनी राशि होमियोपैथी में गवेषणा कार्य के लिये दी गई है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अभी तक होमियोपैथी में गवेषणा कार्य के लिये कोई राशि नहीं दी गई है । जिस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार का आवंटन करने का विचार है उस पर राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सत्य है कि हाल ही में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था और यदि हां, तो उसमें क्या निश्चय किया गया था और क्या उसे क्रियान्वित कर दिया गया था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : जी हां । यह प्रश्न कि होमियोपैथी के किस कालेज को अपग्रेड किया जाये बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा गया था और उन की सिफारिश की प्रतीक्षा है ।

श्री मुनिस्वामी : हमारे देश में इस समय कितनी संस्थायें होमियोपैथी में गवेषणा कार्य कर रही हैं ?

राजकुमारी अमृतकौर : इस समय कोई नहीं कर रही ।

श्री वेलायुधन : क्या होमियोपैथी के किसी कालेज को भारत सरकार से कोई अनुदान या सहायता मिल रही है ?

राजकुमारी अमृतकौर : नहीं ।

त्रिपुरा में कुष्ट रोग

***१९०३. श्री दशरथ देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि त्रिपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में कुष्ट रोग को फैलने से रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र) - शेखर) : त्रिपुरा के किसी चिकित्सा पदाधिकारी से राज्य में कुष्ट रोग के फैलने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है । बी० एम० हास्पिटल, अगरतला में एक कुष्ट रोग का चिकित्सालय है । राज्य के एक चिकित्सा पदाधिकारी को शीघ्र ही कुष्ट रोग के सम्बन्ध में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये स्कूल आफ ट्रापिकल मैडिसन, कलकत्ता में भेजा जायेगा ।

श्री दशरथ देव : क्या सरकार को त्रिपुरा के लोगों से इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में यह मांग की गई हो कि प्रत्येक डिवीज़नल प्रधान केन्द्र में स्थाई कुष्ट केन्द्र खोलने की व्यवस्था की जाये और उस में विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाये ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री दशरथ देव : त्रिपुरा में कुष्ट रोग के रोगियों की औसत संख्या कितनी है और सरकार के पास उन के सम्बन्ध में कोई जानकारी है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : केवल कहीं कहीं से कुष्ट रोग की सूचना मिली है । यह उतना फैला हुआ नहीं है जितना कि सम्भवत: माननीय सदस्य समझते हैं ।

श्रीमती मायदेव : त्रिपुरा के अतिरिक्त अन्य राज्यो में कुष्ट रोग को फैलने से रोकने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसके लिये एक अलग प्रश्न पूछा जाये ।

श्रीमती मायदेव : क्या यह सत्य है कि प्रतिवर्ष ४७ प्रतिशत और व्यक्तियों को कुष्ट रोग होता है ?

पाकला धर्मावरम रेलवे मार्ग

***१९०४. श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाकला-धर्मावरम विभाग के रेल मार्ग पर पुन: अधिक भारी रेलों को बिछाने का काम कब पूरा होगा; और

(ख) गाड़ियों की चाल बढ़ाने के लिये इस विभाग पर भारी इंजनों के कब तक चालू किये जाने की आशा है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) लगभग ३ वर्ष में ।

(ख) पुन: रेल बिछाने का काम पूरा होने के पश्चात् ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी : चालू वर्ष के आय-व्ययक में इस काम के लिये बहुत ही कम राशि रखी गई है, तो क्या इस कार्य को निलम्बित कर दिया गया है अथवा कोई अन्य कारण है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस वर्ष में तीस मील के लिये धन की व्यवस्था की गई है । यदि काम रुक गया है तो इस का कारण सामान की कमी है, पटरियों तथा शहतीरों उपलब्ध न होना है ।

श्री विश्वनाथ रेड्डी: क्या मदनापल्ले नगर को निकटतम रेलवे स्टेशन से मिलाना भी इस योजना में सम्मिलित है ?

श्री शाहनवाज़ खां: नहीं ।

श्री नानादास : क्या इस पिछड़े हुये क्षेत्र के विकास के लिये यह अपेक्षित है कि इस समय वहां जो छोटी लाइन है उसके स्थान पर बड़ी लाइन बिछा दी जाये ।

श्री शाहनवाज़ खां: यह तो हमारे कार्य क्षेत्र से और हमारे साधनों से बाहर की बात है ।

मद्रास तथा चिंग्लेपेट के बीच नये स्टेशन

*१९०७. **श्री मुनिस्वामी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का दक्षिण रेलवे पर मद्रास ऐगमोर तथा चिंग्लेपेट के बीच कुछ नये रेलवे स्टेशन स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) क्या प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और कर लिये गये हैं तो कितनी राशि के ; और

(घ) कार्य कब आरंभ होगा और उसके कब पूरा होने की सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) एक स्टेशन तथा एक गाड़ी के ठहरने का स्थान ।

(ग) हां । ५१,६६० रुपये ।

(घ) तम्बारम तथा बंडालूर के बीच गाड़ी के ठहरने के स्थान को यातायात के लिये खोल दिया गया है । क्रोमेपेट तथा तम्बारम के बीच के स्टेशन पर काम जारी है और आशा है कि स्टेशन का शीघ्र ही उद्घाटन कर दिया जायेगा । मैं यह भी बता दूं कि चेटपेट और कोडाम्बक्कम के बीच लोयाल कालेज के आस-पास एक स्टेशन स्थापित करने का विनिश्चय किया गया है ।

श्री मुनिस्वामी: क्या ये स्टेशन ठेका प्रणाली के गाड़ी ठहरने के स्थान ही हैं या पक्के स्टेशन हैं ? पक्के स्टेशन कितने हैं ?

श्री अलगेशन: शायद माननीय सदस्य मेरे उत्तर को नहीं सुन रहे थे । तम्बारम तथा बंडालूर के बीच तो गाड़ी के ठहरने का स्थान है और दूसरा वाला स्टेशन है ।

श्री मुनिस्वामी: क्या स्टेशनों के नाम रख दिये गये हैं और यदि रख दिये गये हैं तो वे क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय: मेरे खयाल में माननीय सदस्य बहुत बारीकी में जा रहे हैं ।

कैलाशहर में भूमि का अर्जन

*१९०८. **श्री दशरथ देव:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कैलाशहर (त्रिपुरा) के उन सब किसानों को, जिनकी भूमि को विमान क्षेत्र के निर्माण के लिये अधिगृहीत किया गया था, प्रतिकर दे दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दो वर्ष पूर्व अधिगृहीत भूमि के लिये अब भी तहसील कार्यालय किसानों से लगान मांग रहा है ; और

(ग) अर्जन की तारीख के बाद उन से लगान वसूल करने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं, श्रीमान् । भूमि के मूल्य के लिये प्रतिकर के रूप में कुल ६०,०४३ रुपये दिये जाने थे जिन में से ५८,२१२ रुपये दिये जा चुके हैं । शेष का भुगतान तब किया जायेगा

जब कि भूमि के स्वामियों की आपत्तियों का अंतिम रूप से निबटारा हो जायेगा ।

(ख) तथा (ग). जानकारी ऐकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

डा० रामा राव: क्या यह सच है कि सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि पर लगान वसूल किया गया है और यदि ऐसा है तो क्या सरकार उसे किसानों को वापिस लौटा देगी ?

श्री दातार: यह प्रश्न तो उठता ही नहीं, क्योंकि विमान पट्टी का अधिग्रहण किया जा चुका है और सब प्रबन्ध पूरा हो चुका है ।

बाल नियोजन अधिनियम

*१९०६. **श्री कक्कन (श्री इलया-पेरूमल** की ओर से) : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में बाल नियोजन अधिनियम १९५१ के अंतर्गत कितने मामले दर्ज किये गये ; और

(ख) कितनों को दंड दिया वया ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख). ऐसा प्रतीत होता है कि बाल नियोजन अधिनियम १९३८ की ओर निर्देश किया वया है । उसका प्रशासन राज्य सरकारें करती हैं, केवल रेलवे तथा महा पत्तनों के विषय में इसका प्रशासन केन्द्रीय सरकार करती है । १९५३–५४ के आंकड़े अभी सब के उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु यह पता है कि उक्त कालावधि में रेलव तथा महा पत्तनों के विषय में इस अधिनियम के अंतर्गत कोई मुकदमें नहीं चलाये गये । १९५२ के सम्बन्ध में बिहार, बंबई तथा मद्रास के प्रतिवेदनों से पता लगता है –– और उनके बाद के प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हैं––कि उस वर्ष उन राज्यों में भी कोई मुकदमें नहीं चलाये वये ।

दक्षिण अर्काट जिले में डाकघर

*१८९५. **श्री कक्कन (श्री इलया-पेरूमल** की ओर से) : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ में दक्षिण अर्काट जिले में कितने नये डाक घर खोले गये ; और

(ख) इसी कालावधि में उस ज़िले में कितने शाखा डाकघरों को उप-डाकघरों में परिवर्तित किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) ११ ।

(ख) १ ।

विभागातिरिक्त अभिकर्त्ता

*१८७९. **डा० नटवर पांडे :** क्या **संचार** मंत्री उड़ीसा के विभिन्न वर्गों के कुल विभागातिरिक्त अभिकर्ताओं की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्हें १९५३ में समाप्त होने वाले वर्ष तक भत्ते की संशोधित देरों से लाभ पहुंचा है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार):

विभागातिरिक्त उप पोस्ट मास्टर	६
विभागातिरिक्त शाखा पोस्ट मास्टर	६४२
विभागातिरिक्त चिट्ठियां बांटने वाले एजेन्टस	१३९
विभागातिरिक्त डाक ले जाने वाले	१३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अंधों को सहायतार्थ अनुदान

*१८६१. **श्री झूलन सिन्हा:** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री पिछले तीन वर्ष अर्थात् १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में संत परमानन्द अंध सहायता मिशन, करोल बाग,

दिल्ली को कुल कितनी रक्म का अनुदान दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : संत परमानंद अंध सहायता मिशन, दिल्ली को १९५१-५२ में ५,००० रु० का अनावर्तक अनुदान दिया गया था। मिशन को १९५२-५३ में स्वास्थ्य मंत्री लोक कल्याण निधि में से ३,००० रु० की रकम भी दी गई थी।

पटसन अनुसंधान

*१८६६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पटसन का ऊनीकरण करने के लिये अनुसंधान प्रसार योजना की जांच हेतु भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति द्वारा एक टेकनोलाजिकल अनुसंधान विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने टेकनोलाजिकल अनुसंधान प्रसार योजना की जांच के लिये १९५३ में एक टेकनोलाजिकल अनुसंधान विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इसमें भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति की टेकनोलाजिकल अनुसंधान प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा पटसन के ऊनीकरण के लिये तैयार की गई एक योजना भी सम्मिलित है।

(ख) विशेषज्ञ समिति ने सिफारिशें की हैं कि (१) जूट के ऊनीकरण, (२) ऊन और ऊनीकरण पटसन के सम्मिश्रण से सस्ती पट्टियां तैयार करने और (३) बुनाई कार्यों के लिये ऊन और ऊनीकरण पटसन की सहायता से बटे हुए धागों के निर्माण सम्बंधी योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

भारतीय टेलीफोन उद्योग

*१८६७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **संचार** मंत्री इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर में १९५३ में निर्मित कुल टेलीफोन की संख्या बताने की कृपा करेंगे?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : ३९,९९७.

विशेष रियायती टिकटों की सुविधा

*१८६८. **श्री राघवय्या** :
श्री रामानन्द दास :

क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डाक कर्मचारियों के लिये विशेष रियायती टिकटों की सुविधा विद्यमान है अथवा लौटा ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसे लौटा लेने के कारण ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) : खर्च में मितव्ययता की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समस्त कर्मचारियों को दी जाने वाली रियायतें स्थगित कर दी गई हैं।

गंगा का पुल

*१८८१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री गंगा के पुल निर्माण की अभी तक की प्रगति बताने की कृपा करेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : नींव के पत्थरों के आंशिक सम्भरण के लिये करार दे दिये गये हैं और मुख्य पुल के निर्माण के सम्बंध में सारे संसार से टेंडर आमंत्रित किये गये हैं। १९५४ की मई के अन्त में उन्हें खोला जायगा।

दूसरी सामग्री के संग्रह का प्रबन्ध और काम के विभिन्न विषयों की विस्तृत डिजायनों की तैयारी का काम हाथ में है।

अमरीका से कपास टेकनोलाजिस्ट

*१८८२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अमरीका से कपास के प्रमुख टेकनोलाजिस्ट का एक दल आमंत्रित किया गया है तथा वह यहां आ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस कार्य के लिये आमंत्रित किया गाया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४०]**

असैनिक उड्डयन विभाग

*१८८३. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **संचार** मंत्री बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन विभाग के हवाई अड्डे संघ के कार्य संचालक कर्मचारिगण की प्रति वर्ष दृष्टि-परीक्षा की जाती है ;

(ख) यदि हां तो जो लोग डाक्टरी जांच में अयोग्य घोषित किये जाते हैं क्या उन्हें बिना किसी आर्थिक हानि के वैकल्पिक काम की प्रतिभूति दी जाती है ; और

(ग) क्या नियुक्ति के समय उनके नियोजन में इस प्रकार की कोई शर्त थी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सभी श्रेणियों के कार्य संचालक कर्मचाररियों की अभी तक प्रति वर्ष दृष्टि परीक्षा होती रही है । अब यह निर्णय कर लिया गया है कि कुछ पदाधिकारियों की ही हर वर्ष दृष्टि-परीक्षा होना चाहिये, और शेष की दो वर्ष में एक बार ।

(ख) जहां तक संभाव्य है, जो कर्मचारी डाक्टरी जांच में असफल घोषित हो जाते हैं उन्हें बगैर किसी आर्थिक हानि के वैकल्पिक कामों का निर्देश किया जाता है ।

(ग) दृष्टिगत उपयुक्तता सदा ही सेवा की एक शर्त रही है लेकिन सुरक्षित रूप में विमान संचालन की अश्वस्ति हेतु प्रस्तुत प्रमाप १९४९ के अंत में निर्धारित किये गये थे ।

इंजन डब्बों आदि की सम्पूर्ण मरम्मत

*१८८६. **श्री टी० के० चौधरी :**
श्री वाघ मारे :

क्या **रेलवे** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि इंजन डब्बों आदि के सम्पूर्ण मरम्मत का कालावधिक कार्य अब रेलगाड़ियों के कुछ परीक्षा केन्द्रों में किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के केन्द्रों की संख्या और स्थापना स्थान कितने और कहां कहां हैं तथा उनके क्या परिणाम हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) हां, कुछ केन्द्रों में ।

(ख) अस्थायी व्यवस्था के रूप में डब्बों आदि की कालावधिक सम्पूर्ण मरम्मत करने वाले केन्द्रों के स्थापन बताने वाला विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४१]** । इसके परिणाम सर्वथा सन्तोषजनक हैं ।

उड़ीसा में मलेरिया

*१८८७. **श्री के० सी० जेना :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) मलेरिया की रोकथाम के लिये १९५३ में उड़ीसा सरकार को कितनी मदद दी गई ; और

(ख) उक्त राज्य में १९५३ के अंत तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) २,२०,५५४ रु. के अनुमानित लागत मूल्य के डी० डी० टी० के मुफ्त सम्भरण, परिवहन, छिड़कने के उपकरण का ९० प्रतिशत भाग और मलेरिया विरोधी औषधियां १९५३ में उड़ीसा सरकार को दी गईं।

(ख) दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक १,४८,४४४ घरों में डी० डी० टी० छिड़का गया और इस तरह लगभग ७,४२,२२० व्यक्तियों की मलेरिया से रक्षा की गई।

ग्राम सेवक

*१८९२. **श्री गणपति राम :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में अभी तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ख) अपने काम के लिये उन्हें कितना वेतन तथा भत्ता दिया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ३१ मार्च, १९५३ तक लगभग १८.८ लाख रु० खर्च किया गया है। १९५३-५४ में खर्च के आंकड़े अभी अपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) प्रशिक्षण काल के लिये प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को ५० रु. प्रति माह की सरकारी सहायता स्वीकार की गई है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को दी जाने वाली सरकारी सहायता की रकम प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है।

त्रावणकोर-कोचीन में खाद्यान्न का आवंटन

*१८९८. **श्री अच्युतन:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५३ में त्रावणकोर कोचीन ने केन्द्र से कितना गेहुं और चावल मांगा और कितना आवटन किया गया ?

(ख) १९५३ में त्रावणकोर-कोचीन के लिये आवंटित चावल जुटाने और नकदी देने के लिये केन्द्र को कितनी रकम व्यय करनी पड़ी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५३ के प्रारम्भ में त्रावणकोर-कोचीन का अनुमान था कि उन्हें १९५३ में ५६५ सहस्र टन अन्न की कमी रहेगी। उसमें चावल और गेहूं दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन बाद में उन्हों ने अनमान लगाया कि चावल की कमी ३ लाख टन चावल के आयात से पूरी हो जायेगी। गेंहूं की कोई विशिष्ट मांग नहीं रखी गई। इस सम्बन्ध में १९५३ में उन्हें वस्तुत: ३४० सहस्र टन चावल २६ सहस्र टन गेहूं मिले।

(ख) चूंकि त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि १९५३ में उन्हें चावल की खरीदी में कितनी हानि हुई, इसका उत्तर देना सम्भव नहीं है।

वैगनों की कमी

*१९०२. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों की कमी के कारण चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचाने में बड़ी कठिनाई आ रही है ; और

(ख) क्या सितम्बर, १९५३ में मुज़फ्फरपुर में हुए रेलवे अधिकारियों के एक सम्मेलन में चीनी मिलों के मालिकों को यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें वैगनों की कमी के कारण कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) नहीं।

(ख) सितम्बर १९५३ की एक सभा में उत्तर पूर्वी रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर

साइडिंग तथा गन्नों की लदाई की अन्य सुविधाओं पर चर्चा की गई थी।

केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक

*१९०५. **श्री के० सी० जेना** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय चावल गवेषणा संस्था, कटक ने धान की कोई बढ़िया किस्में उगाई हैं ;

(ख) यदि उगाई हैं, तो क्या वह धान सैलावी क्षेत्रों में अच्छी तरह उगाई जा सकती है ; तथा

(ग) इस बढ़िया धान का प्रति एकड़ औसत उत्पादन क्या है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) बहुत बढ़िया 'अमान' किस्म का धान ४० मन प्रति एकड़ तथा बढ़िया 'ब्याली' किस्म का धान २८ मन प्रति एकड़। उत्पादन की गणना तीन वर्षों के औसत पर की गई है।

रेलवे वर्कशाप, मैसूर

४००. **श्री एन० राचय्या** : (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि मैसूर के कर्मशाला प्रबन्धक ने जनवरी, १९५४ में रेलवे वर्कशाप में १०० पदों की भरती करने के लिये नौकरी-दफ्तर मैसूर से उम्मीदवारों की एक सूची मांगी ?

(ख) क्या यह सत्य है कि कर्मशाला प्रबन्धक को तदनसार ४०० व्यक्तियों की एक सूची भेज दी गई ?

(ग) क्या यह सत्य है कि कर्मशाला प्रबन्धक ने उस सूची पर बिल्कुल कोई विचार नहीं किया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री अल्लगेशन) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान्।

(ग) कर्मशाला प्रबन्धक ने खलासियों की अभी कोई भर्ती नहीं की। जब भर्ती की जायगी तो उन व्यक्तियों के मामलों पर भी विचार किया जायगा जिनकी कि नौकरी-दफ्तर ने शिफारिश की है।

चीनी

४०१. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का यह पूर्वानुमान है कि भारत में उपभोग के लिए चीनी की कमी होगी ; तथा यदि होगी तो कहां तक ; और

(ख) चीनी की पूर्वानुमानित कमी को ध्यान में रखते हुये सरकार थोक तथा परचून कीमतों को स्थिर रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) भीतरी उत्पादन में कमी आयात से पूरी नहीं की जायगी।

(ख) चीनी का प्रदाय निरन्तर रखने के लिए तथा कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कार्यवाही करने का फैसला किया है :

(१) विदेशों से चीनी आयात करना,

(२) अपने रिज़र्व स्टाक से तथा आयात की गई मात्रा से देश भर में ३१ रुपये मन के हिसाब से गन्तव्य रेलवे स्टेशन तक पहुंचा कर चीनी प्रदाय करना तथा १६ मई, १९५४ से इस कीमत को ३० रुपये प्रति मन तक घटाना;

(३) फैक्टरियों को परामर्श देना कि वह निर्बाध विक्रय के लिए रखी गई चीनी की मात्रा अविलम्ब मंडी में भेजने का प्रयत्न करें ;

(४) स्टाक रखने वालों को परामर्श देना कि वह ३१ मई १९५४ तक अपना पुराना स्टाक बेच दें ; तथा उस तारीख के बाद जहां कहीं इसकी आवश्यकता पड़े, चीनी के उस स्टाक को, जो कि बेचा न गया हो, अधिग्रहित करें ।

पोस्ट-मास्टर जनरल का कार्यालय, कलकत्ता

४०२. **श्री रामानन्द दास :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पोस्ट-मास्टर-जनरल, कलकत्ता के अधीन विभिन्न मदों के लिए कितने ठेकेदार आदि हैं ;

(ख) कितने 'ब्लैक लिस्ट' पर रखे गए हैं ;

(ग) क्या पोस्ट-मास्टर जनरल, कलकत्ता ने उन में से किसी को पुनः ठेके अथवा आर्डर दिए हैं; तथा

(घ) इसके कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) २३१

(ख) तीन

(ग) एक

(घ) इस फर्म ने अभ्यावेदन किया था ।

ग्राम सेवक

४०३. **श्री वाई० एम० मुक्णे :**
श्री नटवाडकर :
श्री बी० के० पटेल :

(क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि ग्राम सेवकों को ट्रेनिंग के दौरान में कितनी वृत्ति दी जाती है ?

(ख) इनका चुनाव कैसे होता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ट्रेनिंग काल के लिए प्रत्येक प्रशिक्षार्थी के लिए ५० रुपया प्रति मास की वृत्ति मंजूर की गई है, राज्य सरकारें स्थानीय स्थिति के अनुसार इस में फेर बदल कर सकती हैं तथा इसलिए इस की दर प्रत्येक राज्य में अलग अलग है ।

(ख) उम्मीदवारों को चनने के लिए जो प्रक्रिया निश्चित की गई है, वह नीचे दी गई है, किन्तु इन में स्थानीय स्थिति के अनुसार फेर बदल किया गया है —

प्रारम्भिक चुनाव चुनाव बोर्ड की सहायता से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा इस में ज़रूरत से २० प्रतिशत अधिक उम्मीदवार लिए जाते हैं। चुनाव करते समय उम्मीदवार की योग्यता, साधारण ज्ञान, व्यक्तित्व, हृष्ट-पुष्टता आदि ध्यान में रखे जाते हैं । ट्रेनिंग केन्द्र में दाखिल होने पर प्रत्येक उम्मीदवार की कार्य-प्रगति का रिकार्ड रखा जाता है। एक महीने के बाद उस रिकार्ड के आधार पर उम्मीदवार छांट लिए जाते हैं तथा अनुपयुक्त उम्मीदवार निकाल दिये जाते हैं ।

त्रावणकोर कोचीन में डाक तथा तारघर

४०४. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रावणकोर कोचीन सरकार से चिरायिन्किल, नेदुमंगद, क्विलोन, कोट्टराकाब तथा पटननपुरम ताल्लुकों से सम्बन्धित कितने अंचल कार्यालय लिए गए हैं जिन्हें कि डाकखानों में परिवर्तित किया गया है ?

(ख) एकीकरण के समय से अब तक उन क्षेत्रों में कितने नये डाक तथा तारघर खोले गए हैं ?

(ग) उल्लिखित ताल्लुकों में से प्रत्येक ताल्लुके में इस समय कितने तार तथा टेलीफोन पब्लिक 'काल आफिस' विद्यमान हैं

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) से (ग) तक। सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४२]**

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

४०५. श्री मुनिस्वामी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद को १९५२ तथा १९५३ के वर्षों में विदेशों से उपहार प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हुये हैं तो किन स्थानों से तथा किस प्रकार के ; तथा

(ग) परिषद द्वारा इन उपहारों को कैसे उपयोग में लाया गया ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) जी हां।

(ख) जून १९५३ में इराकी खजूर सन्था से इराकी खजूरों की ७० पेटियां प्राप्त हुई थीं।

(ग) वह परिषद की विभिन्न शाखाओं द्वारा वितरित की गई।

माल डिब्बों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाना

४०६. सेठ अचल सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी रेलवे पर माल डिब्बों तथा पार्सलों को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने से सम्बन्धित ठेकों के बारे में प्रति वर्ष क्यों टेंडर नहीं मांगे जाते हैं जैसे कि आर० एम० ई० तथा आर० ई० एन० के अन्तर्गत कोयला लाने ले जाने आदि ठेकों के सम्बन्ध में टेंडर मांगे जाते हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : पार्सलों तथा सामान्य माल के सम्बन्ध में नुकसान न होने देने के लिए अत्यन्त ही सावधानी तथा सक्षमता से काम करना पड़ता है क्योंकि यह सामान्यतः कीमती माल होता है। अतः इन ठेकों को बारबार बदलते रहना उचित नहीं।

मुकामेह पुल

४०७. श्री अनुरिद्ध सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुकामेह पुल परियोजना पर इस समय तक कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मार्च १९५४ के अन्त तक लगभग ६९.२६ लाख रुपये।

मध्य भारत में रेलवे लाइनें

४०८. श्री राधेलाल व्यास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार को, राज्य की रेलवे लाइनों और उन से सम्बन्धित चल तथा अचल सम्पत्ति के साथ कितना रुपया नकद या निधि के रूप में दिया था ; और

(ख) इस धन का उपयोग किस प्रकार करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख)। अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण यहां संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ४३]**

रेलवे कारें

४०९. श्री मुनिस्वामी : (क) क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि कुछ अनुपूरक सेवाओं में भीड़ को कम करने के लिये प्रयोगात्मक उपाय के रूप में 'रेलवे कारों' के लिए आर्डर दिया गया है ?

(ख) 'शंटिंग' प्रयोजनों के लिए भारतीय रेलवे के किन किन स्थानों पर डीज़ल इंजन चालू किये गए हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस से ईंधन के खर्च में कमी हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : कुछ शाखाओं पर यात्री सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से रेलवे कारों के लिए आर्डर दिया गया है। इस सम्बन्ध में पुरी तरह मशक की जायगी।

(ख) ब्राडगेज डीज़ल इंजन बांदरा, बम्बई मध्य तथा कार्नक बन्दर में तथा मीटर गेज डीज़ल इंजन भावनगर राजकोट, नवलखी तथा ओखा में शंटिंग के काम पर लगाए गए हैं। पूर्वी रेलवे के शन्टिंग क्षेत्रों में भी इस सम्बन्ध में प्रयोग किये जा रहे हैं।

(ग) डीज़ल शन्टिंग इंजनों में मितव्ययता ईंधन खर्चे की अपेक्षा उपलब्धता के कारण अधिक होती है।

मद्रास में नल कूप

४१०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** २६ मार्च, १९५४ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मद्रास राज्य में पानी खोजने के लिए, ज़िलेवार, कितने प्रारम्भिक नल कूप लगाए गए हैं ; तथा

(ख) कितने स्थानों पर काम शुरू हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) विभिन्न ज़िलों में प्रारम्भिक खुदाई कितने स्थानों पर की गई है यह भारतीय भूतत्व परिमाप संस्था के विशेषज्ञों द्वारा किये गए प्रारम्भिक अनुसंधान पर तथा उस समति की रिपोर्ट पर निर्भर होगा जोकि स्थान चुनने के लिये नियुक्त की जायगी तथा जिस में भारत सरकार के टेक्निकल विशेषज्ञ, टेक्निकल सहयोग आयोग तथा मद्रास राज्य का मुख्य इंजीनियर होगा।

(ख) जी नहीं। प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी होने के बाद ही खुदाई का काम शुरू होगा।

डाक रक्षक

४११. **श्री मुनिस्वामी** : (क) क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि रेल गाड़ियों में डाक थैले डाक-रक्षकों के हवाले किये जाते हैं ?

(ख) प्रत्येक डाक-रक्षक को औसत में कितने थैले हवाले किये जाते हैं ?

(ग) एक रेल गाड़ी में कुल कितने डाक-रक्षक सफर करते हैं ?

(घ) क्या डाक-रक्षकों को कोई सफर खर्चा दिया जाता है, तथा यदि दिया जाता है तो किस दर पर ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) औसत में ९० थैले एक डाक रक्षक के हवाले रखे जाते हैं।

(ग) रेल गाड़ी में एक डाक रक्षक एक समय सफर करता है। कुल ३०३ डाक रक्षक बारी बारी १६३ शाखाओं पर रेलगाड़ियों में सफर करते हैं।

(घ) जी नहीं। यदि वह मुख्यालय से बाहर रहते हैं तो उन्हें पहले छः घंटों को छोड़ के बाकी हर छै घंटों अथवा उसके भाग के लिए ६ आने के हिसाब से स्टेशन से बाहर रहने का भत्ता दिया जाता है।

सोमवार,
१९ अप्रैल, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अंक ४--१७ अप्रैल से ४ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
शनिवार, १७ अप्रैल, १९५४	
सदन पटल पर रखे गये पत्र—	
तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग, कोरिया के प्रतिवेदन और चुने हुए दस्तावेज	३४३९
आवश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—	
दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशान्त महा सागर के लिये सामूहिक रक्षा की व्यवस्था	३४३९–३४४३
सदन का कार्यक्रम	३४४३–३४४५
अनुदानों की मांगें—	
मांग संख्या २६–वित्त मंत्रालय	३४४६–३४८७
मांग संख्या २७–सीमा शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २८–संघ उत्पादन शुल्क	३४४६–३४८७
मांग संख्या २९–निगम कर तथा संपत्ति शुल्क समेत आय पर कर	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३०–अफीम	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३१–स्टाम्प्स	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३२–अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा कोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि का भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३३–लेखा-परीक्षा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३४–मुद्रा	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३५–टकसाल	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३६–प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३७–वृद्धावकाश भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३८–वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४४६–३४८७
मांग संख्या ३९–राज्यों को सहायक अनुदान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४०–संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४१–असाधारण भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ४२–विभाजन पूर्व के भुगतान	३४४६–३४८७
मांग संख्या ११५–भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजीव्यय	३४४६–३४८७

	पृष्ठ भाग
मांग संख्या ११६—मुद्रा पर पूंजी व्यय	३४४६—३
मांग संख्या ११७—टकसाल पर पूंजी व्यय	३४४६—३४
मांग संख्या ११८—निवृत्ति वेतनों का परिगत मूल्य	३४४६—३४८७
मांग संख्या ११९—छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	३४४६—३४८८
मांग संख्या १२०—वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४४६—३४८७
मांग संख्या १२१—केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	३४४६—३४८
मांग संख्या ७०—विधि मंत्रालय	३४८७—३४८
मांग संख्या ७१—चाय-व्यवस्था	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७२—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७३—भारतीय भूपरिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७४—वानस्पतिक सर्वेक्षण	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७५—प्राणकीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७६—भूतत्वीय परिमाप	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७७—खानें	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७८—वैज्ञानिक गवेषणा	३४८७—३४८८
मांग संख्या ७९—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या ८०—संसद् कार्य विभाग	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०७—संसद्	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०८—संसद् सचिवालय के अधीन विविध व्यय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १०९—उपराष्ट्रपति का सचिवालय	३४८७—३४८८
मांग संख्या १३१—प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	३४८७—३४८८
विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित	३४८८—३४८९
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट स्वीकृत	३४८९—३४९
केन्द्र में प्रशासन-तन्त्र तथा कार्यप्रणाली के विषय म संकल्प—असमाप्त	३४९०—३५३८
सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—शकूर बस्ती आर्डिनेन्स डिपो में गड़बड़	३५३९—३५४२
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित	३५४२—३५४३
वित्त विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	३५४३—३६१६

पृष्ठ भाग

मंगलवार, २० अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी विवरण ३६१७–३६१८

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते के भुगतान के सम्बन्ध में संयुक्त समिति—द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ३६१७

वित्त विधेयक—असमाप्त ३६१८–३६८८

बुधवार, २१ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश—

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसात्करण विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ३६८९

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत भण्डार विभाग द्वारा अस्वीकृत टेण्डरों सम्बन्धी वक्तव्य ३६९०

"भारत में फ्रेंच बस्तियां" नामक दस्तावेज ३६९०

वित्त विधेयक—विचार प्रस्ताव—स्वीकृत ३६९०–३७६२

बृहस्पतिवार, २२ अप्रैल, १९५४

याचिका समिति—पहली रिपोर्ट का उपस्थापन ३७६३

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की सिफारिशें ३७६३–३७६४

वित्त विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३७६४–३८६८

क्रवार, २३ अप्रैल, १९५४

सदन का कार्य ३८६९–३८७०

सरकारी विधेयकों का क्रम ३८७०–३८७२

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक—संशोधित रूप में पारित ३८७२–३८८४

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक—पारित ३८८४–३९०४

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ३९०४

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९०५–३९२०

खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड विधेयक—वादविवाद स्थगित ३९२०–३९३०

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—अमसाप्त ३९३०–३९४६

शनिवार, २४ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद से संदेश ३९४७–३९४८, ४०४२

हिन्दचीन के विषय में वक्तव्य ३९४८–३९५६

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९५६–३९७३

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक––संशोधित रूप में पारित ३९७३–४०३९

लुशाई पहाडी जिला (नाम परिवर्तन) विधेयक––पारित ४०४०–४०४२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक– विचार करने का प्रस्ताव––असमाप्त ४०४२–४०४४

सोमवार, २६ अप्रैल, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र–– ४०४५–४०४६

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या ९–पी० आई० (२५०) ५३, दिनांक १५–२–५४

कलकत्ता बन्दरगाह आयोग के लिये निर्वाचित आयुक्तों के स्थानों का पुनर्वितरण दिखाने वाला विवरण

परिवहन मंत्रालय अधिसूचना संख्या १३–पी० आई० (१२४) ५३, दिनांक १५–२–५४

मद्रास बन्दरगाह न्यास के लिये निर्वाचित न्यासधारियों के स्थानों का पुनर्वर्गीकरण दिखाने वाला विवरण ४०४६–४०५२

विलीन क्षेत्र (विधि) विधेयक––पारित ४०५४–४०६९

जनता के लिये तात्कालिक महत्वपूर्ण-विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना ––

माओ-माओ आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों के सन्देह में सामूहिक रूप से नैरोबी स्थित भारतीय आयुक्त के कार्यालय की तलाशी ४०५२–४०५४

औषधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक– पारित ४०६९–४१०५

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक–– पारित ४१०५–४१०८

भारतीय रेलवे (द्वितीय संशोधन) विधेयक––पारित ४१०९–४११८

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४११९

याचिका-समिति––द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन ४११९

खाद्य स्थिति-याचिका प्राप्त ४११९

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––

उत्तर बिहार को कोयला तथा सीमेंट ले जाने के लिये अपर्याप्त परिवहन सुविधायें ४१२०–४१२२

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक–पुरःस्थापित ४१२२

कारखाना (संशोधन) विधेयक––पारित करने के लिये प्रस्ताव–– असमाप्त ४१२२–४१८२

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक–– परिषद् द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया ४१८२

बुधवार, २८ अप्रैल, १९५४

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली वर्षा ४१८३–४१८४

स्थगन प्रस्ताव—

माही के निकट फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा भारतीय संघ के नागरिकों पर गोली-वर्षा ४१८४–४१८९

कारखाना (संशोधन) विधेयक—पारित ४१८६–४१८९

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक—पारित ४१८९–४२१४

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करनें का प्रस्ताव—असमाप्त ४२१४–४२६०

बृहस्पतिवार, २९ अप्रैल, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों सम्बन्धी समिति—

सातवें प्रतिवेदन का उपस्थापन ४२६१

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४२६१–४३३६

शुक्रवार, ३० अप्रैल, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ४३३७

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत सरकार तथा नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना के सम्बन्ध में हुआ समझौता ४३३७

भारत के औद्योगिक वित्त निगम के सामान्य विनियमों में संशोधन ४३३८

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् का १९५१–५२ वर्ष के लिये प्रतिवेदन ४३३९

तारांकित प्रश्न संख्या १२० के उत्तर में शुद्धि ४३३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना—

माही में फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा गोली वर्षा ४३३९–४३४१

स्थगन प्रस्ताव—

फ्रांसीसी भारतीय पुलिस द्वारा माही के निकट गोली वर्षा ४३४१

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव—असमाप्त ४३४१–४३६०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सातवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४३६०–४३६५

केन्द्र में प्रशासन तंत्र तथा कार्य प्रणाली सम्बन्धी संकल्प--अस्वीकृत ४३६६–४३९१

हाथ करघा उद्योग के लिये साड़ियों तथा धोतियों के उत्पादन के संरक्षण संबंधी संकल्प--असमाप्त ४३९१–४४०२

शनिवार, १ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का बुलेटिन संख्या १९ ४४०३

भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ४४०३–४४०९

समवाय विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४४१०–४४९६

सोमवार, ३ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

विनियोग लेखे (डाक तथा तार), १९५१–५२ तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५३ ४४९७

समवाय विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत ४४९७-४५५१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५५१–४५७६

मंगलवार, ४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या १० ४५७७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--असमाप्त ४५७७ ४६४८

GIPD—HS—477 L. S.—3-1-55—285

लोक सभा

सोमवार, १९ अप्रैल, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

---

३ म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना

(शकूरबस्ती आर्डनेंस डिपो में गड़बड़)

अध्यक्ष महोदय : नियम २१५ के अन्तर्गत, मुझे श्री वी० पी० नायर से एक सूचना प्राप्त हुई जिस में रक्षा संगठन मंत्री का ध्यान अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के निम्न मामले की ओर दिलाया गया है और उन से प्रार्थना की गई है कि वे इस मामले में एक वक्तव्य दें :

"८ अप्रैल, १९५४ को शकूर बस्ती आर्डनेंस डिपो में होने वाली गम्भीर घटनाएं, जिन में एम० डी० एस० सी० वालों ने डिपो के श्रमिकों पर हमला कर दिया था और उन्हें बुरी तरह पीटा था और जिसके फलस्वरूप १० व्यक्तियों को गहरी चोटें आई थीं।"

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : श्रीमान्, ८ अप्रैल, १९५४ को आर्मी आर्डनेंस कोर डे मनाया गया था। कार्यक्रम में शकूरबस्ती में होने वाला एक खेल कूंद समारोह भी था जिस में डिपो के सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों ने भाग लिया था। उत्सव का खर्च पूरा करने के लिए, सैनिकों के अंशदानों के अतिरिक्त, डिपो की कार्य समिति की मंजूरी से श्रमिक कल्याण निधि से २०० रुपये की राशि ली गई थी। ८ अप्रैल १९५४ को होने वाले अन्तिम समारोह की तैयारी के लिए, लगभग एक सप्ताह तक मध्याह्न भोजन के समय खेलें की गई थीं।

चूंकि ए० ओ० सी० दिवस सरकारी छुट्टी नहीं थी, इस लिए डिपो को बन्द कर देना और सब श्रमिकों को खेलें देखने देना, जो कि ३ बजे शुरू हो गई थीं, संभव नहीं था। तथापि डिपो की कार्य समिति ने यह मान लिया था कि उन व्यक्तियों के अतिरिक्त जिनको खेलों में भाग लेना था कुछ असैनिक कर्मचारियों को भी कार्य के समय में खेल देखने दिये जायें। शेष कर्मचारी ४-५० के बाद जब कि डिपो बन्द होता है खेल देख सकते थे।

८ अप्रैल को, डिपो के बन्द होने के बाद जब श्रमिक खेल देखने के लिए आ रहे थे,

[श्री सतीश चन्द्र]

उन में लगभग ५०, जलूस बना कर और नारे लगाते हुए खेल के मैदान की ओर जाने लगे। संभवतः उन्होंने ऐसा इस लिए किया कि उन्हें ३ बजे से खेल देखने की आज्ञा नहीं दी गई थी।

डिपो के एक असैनिक पदाधिकारी ने उन से प्रार्थना की कि वे चुपचाप बैठ कर खेल देखें। चूंकि इस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस लिए उप मुख्य आर्डनेंस पदाधिकारी जल्दी से वहां गया और उन्हें शान्त करने की कोशिश की। इस बीच कुछ और दर्शकों ने, जिन्हों ने जलूस वालों की कार्य-वाही को पसन्द नहीं किया था, उन से बहस करनी शुरू कर दी। किसी गम्भीर घटना को रोकने के लिए, जलूस वालों के गिर्द घेरा डाल दिया गया था और उन से कहा था कि या तो वे शान्ति से खेल देखें या चले जायें। कुछ तो मान गये किन्तु कुछ लोग चले गये। लाठी चलाने का बिल्कुल कोई अवसर नहीं था। यह घटना केवल कुछ मिनट तक हुई। डिपो में काम करने वाले कुल २१७६ श्रमिकों में से केवल ५० ने इस प्रदर्शन में भाग लिया था।

९ अप्रैल को, लगभग ९ बजे प्रातः डिपो के कमांडेंट को यह सूचना दी गई कि श्री एस० एम० जोशी, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के महासचिव, जो कि उस दिन दिल्ली में थे, उन से मिलना चाहते हैं। कमांडेंट तत्काल फाटक पर आये और श्री जोशी ने उन से कहा कि श्रमिक एक सांकेतिक हड़ताल करना चाहते हैं किन्तु वह उन्हें समझाना चाहते हैं कि वह ऐसा न करें। कमांडेंट ने श्री एस० एम० जोशी को श्रमिकों के सामने भाषण देने की आज्ञा दे दी। बहुत से श्रमिक पहले ही डिपो के अन्दर चले गये थे और श्री जोशी के कहने पर शेष श्रमिकों ने भी काम पुनः जारी करने का निर्णय किया। परन्तु उन में से कुछ ठीक समय पर ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि वर्तमान आदेशों के अनुसार, डिपो के फाटक ९-५० प्रातः बन्द कर दिये जाते हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यदि डिपो पदाधिकारियों ने कुछ विवेक का प्रयोग किया होता और उस नियम में ढील दे कर, फाटक को निश्चित समय के बाद भी कुछ देर खुला रखा होता तो यह झगड़ा उसी समय समाप्त हो जाता तथापि आदेश जारी कर दिये गये हैं कि सम्बन्धित श्रमिकों को उस दिन की छुट्टी दे कर उन की अनुपस्थिति को नियमित कर दिया जाय।

५०५ कमांड वर्कशाप के सम्बन्ध में, ५ अप्रैल १९५४ को कार्य समिति के विचारार्थ यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था कि १ मई १९५४ को ई० एम० ई० दिवस मनाने के लिए यूनिट कैंटीन के लाभ में से (जो कि साधारणतया श्रमिक कल्याण निधि में डाला जाता है) प्रतिश्रमिक बारह आने दिये जायें। कार्य समिति के ६ या ७ सदस्यों में केवल एक इस प्रस्ताव से असहमत था। इस राशि को खेलों और श्रमिकों के जलपान पर खर्च किया जायेगा। माननीय सदस्य ने कहा है कि ८ अप्रैल, १९५४ को भूख हड़ताल की गई थी। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं है।

सदन की बैठक से सदस्यो की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

(द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा : मैं सदन की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति

सम्बन्धी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

वित्त विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष १९५४-५५ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को क्रियान्वित करने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

जहां तक आय-कर और अधि-कर के आरोपण का सम्बन्ध है, पिछले वर्ष से कोई परिवर्तन नहीं है। विधेयक के खंड २ के द्वारा भारतीय आय-कर अधिनियम में कुछ संशोधन अपेक्षित है। इन में से चार संशोधन ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाली रियायतों को दो वर्षों के लिए १९५६ तक बढ़ाने के सम्बन्ध में हैं। करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तक, इन रियायतों को और दो वर्षों तक जारी रखने का निर्णय किया गया था। वे रियायतें जिनकी अवधि बढ़ा दी गई है ये हैं:

(१) केवल निवासी व्यक्तियों से प्रेषण पर लिये जाने वाले विदेशी लाभों की छूट ;

(२) १ अप्रैल १९५६ से पूर्व बनाई गई सम्पत्ति से होने वाली आय को दो वर्ष की छूट;

(३) १ अप्रैल १९५६ से पूर्व पूरे किये गये मकानों के सम्बन्ध में १५ प्रतिशत की दर से प्रारंभिक अवक्षयण छूट; और

(४) यदि १ अप्रैल १९५६ से पूर्व उत्पादन आरंभ किया जाये, तो धारा १५-ग के अन्तर्गत उपलब्ध छूट ।

दूसरा संशोधन भारत से बाहर सार्वजनिक चन्दे के लिए जारी किये गये किसी ऋण पर भारत से बाहर किसी गैर निवासी को देय ब्याज के सम्बन्ध में छूट देता है । जब १९३९ में इस विधि में संशोधन किया गया था और भारत में प्रयोग की जाने वाली उधार ली गई पूंजी पर भारत के बाहर दिये जाने वाले ब्याज पर आय-कर लिया जाने लगा था, तो अभिप्राय स्पष्टतः यह था कि १ अप्रैल, १९३८ से पहले जारी किये गये ऋणों पर ब्याज को छूट दी जाये चूंकि उस से पहले ब्याज पर आय कर नहीं लिया जाता था, इस लिए उधार लेने वालों ने संविदा में भारतीय आय कर को कटौती या अदायगी के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया था । इस छुट का अभिप्राय इस प्रकार के ऋणों पर दिये गये ब्याज के लिए करदाता की आय से बिना किसी रोक टोक के कटौती कर के बता दिया गया था परन्तु गैर निवासी प्राप्तकर्त्ताओं के हाथों में इस प्रकार की छूट देने के लिए भूलचूक के कारण कोई उपबन्ध नहीं किया गया था । यह छूट उस समय १९४१ में कार्यपालिका के आदेश द्वारा दी गई थी परन्तु यह संभवतः किसी भी समय तक जारी रखी जा सकती है अतः आयकर अधिनियम में संशोधन कर के इस छूट को वैधानिक रूप देना ठीक समझा गया ।

अब मैं सम्पदा शुल्क को लेता हूं। विधेयक का खंड ४ सम्पदा शुल्क अधिनियम में १५ अक्तूबर १९५३ से, जब कि यह लागू होता है अनुदर्शी प्रभाव से दो संशोधन करता है । ये दोनों संशोधन स्पष्टीकरण के हेतु हैं । पहला संशोधन यह संदेह दूर करने के लिए है कि मृत्यु पर उत्तराधिकारी को मिलने वाली सम्पत्ति पर वैसे कर लग सकेगा जैसे मृत्यु पर उत्तराधिकारी को मिली हुई सम्पत्ति पर । दूसरा संशोधन

[श्री सी० डी० देशमुख]

यह स्पष्ट करने के लिए है कि सम्पदा शुल्क की अदायगी का बीमा या सम्पदा शुल्क की अदायगी के लिए धन जमा करा देने के सम्बन्ध में धारा ३३ के खंड (घ) और (छ) के अन्तर्गत दी गई छूट कुल ५०,००० रुपये से अधिक नहीं होगी ।

सीमा शुल्कों के बारे में सदन को बतला चुका हूं कि सुपारी पर आयात कर इस लिए बढ़ाया गया है कि बीच के व्यक्तियों का लाभ कम किया जाये । पत्तनों से प्राप्त बाजार के मूल्य से पता चलता है कि ३३ रुपये प्रति मन के बढ़े हुए शुल्क की तुलना में बाजार मूल्य १५ रुपये से भी कम बढ़े हैं और आशाएं कुछ हद तक पूरी हुई हैं । सदन को ज्ञात है कि अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, मैंने साबुन पर उत्पादन शुल्क में कुछ परिवर्तन कर दिया है और वह इस तरह कि किसी वित्तीय वर्ष में किसी साबुन के कारखाने से निकलने वाले नहाने के साबुन के पहले २५ टनों पर और कपड़े धोने के साबुन के पहले १२५ टनों पर छूट दे दी गई है । इस रियायत से कुल ८२ कारखानों में से ३९ को लाभ पहुंचेगा । इस चर्चा के दौरान में मैं आगे चल कर वित्त विधेयक में साबुन की परिभाषा के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तावित करूंगा ताकि इसे अधिक स्पष्ट बनाया जा सके ।

सदन को यह भी विदित है कि जूतों के सम्बन्ध में मैं ने इस रियायत की घोषणा की है कि बिना बिजली के चलाये जाने वाले कारखानों के लिए छूट की सीमा ४९ श्रमिकों तक बढ़ा दी जाये । पहले उन कारखानों पर कर लग सकता था जिन में १९ से अधिक श्रमिक काम करते थे । अनुमान लगाया गया है कि ऐसा करने से कुल ७६ कारखानों में से १२ को लाभ पहुंचेगा ।

शेष मामला जिस की ओर मैं यहां निर्देश करूंगा नकली रेशम के बारे में है । जो अभ्यावेदन मेरे पास आये हैं, मैं ने बड़ी सावधानी से उनको पढ़ा है और मैं ने यह निर्णय किया है कि (१) कारखानों के लिए छूट की सीमा ९ कर्घों तक से २४ कर्घों तक बढ़ा दी जाये (२) हाल में घोषित तीन पाई प्रति गज़ के हाथ-कर्घा उप-कर के अतिरिक्त, एक आना प्रतिवर्ग गज़ का शुल्क घटा कर ६ पाई प्रति वर्ग गज़ कर दिया जाये । तीन पाई प्रति गज़ का उपकर भी इसके अतिरिक्त देना पड़ेगा ।

वास्तव में, उपकर को छोड़ कर, अब शुल्क की दर सब से पहले प्रस्तावित दर की लगभग एक तिहाई होगी और संशोधित दरों का आधा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : हम उस नाटक के अन्तिम दृश्य को देख रहे हैं जो समाप्त होने वाला है तथा जिसकी समाप्ति पर सरकार आगामी बारह महीनों के लिए देश के वित्तीय संसाधनों को सम्भाल लेगी । मैं वित्त विधेयक के बारे में विस्तृत चर्चा नहीं करूंगा, किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा स्वीकार किए गए परिवर्तनों के बाद भी नए वित्तीय प्रस्ताव कुछ अधिक उपयोगी प्रतीत नहीं होते । आगामी वर्ष हमारी योजना की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष होगा किन्तु उसके लिए अपेक्षित आय बहुत अपर्याप्त रहेगी ।

वित्त मंत्री की बातों से जान पडता है कि उन्हें यह आशा हो रही है कि अमरीका तथा इंग्लैंड की वर्तमान मंदी समाप्त हो जायेगी, किन्तु यह एक भ्रम है। पहले १९४९ में जब अमरीका में मंदी हुई थी तो उसका परिणाम कोरिया का युद्ध रहा, अब भी उनकी मंदी संसार के लिये संकट से खाली नहीं है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को इन दो देशों की अर्थव्यवस्था से बांध कर नहीं रखना चाहिये।

मुझे ८ दिसम्बर, १९५३ को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री द्वारा यह पता चला था कि टेक्सटाइल कमिश्नर के कार्यालय में एक ऐसे निदेशक (डायरेक्टर) भी हैं जो १६०० रुपेया महीना वेतन पा रहे हैं किन्तु जिनकी शिक्षा मैट्रिक तक भी नहीं है। बेकारी दूर करने के लिये यह कुछ अच्छे उपाय नहीं हैं। इसी प्रकार लोक लेखा समिति की सातवीं रिपोर्ट में पृष्ठ ४२ पर श्री बी० दास का एक वक्तव्य है जिस में उन्होंने बताया है कि डाक तथा तार विभाग में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जिन्हें कब से निकाल देना चाहिये था, किन्तु उन्हें बढ़ी चढ़ी पदोन्नति दी गई है।

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में २५ व्यक्तियों को इस लिये निकाल दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग ने उनके हटाए जाने के लिए कहा था, किन्तु वास्तव में स्थिति यह है कि उक्त आयोग ने तो यह लिखा था कि इन लोगों को आगामी अवसर तक काम पर लगा रहने दिया जाए। दूसरी ओर छः टेक्निकल सहायकों को हटाने के लिए कहा गया था किन्तु उन में से एक व्यक्ति बहुत प्रभावशाली था, अतः इस विषय में आयोग की सिफारिश को ठुकरा दिया गया। रेडियो के कलाकारों के बारे में भी ठीक नीति का अवलम्बन नहीं किया जा रहा है। मैं रेलवे मंत्रालय के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। सियालदा डिवीजन में अब भी सैंकड़ों कमकर मकानों के बिना हैं और रद्दी रेल डिब्बों में रह रहे हैं।

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के बारे में स्थिति यह है कि राव समिति ने अपना प्रतिवेदन सितम्बर, १९५३ में प्रस्तुत कर दिया गया था किन्तु यह प्रतिवेदन अभी तक सदन के सम्मुख नहीं आ पाया है। कारण यह है कि इस में एक फर्म को एक करोड़ सौलह लाख रुपया अनुचित रूप से दिए जाने का उल्लेख है।

कुछ महीने हुए जब पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री देहली से लौट कर गए तो उन्होंने वहां जाकर लोगों से कहा कि मैं योजना आयोग से यह आश्वासन ले आया हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गंगा बांध को सर्वप्रथम महत्व दिया जाएगा। गंगा बांध के बिना कलकत्ता बन्दरगाह को हानि हो सकती है और कलकत्ता शहर को पानी मिलने में भी कठिनाई पैदा हो सकती है। हमें यह बताया गया है कि यह परियोजना पाकिस्तान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न पर बातचीत किये जाने के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं की गई है। मैं चाहता हूं कि सदन को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इन बातों में कोई अव्यवस्था न हो।

नाविकों के बीमा के सम्बन्ध में यह बताया गया था कि युद्धकाल में भारतीय नाविकों ने अंग्रेज़ों के जहाजों में काम कर के १४ लाख रुपये कमाये थे जो कि

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

इंग्लैण्ड में हैं। यदि नाविकों के बीमा के लिये कोई योजना हो तो हम उससे यह राशि प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने में बताया कि इस बारे में उसने कोई योजना नहीं बनाई है। चूंकि सरकार ने नाविकों के लिये कोई योजना नहीं बनाई है इसलिये यह राशि हमें नहीं मिल सकेगी।

आय-कर जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि सरकार इसके पास बहुत से मामले नहीं भेजती जिन्हें उसे आयोग के पास भेजना चाहिये। आयोग ने स्वयं सरकार से उसके पास मामले भेजने के लिये कहा जिसके परिणामस्वरूप आयोग ने बहुत सी छिपी आय का पता लगाया। मैं नहीं समझ पाता कि जब आयकर एकत्रित करने के भी पूर्ण प्रयत्न नहीं किये जाते तो सरकार एक वास्तविक योजना कैसे बना सकती है। हमारी कम्पनियों के लाभ दर का देशनांक बढ़ गया है। वित्त मंत्री इन आंकड़ों की जांच कर सकते हैं। आयकर जांच आयोग ने कुछ बड़े उद्योग पतियों का निर्देश किया है जो कर से बचने का प्रयत्न करते हैं।

कुछ दिन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री से यह कहा गया था कि इन पांच वर्षों में हस्पतालों में ५०,००० क्षय रोगियों के रहने के लिये व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि इस काम के लिये ६ करोड़ रूपये के आवर्त्तक अनुदान की आवश्यकता है और लगभग ४० करोड़ रुपये के अनावर्त्तक व्यय की आवश्यकता है। हम भूत-पूर्व नरेशों को उनकी निजी थली के रूप में लगभग ५,८०,००,००० रुपये देते हैं। हम इन लोगों को इतना रुपया देते हैं किन्तु हम क्षय रोगियों के लिये ५०,००० शय्याओं की व्यवस्था नहीं कर सकते क्योंकि हम ६ करोड़ रुपये खर्च नहीं कर सकते। जनता का अच्छा स्वास्थ्य होने से देश में आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति हो सकती है। सरकार तथा वित्त मंत्रालय योजना बनाते हैं। यह एक वित्तीय कार्यक्रम है। यह अवास्तविक है और लोगों की जीवन दशा के समनुरूप नहीं है। इसलिये सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना के प्रचार कार्य पर इतना अधिक धन व्यय करने पर भी जनता में इस योजना के प्रति उत्साह की भावना नहीं भरी जा सकी।

विदेशी पूंजी के विषय में हमें अमेरिका के वाणिज्य विभाग द्वारा प्रकाशित इन्वेस्टमेंट इन इण्डिया (भारत में विनियोजन) नामक पुस्तिका से पता लगता है कि भारत सरकार गैरसरकारी उपक्रमों में विदेशी विनियोजन की बात को मानती है और वह इसके लिये विदेशी विनियोजकों को अच्छी शर्तें देने के लिये तय्यार है। वित्त मंत्री और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने अपने कामों से यह बात स्पष्ट कर दी है कि देश में उद्योगों के विकास के लिये विदेशी विनियोजकों को खुली छूट होगी। आज कल राज्यों के राज्य-पाल तथा मुख्य मंत्री इम्पीरियल केमिकल इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड तथा स्टैंडर्ड बैकुम आयल कम्पनी लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली मारतों का उद्घाटन करते हैं।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया है कि प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री गैर-सरकारी

उद्योगों द्वारा आयोजित समारोहों में भाग नहीं लेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : राज्य पुर्नसंगठन के दो सदस्यों ने, जिन्हें इस प्रश्न के सम्बन्ध में न्यायिक शान्तिचित्तता से काम लेना चाहिये था, भाषान्वार प्रान्तों के बनाये जाने के विरुद्ध अपने विचार प्रकट किये हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्तावना के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है । और इसी बीच पश्चिमी बंगाल तथा बिहार की सीमाओं के पास मानभूम में एक भाषाभाषी समूह का दमन किया जा रहा है । मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न को लेकर बंगालियों तथा बिहारियों में कटु भावना पैदा हो । किन्तु हमारे देश में भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्विभाजन का सिद्धान्त मान लिया गया है । यदि इस समय किसी एक भाषा भाषी समुदाय का दमन किया जाय तो केन्द्रीय सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये ।

उद्योगों के अभिनवीकरण के मामले में हम अपने विचार स्पष्ट कर देने चाहियें । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जब देश में बेकारी बढ़ रही है क्या तब अभिनवीकरण उचित है या नहीं । सरकार हमें यह भी बताये कि वह इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में क्या निश्चित कार्यवाही करेगी। इस समय अभिनवीकरण की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि उपलब्ध पूंजी गत संसाधनों के नये तथा आधारभूत उद्योगों में लगाने की आवश्यकता है । जिन लोगों में लाभ कमाने की भावना है उनके लिये तो अभिनवीकरण महत्वपूर्ण हो सकता है किन्तु जब बेकारी की समस्या बढ़ रही हो तो यह देश के लिये महत्वपूर्ण नहीं है। इस समय तो आधारभूत तथा बड़े बड़ उद्योगों की आवश्यकता है । जब हमारे ऐसे उद्योग होंगे तब अभिनवीकरण हमारे लिये लाभदायक होगा । वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रेक्षक अब भी काश्मीर में जमे हुए हैं । किन्तु इसके लिये स्वयं भारत सरकार और विशेषकर हमारे प्रधान मंत्री ही उत्तरदायी हैं । यदि आप पिछली बातों पर विचार करें तो आप को मालूम होगा कि लार्ड माउंटबैटन के ही कारण हमारे प्रधान मंत्री काश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले गये थे। भारत सरकार के रूख में कड़ाई न होने के कारण हैट और डलवांय जैसे सैनिक अधिकारी मनमानी कार्यवाही करने पर भी साफ़ बच निकले। हमारे प्रधान मंत्री ने न कार्यवाहियों के सम्बन्ध में एक बार भी कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया फिर भी मैं कुछ बातों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से सहमत हूं उदजन बम और एशिया की समस्याओं पर उन्होंने जो दृष्टिकौण अपनाया है मैं उस के लिए उन की प्रशंसा करता हूं । लेकिन हमारी वैदेशिक नीति तभी ठीक हो सकती है जब हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो । क्योंकि जब तक आर्थिक व्यवस्था ठीक न होगी तब तक हम औरों के सामने अपनी वैदेशिक नीति को उस रूप में न रख सकेंगे जिस रूप में हम रखना चाहते हैं ।

मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जब अमिरिका में चीजों के दाम गिर रहे हैं और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है तो फिर हम अपन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के संगठन के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक क्यों न विचार करें । म समझता हूं कि आयोजित अर्थव्यवस्था के साथ दीर्घ-

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

कालीन आधार पर वस्तु-विनिमय समझौते करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है ।

हम इंगलैंड, अमेरिका तथा नार्वे आदि देशों से आर्थिक सहायता लेते हैं। वास्तव में हमारी निर्यात वस्तुओं के दाम गिरा कर ये हमें ठग रहे हैं और इन से सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा हम इनकी अधिक साहयता कर रहे हैं। चूंकि हमारी निर्यात वस्तुओं की मात्रा बहुत अधिक नहीं हैं इसलिए हमें दीर्घकालीन आधार पर वस्तु विनिमय के प्रबन्ध करने चाहियें । रूस, चेकोस्लोवाकिया, पौलैण्ड तथा हंगरी आदि समाजवादी देशों से हमने व्यापार समझौते कर रखे हैं। इन्होंने हमें उन पूंजीगत मालों को देने के लिए कहा है जिन की हमें आवश्यकता है । इन्होंने हमारी वस्तुएं लेने के लिए भी कहा है । इसलिए हमें इस वस्तु-विनिमय व्यापार की बात पर विचार करना चाहिए, क्योंकि शायद ये हमें अन्य स्थानों से न मिल सकें ।

हमारी जो पंचवर्षीय योजना है वह बड़ी ही विगठित है और मुख्यतः गैर सरकारी क्षेत्र पर निर्भर करती है । अतः वास्तव में देखा जाय तो हमारी कोई भी योजना नहीं है । प्रोफेसर बेटेलहेम, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्था में बताया था कि पूंजीवादी देशों में किस प्रकार राष्ट्रीय उत्पादन के साथ ही विनियोग में परिवर्तन होता रहता है । यह विनियोग निश्चित तभी होता है जब कि सभी को रोजगार देने का प्रयत्न किया जाये और एकाधिकार सम्बन्धी कार्यवाहियां आर्थिक असन्तुलन दूर करने में कठिनाई उत्पन्न न करती हों। मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री इन बातों पर ध्यान दें कि हमें किस प्रकार अपनी योजना की पुनर्व्यवस्था करनी चाहिए जिस से हम विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सतर्क रह सकें । हमें अपने खनिज-पदार्थों में उन्नति कर उद्योगों की स्थापना करना चाहिए। हमें इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि जिस से केवल कुछ थोड़े से लोगों का ही भला न हो वरन् सम्पूर्ण देश के हित का ध्यान रख कर चलना है तभी हमें उन का सहयोग मिल सकेगा और वे भी हमारे साथ कष्ट सहने को तैयार रहेंगे । इस प्रकार एक उद्देश्य को सम्मुख रख कर कार्य करने से ही न केवल इसी पीढ़ी का वरन् आगामी पीढ़ी का भी कल्याण हो सकेगा ।

वित्त मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में से ऋण लेकर अर्थात विदेशी सहायता के द्वारा देश का विकास करना चाहते हैं । उन का उद्देश्य घाटे की अर्थ-व्यवस्था से उन्नति करना ह । मैं इस के पक्ष में नहीं हूं । इस का परिणाम देश के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होता । हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था का आधार कुछ ऐसा है कि न केवल पूंजी कमाने की बात कौन कहे जब कि उत्पादन में वृद्धि ही नहीं हो सकती और न उस का उचित उपयोग ही किया जा सकता है । हमारे देश में एकाधिपत्य का बोलबाला है जिस से सम्पूर्ण लाभ कुछ मुट्ठी भर लोगों के, चाहे वे विदेशी हों अथवा यहीं के, हाथ में समा जाता है । इस को रोकना चाहिए। आज हम द्वितीय योजना बनान जा रहे हैं तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पूंजी की और अधिक वृद्धि हो । इतना अवश्य है कि हम लाभ की एक सीमा निर्धारित कर दें और भूमि-प्रथा में वास्तविक सुधार कर दें तो देश की गरीब जनता का निश्चय ही भला

हो सकता है आज जो अपार धन राशि कृषि-क्षेत्र के बाहर अनुत्पादक ढंग से व्यय की जा रही है उस को सरकार उत्पादक मार्ग पर ला सके तो हमारे कृषकों का स्तर उठ सकता है। ऐसा करने से उन की क्रय-शक्ति बढ़ जायगी और हम अपने उत्पादन के आधार पर अपनी स्वयं की योजना बनाने में समर्थ हो सकेंगे। सोना-चांदी तथा अन्य वस्तुयें देश की उतनी बहुमूल्य पूंजी नहीं है जितनी कि वहां की जनसंख्या। इसको उचित रूप से कार्य में लगा कर देश की सर्वतोमुखी उन्नति की जा सकती है। हमारी वर्तमान योजना विदेशी सहारे पर आधारित है और उस से देश का कल्याण होना सम्भव नहीं जान पड़ता। हमें अपने पूर्वस्थान को ग्रहण करना है जिसके लिए इस सरकार को अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने होंगे जिन का उल्लेख मैं ने शीघ्रता में किया है।

श्री बंसल (झज्जर-रिवाड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं चाहता हूं कि आपकी इजाज़त लूं कि मैं अपने विचारों को हाउस (सदन) के सामने हिन्दुस्तानी में रखूं।

अपोजीशन (विरोधी दल) के जो डिप्टी लीडर (उपनेता) हैं उन्होंने अभी बहुत लम्बी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने शुरू किया अमरीका से। उसके बाद उन्होंने बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ (मन्त्रालयों) के ऊपर अपने विचार प्रकट किये और फिर आखिर में वह अमरीका पर ही आ गये। मैं यह सोच रहा था कि वह अमरीका के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो यह मेरी समझ में उनकी तकरीर के आखिर में आया जब कि वह इस बात को लाये कि हिन्दुस्तान वालों को रूस वालों से बार्टर एग्रीमेंट (लेन-देन करार) करना चाहिए। उन्होंने सन् १९५१ की एक इकाफे की रिपोर्ट का हवाला दिया, उस रिपोर्ट को मैं ने भी देखा है। उस रिपोर्ट में यह है कि जो देश अपना कच्चा माल बाहर भेजते हैं आगे चल कर टर्म्स आफ ट्रेड (व्यापार की शर्तें) उनके खिलाफ जाते हैं। मैं अपने भाई को बतलाना चाहूंगा कि अब बहुत कम कच्चा माल हिन्दुस्तान से बाहर जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ा सी चीज़ों को छोड़ कर कौनसा कच्चा माल हिन्दुस्तान से बाहर भेजा जाता है। तो जो उन्होंने अंडर डेवलप्ड (अविकसित) देशों को बात कच्चे माल के एक्सपोर्ट (निर्यात) को लेकर कही थी वह हिन्दुस्तान पर लागू नहीं होती और मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने बगैर सोचे समझे इस बात को इतना तूल क्यों दिया ?

दूसरे उनका ठोस सुझाव था कि रूस वालों के साथ हमारा बार्टर एग्रीमेंट होना चाहिये, ठीक हैं, बार्टर एग्रीमेंट होना चाहिये, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने लड़ाई के बाद जितने बाइलैट्रल ट्रेड एग्रीमेंट्स (द्विपेक्षीय व्यापार करार) हुए हैं उनको जांचा है और क्या उन्होंने यह देखा है कि जितने भी बार्टर एग्रीमेंट्स हमने दूसरे मुल्कों से किये, पिछली लड़ाई के बाद, वह कोई भी सफल नहीं हुआ, वह एग्रीमेंट्स क्यों नहीं सफल हुए, उसके बहुत से सबब हैं, मैं उनकी तफ़सील में नहीं जाऊंगा मगर मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि एक टोटेलिटेरियन एकोनामी (सर्वाधिकारी अर्थ व्यवस्था) हो तो उसका एक्सपोर्ट ट्रेड प्राइवेट सिस्टम (व्यक्तिगत प्रणाली) वाले देश से कभी नहीं कामयाब हो सकता और यह बड़ी वजह है

[श्री वन्सल]

कि बार्टर एग्रीमेंट कभी भी कामयाब साबित नहीं होते । मैं उन लोगों में से हूं जो रूस के साथ, ज़ेकोस्लोवाकिया के साथ और चीन आदि देशों के साथ चाहते हैं कि हमारे व्यापारिक सम्बन्ध दिन पर दिन मज़बूत हों । आखिर हमारी किसी देश से दुश्मनी तो है नहीं । रूस से जो डेलीगेशन अभी आया था, हमने उसका बड़ी अच्छी तरह से स्वागत किया और उनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया, मगर मैं यहां साफ कर दूं कि महज़ ट्रेड एग्रीमेंट कर लेने से ट्रेड नहीं चलती, ट्रेड तो वह चीज़ है जैसे दौनों हाथ से ताली बजती है एक से नहीं बजती, उसी प्रकार से ट्रेड भी चलती है । केवल बार्टर एग्रीमेंट पर साइन (हस्ताक्षर) कर देने और फिर जाकर रूस में चुपचाप बैठ जाने से ट्रेड डेवलप (उन्नत) नहीं होगा । अगर वह चाहते हैं कि हमारी ट्रेड रूस के साथ बढ़े तो उनका फ़र्ज हो जाता है कि वह कोशिश करें और देखें कि कौन कौन कमज़ोरियां व खामियां हम में हैं जिससे कि इनमें आपस की ट्रेड नहीं बढ़ पा रही है और उनको दूर करने का प्रयत्न करें । मैं इस सम्बन्ध में तफ़सील से बयान नहीं करूंगा क्योंकि मेरा समय केवल पन्द्रह मिनट का है, लेकिन मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हाउस में इस तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं वे इस बात के इच्छुक हैं कि रूस, चीन, ज़ेकोस्लोवाकिया और अन्य जितने भी मुल्क हैं उनके साथ हमारी ट्रेड बढ़े और दिन पर दिन बढ़े । मैं ट्रेड की तरफ से भी उनको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमारे देश की ट्रेड चाहती है कि हमारा लेन देन इन मुल्कों के साथ बढ़े और अगर आगे कोई अवसर आया, हमारी ट्रेड आगे बढ़ाने की बात चली तो मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी पूरी पार्टी उनके साथ होगी । ट्रेड को बढ़ाने के लिए उन्हें ठोस सुझाव देने पड़ेंगे । जितने भी बाइलैट्रल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए वह क्यों कामयाब नहीं हुए, इसके बारे में उनको सोचना होगा और उनमें जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिये उनको प्रयत्नशील होना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने उन मेम्बर साहब की तक़रीर के बारे में अर्ज़ कर रहा था, मैं देखता हूं कि मैं अपने असली मज़मून से कुछ थोड़ा सा बहका जा रहा हूं । उन्होंने जो लम्बी चौड़ी दलीलें दी थीं उनमें मैं नहीं पड़ना चाहता, उन्होंने हर एक मिनिस्ट्री को लेकर शुरू से आखिर तक जिस तरह डिमांड्स एण्ड ग्रान्ट्स (मांगों तथा अनुदानों) पर बहस होती है उस तरह से उन्होंने बहस शुरू की । मैं अब चूंकि समय थोड़ा है इसलिये अपने को, यह जो वित्त विधेयक हमारे सामने पेश है और इससे जो सवालात पैदा होते हैं, मैं उन्हीं पर अपना ध्यान रखूंगा । सब से पहले तो मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जितने भी सुझाव इस विधेयक में हैं मैं उनका समर्थन करता हूं । जैसे ही यह बजट वित्त मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने रक्खा था, उसी शाम को बाहर जाकर प्रेस प्रतिनिधियों को उनके जितने भी सुझाव हैं उनके प्रति अपना समर्थन घोषित कर दिया था और जब से मंत्री महोदय ने यह चार्ट्स स्टेटमेंट नम्बर १,२ और ३ हमारे प्लान की प्रगति के बारे में दिये हैं तब से मैं उनके जितने भी सुझाव हैं उनका और भी ज़ोर से समर्थक हो गया हूं । अपने इस समर्थन का सबब मैं थोड़ी देर बाद इस सदन के

सामने रक्खूंगा। अभी मैं एक छोटी सी चीज़, मंत्री महोदय के सामने लाना चाहता हूं और वह यह है कि यह जो आपने रेयन के कपड़े के ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी लगायी है उसको न लगायें तो बहुत अच्छा होगा और उसके बदले में मेरा सुझाव है कि रेयन यार्न जो हम इम्पोर्ट (आयात) करते हैं उस पर इस समय ३६ परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) है, उसको बढ़ा कर ४५ फ़ीसदी कर दें तो उनको एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा मिल जायगा और जितना असन्तोष छोटे २ कारखाने वालों में फैला हुआ है—अमृतसर और सूरत से लोग आये और उन्होंने अपनी कठिनाइयां रक्खीं—अगर मंत्री महोदय मेरा सुझाव मान लें तो उन कठिनाइयों में बहुत कमी हो जायगी। मेरा सुझाव है कि अगर आज एक्साइज़ ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) को हटा दिया जाय और उसके बदले में इम्पोर्ट ड्यूटी ३६ फ़ीसदी से बढ़ा कर ४५ फ़ीसदी कर दिया जाय तो कोई हर्ज बजट में नहीं होगा और जितनी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें जो असन्तोष फैला हुआ है वह आसानी से दूर हो जायगा।

मैं यह अर्ज़ कर रहा था कि इस विधेयक में जितने सुझाव दिये गये हैं उनका मेरे समर्थन करने का एक दूसरा सबब यह है कि जो नक्शा हमारे देश के सामने आज इस पंचसाला योजना का है मैं समझता हूं कि सदन के सदस्यों ने जो तीन टेबुल्स चार्ट्स (तालिकायें) हैं उनको गौर से पढ़ा होगा और उनको ग़ौर से पढ़ने के बाद एक चीज़ जो सामने आती है वह यह है कि अगर हम अपना यह प्लान पांच वर्ष में खत्म करना चाहें, जैसा कि हमें खत्म करना चाहिये तो हमें ८९० करोड़ रुपये की डैफ़िसिट (कमी) करनी होगी। यह एक बहुत बड़ी भारी रक़म है। मैं उन लोगों में से हूं जो यह चाहते हैं और इस बात की कोशिश करना चाहते हैं कि हम यह प्लान (योजना) पूरी तरह से इम्पलीमेंट (कार्यान्वित) करें और उस रास्ते में जितने शार्ट फाल्स (कमियां) हों उनसे हम अपने को बचा कर आगे बढ़ें और मैं चाहता हूं कि २२२५ करोड़ रुपये का जो टार्गेट है वह पूरे का पूरा हमें निभाना चाहिये, और इसीलिये हमें इस बात से मुंह मोड़ना नहीं चाहिये कि ८९० करोड़ रुपय का डफिसिट हम करना पड़ेगा। जब हमें इतना बढ़ा डेफिसिट करना पड़ेगा और उससे जो मुद्रास्फीति या इनफलेशन होगा उसको रोकने का क्या इलाज है? उसका उपाय यही है कि जो क्रय शक्ति देश में दें उस क्रय शक्ति को दूसरे रास्तों से वापिस लें। एक तरीक़ा एक्साईज ड्यूटी का है, दूसरा तरीका इनकमटैक्स का है और तीसर तरीक़ा लोन्स (ऋणों) का है, एक्साइज़ ड्यूटी के सम्बन्ध में विधेयक में जो सुझाव दिया गया है मैं उसका समर्थन क्यों कर रहा हूं, उसका सबब यह है कि इस समय इनकमटैक्स को बढ़ाने के लिये कोई मांग नहीं आनी चाहिये और उसकी एक ख़ास वजह है और उसे हमारे वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी अच्छी तरह से रक्खा है कि यह टैक्सेशन (करारोपण) का सारा सवाल एक टैक्सेशन कमीशन (करारोपण आयोग) के सामने पेश है और वह बड़ी ग़ौर से इस बात को देख रहा है कि आखिर किस तरह का हमें टैक्सेशन स्ट्रचर (कर-सम्बन्धी ढांचा) यहां पर क़ायम करना चाहिये जो कि इस प्लान को मद्देनजर रखते हुए बेस्ट पास्बिल रेज़ल्ट्स (यथासम्भव सर्वोत्तम परिणाम) हमें दें और जब कि वह आयोग इस सारी चीज़ को बड़ी गौर से देख रहा है औ इसी

[श्री बंसल]

के लिये वह नियुक्त किया गया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि यह उचित होगा कि हमारे मंत्री महोदय इस वक्त वर्त्तमान टैक्सेशन के ढांचे को एकदम बदल दें और इस बात का इन्तज़ार न करें कि उस आयोग की हमारे सामने रिपोर्ट आये ताकि हम ग़ौर से सोचें और यह भी विचार करें जो ८९० करोड़ रुपये का इनफलेशन (मुद्रा-स्फीति) इस डेफिसिट फाइनेंसिंग (घाटे की अर्थव्यवस्था) के द्वारा होगा, उसके असर को हमें किन तरीक़ों द्वारा रोकना होगा । उसका तरीक़ा यह है कि जिस जिस सेक्टर (क्षेत्र) में वह रुपया बढ़े उस सेक्टर से हम उस रुपये को वापिस ले लें और उसका एक सबसे अच्छा तरीका हमारे ख़याल में यह है कि एक्साइज़ ड्यूटी चीज़ों पर लगती है और वह उन लोगों को देनी पड़ती है जो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत से मेरे भाई यह कहते हैं कि आखिर ये जूते पर क्यों इस तरह का कर लगाया जाय ? पहले तो जो जूतों के ऊपर कर लगाया गया है वह हर एक जूते पर नहीं लगा है, जो छोटे २ घरेलू उद्योगों द्वारा जूते बनाये जायेंगे वह इस टैक्स से बरी कर दिये जायेंगे और सिर्फ़ उन्हीं जूतों पर कर लगेगा जो बड़े २ कारखानों में बनते हैं और हमारे वे भाई जो इन बड़ी २ कम्पनियों के बनाये जूते पहिनना चाहते हैं और खर्च कर सकते हैं उनका यह फ़र्ज़ हो जाता है कि सरकार को खास तौर पर जब कि वह इतना इनफ़लेशन कर रही है तो उसमें थोड़ा सा हिस्सा बंटायें और टैक्स (कर) के रूप में सरकार को दें ।

दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि यह जो ८९० करोड़ रुपये का डेफिसिट हमें इन पर करना है, क्या वह करने के बाद भी हम २२४४ करोड़ रुपये के टार्गेट (लक्ष्य) को इन पांच वर्षों में पूरा कर लेंगे, मुझे तो इन चार्ट्स को देखने के बाद ज़रा भी शक नहीं है कि अगर हमारे वित्त मंत्री और हमारी सरकार इस बात के ऊपर बिल्कुल उतारू हो जाय कि हमें यह प्लान पूरा करना है तो मुझे कोई शक नहीं मालूम होता कि बावजूद इसके कि हमारा प्लान इन तीन वर्षों में काफी पिछड़ गया है, उसको पूरा किया जा सकता है ।

४ म० प०

मैं बताऊं क्यों । पहले साल हम ने २६२ करोड़ रुपये खर्च किये, दूसरे साल २७१ करोड़, तीसरे साल ४११ करोड़ खर्च किये । यानी दूसरे और तीसरे साल के बीच में जो हम ने अपनी प्लेन को बढ़ाया वह करीब करीब १४० करोड़ रुपये से बढ़ाया । इसी तरह अगर हम तीसरे और चौथे साल के जो ५६४ करोड़ रुपये के बजेटेड फिगर्स (आयव्ययक के आंकड़े) हैं उन को देखें तो उन में हमने १५३ करोड़ रुपये से बढ़ाया । इसी तरह से अगर हम आखिरी साल के ७३५ करोड़ रुपये के खर्च को ले कर अपनी प्लेन को पूरी करना चाहें तो हमें १७१ करोड़ रुपये से बढ़ाना पड़ेगा । मैं मानता हूं कि यह दरें कुछ थोड़ी ज्यादा हैं बमुकाबले इस के कि अगर हम ने प्लेन को पहले से ठीक तरह से बराबर चलाया होता । लेकिन फिर भी मैं इन को इतना ज्यादा नहीं समझता कि हम मायूस हो कर बैठ जायें, जैसा कि पिछले दिन हमारे वित्त मंत्री ने कहा । मुझे वह चीज़ अच्छी नहीं लगी । उन्होंने कहा कि हम प्लेन को ८०-८५ परसेन्ट तक ही निभाने पायेंगे ।

और यह मुझे इस लिये नहीं भाई कि मैं इस में मायूसी देखता हूं, और मायूसी के साथ साथ मैं इस में यह देखता हूं कि अगर हम ने ढीलापन अखत्यार किया तो जो हमारी पांच वर्ष की प्लेन है उस में ६ वर्ष लग जायेंगे। यह चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस के पीछे एक कहानी है, वह मैं बताउं।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, मैं ने कहा था कि हम योजना को कम से कम ८५ प्रतिशत अवश्य पूरा कर लेंगे इसका तात्पर्य यह नहीं समझा जाना चाहिये कि हम केवल ८५ प्रतिशत तक ही सीमित रहेंगे।

श्री बंसल : आप को धन्यवाद कि आप ने जो मेरी बड़ी भारी शंका थी उस को दूर किया। मैं तो आप को अपनी पूरी सपोर्ट देना चाहता हूं कि आप पांच वर्ष में इस प्लेन को पूरा करें। आखिर कोई भी प्लेन हो, बगैर जनता को तकलीफ़ हुए, आप उसकी प्लेनिंग नहीं कर सकते। जितने भी दूसरे मुल्कों के उदाहरण हमारे सामने हैं, आप देखेंगे कि उन सब में यह बात हुई। रूस में प्लेनिंग हुई, वह केवल टिग्रर और टायल (कठोर परिश्रम) से ही नहीं हुई बल्कि उस में ब्लड भी शामिल था। और भी देशों में जहां पर प्लैनिंग हुई वहां टिग्रर और टायल बहुत ज़्यादा शामिल रहा। इस लिये यदि हमारे देश में इतनी मुद्रा स्फीत करने के बाद भी जनता को कुछ थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो उस को तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आप यह चाहें कि हमारे रहन सहन का मेआर पांच वर्षों में कुछ थोड़ा सा बढ़ जाय, आप यह समझें कि बगैर कुछ किये हुए, बगैर कुछ तकलीफ उठाये बगैर कुछ सैक्रिफाइस किये हुए यह हो जाय, तो यह नामुमकिन बात है और हमें अपने को इस भुलावे में हर्गिज़ नहीं रखना चाहिये। इस लिये मैं तो, जो भाई इस तरफ बैठे हुए हैं उनका फर्ज़ तो है ही, जो उस तरफ बैठे हुए हैं, उन से भी अपील करता हूं कि वह इस प्लैन को कामयाब बनाने में पूरी सहायता सरकार को दें। यह नहीं कि अभी जैसे हमारे माननीय मुकर्जी साहब खड़े हुए और उन्होंने प्लेन के ऊपर तो कुछ कहा नहीं, पर रूस और अमरीका की बात कहने लगे और जो दो चार इधर उधर की मिनिस्ट्रियों (मंत्रालयों) में कमियां हैं उन की बात कहने लगे।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम) : लोकसहकारिता की समिति के सम्बन्ध में क्या हुआ उस की तो दो वर्षों में एक ही बैठक हुई है?

श्री बंसल : इसका जवाब तो मंत्री महोदय देंगे। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ भी हमारी सरकार इस प्लेन के बारे में कर रही है वह सब ठीक ही कर रही है। सदन को यह मालूम है कि मैं इस बात के ऊपर कि हमारी प्लैन करीब करीब २०० करोड रुपये से चार वर्षों में पिछड़ी जा रही है, सरकार का बड़ा भारी क्रिटिक रहा हूं। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कि यह बात मुझे भाई नहीं कि वित्त मंत्री ने हाउस के सामने बताया कि इस तरह से ज्यादा ऐलोकेशन्स (नियतन) हुए हैं और वह अनयूटिलाइन्ड (अव्यवहृत) रहे। यह बात ठीक है कि कुछ दूसरी मिनिस्ट्रियों की कमज़ोरियों की वजह से जो ऐलोकेशन्स थे वह अनयूटिलाइज्ड रहे हैं मैं यह नहीं कहता कि इस में फाइनेन्स मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय) का कसूर है, यह सारे ढांचे का कसूर है, जो हमारा ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप है, मैं उस का कसूर समझता हूं। जब तक हम इस

[श्री बंसल]

ढांचे को नहीं बदलेंगे और ऐसा ढांचा नहीं बनायेंगे जो कि इस प्लैन को एग्जिक्यूट कर सके, तब तक मैं समझता हूं कि जनता का स्तर भी नहीं ऊंचा होगा और हमारी प्लैन है वह पेपर (कागज) ही पर रह जायेगी। मैं आप को बतलाऊं, हमारी जो एकानामिक कमेटी आफ दी कैबिनेट है वह बनी, प्रोडक्शन कमेटी आफ दि कैबिनेट है, वह बनी। प्रोडक्शन कमेटी आफ दि कैबिनेट (कैबिनेट की आर्थिक समिति) शायद एक बार भी अच्छी तरह से नहीं बैठी, या शायद एक आध बार बैठी हो। तो जो हमारे प्लैनिंग के अंग हैं, जो कि इस प्लैनिंग के लिये ही बनाये गये हैं, जब तक उनमें कोआर्डिनेशन (एकरूपता) नहीं आयेगा, जब तक प्लैन को एग्जिक्यूट (कार्यान्वित) करने की भावना दृढ़ नहीं होगी, तब तक हमारी प्लैन आगे नहीं बढ़ सकती। इसी-लिये मेरा सुझाव है कि हम को इस ऐड-मिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) के ढांचे को, इस प्लैन के एग्जिक्यूट करने वाले ढांचे को बदलना है। मैं कोई भी सैक्रिफाइस ऐसी नहीं समझता जो कि इस के लिये नहीं की जा सकती। हमको हर ऐसी चीज़ को हटाना चाहिये जो कि इस प्लैन को सक्सेसफुल करने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाली हो।

मैं ने दो सुझाव रक्खे। एक तो हमें इस प्लैन को पांच वर्ष के भीतर ही भीतर पूरा करना चाहिये और इस में जितनी भी रुकावटें आयें, उन सब पर हमें हावी होना चाहिये। दूसरा सुझाव यह है कि हमें अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप में इस प्रकार से रद्दो बदल करना चाहिये कि वह इस प्लैन के लिये एग्जिक्यूटिव बन जाय।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि हम सरकार के जो बहुत से अंग हैं, यानी प्लैनिंग कमिशन, एकानमिक कमेटी आफ दि कैबिनेट और प्रोडक्शन कमेटी आफ दि कैबिनेट, इन सब में एक बड़ा सामंजस्य होना चाहिये, उन में कोआर्डिनेशन होना चाहिये ताकि इस काम में जो रुकावट आज कल हमें पड़ती हुई नजर आती है, वह न रहे।

मैं ने कुछ उदाहरण अपने सामने रक्खे, जिन में जितना रुपया था वह खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं था कि उन में ऐलोकेशन न रहा हो, सब के लिये ऐलोकेशन्स थे और वह सब ऐसी चीज़ें थीं जिन पर कि देश का निर्माण निर्भर करता है। पेनिसिलीन फैक्ट्री के लिये ६४ लाख रुपये मंजूर हुए और ३० लाख रुपये लगाये गये, मैशीन टूल्स फैक्ट्री के लिये १४३ लाख रुपये मंजूर हुए और केवल ५० लाख रुपये उस में लगाये गये, हेवी इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट के लिये एक लाख रुपये ऐलोकेट हुए, उस में से सिर्फ ५०,००० रुपये खर्च किये गये। इस के अलावा कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स (सामुदायिक योजनाओं) लोकल वर्क्स और इंडस्ट्रियल हाउसिंग (औद्योगिक आवास) इत्यादि के लिये १७ करोड़ रुपये रक्खे थे, लेकिन खर्च हुए सिर्फ ८ करोड़, ७२ लाख रुपये। ५० करोड़ रुपये रक्खे गये थे फार दि डेवेलपमेन्ट आफ बेसिक इन्डस्ट्रीज़ ऐंड ट्रान्सपोर्ट। प्लैन के शुरू में यह रक्खा गया था और खर्च का तखमीना है सिर्फ ५० लाख रुपया। इस साल के एक्स्प्ले-नेटरी मेमोरेन्डम में कहा जाता है कि:

"भारत सरकार ने हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट के लिये कारखाना बनवाने के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया है।" ५० करोड़ रुपये ऐलोकेट (नियत) के बाद प्लैन के चौथे वर्ष में वह प्रपोजल रिवाइव

किया जाता है । अगर हमारी यह हालत है तो हमारी प्लैन नहीं चल सकती और इसी लिये मेरी अपील अपनी सरकार से, वित्त मंत्री से ही नहीं, अपनी सरकार से है कि वह इस प्लैन को जरा ज्यादा सीरियसली ले और इस में जितनी जितनी स्कीमें हैं उन को पूरी करे ।

सवाल पूछा गया, मुकर्जी साहब ने पूछा कि प्राइवेट सेक्टर इस में क्या कर रहा है ? प्राइवेट सेक्टर के लिये २३३ करोड़ रुपये की इन्डस्ट्रियल डैवेलपमेन्ट ऐंड एक्सपैन्शन (औद्योगिक विकास तथा विस्तार) के लिये प्लैन में व्यवस्था की गई थी । मैं ने कुछ आंकड़े देखे हैं वह वे आंकड़े हैं जिन के लिये इन्डस्ट्रियल डेवेलपमेन्ट ऐंड रेगुलेशन ऐक्ट के अन्तर्गत नये अन्डरटेकिंग्स (उद्योग) और पुराने अन्डरटेकिंग्स के एक्सपैन्शन (विस्तार) के लिये परमिशन (अनुमति) लेनी पड़ती है । यह आंकड़े ११५ करोड़ रुपये के हैं । इस प्रकार से अगर आप देखिये तो पांच वर्षों में ३०० करोड़ से ज्यादा इस प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा होगा हमारी प्लैनिंग में । मैं इस को बहुत कम नहीं समझता । यह काफी भाग है जिस को वह ले रहे हैं ।

मैं जानता हूं कि जिन ४२ इन्डस्ट्रीज का प्लैन में जिक्र किया गया है उन में जिस तरह से तरक्की होनी चाहिये उस तरह से नहीं हो रही है । मगर मैं पूछना चाहता हूं अपनी सरकार से कि अगर वह तरक्की उन में नहीं है तो क्या पिछले तीन वर्षों में कभी भी प्लैनिंग कमिशन (योजना आयोग) ने इन्डस्ट्री वालों को बुला कर कहा कि आप क्यों अपने टार्गेट को पूरा करने में कमजोरी महसूस करते हैं ? क्या कभी उन को बुलाया गया और उन की दिक्कतों को पूछा गया ? कभी उन को बुलाया गया और उन को उन की जिम्मेदारियां बताई गईं कि तुम ने यह वायदा किया था और हमारी प्लैन जिस को अच्छी तरह से चलाना चाहिये था वह नहीं चल रही है तो उस में बाधा क्या है ? जहां तक मुझे पता है कि ४२ इन्डस्ट्रीज में से एक आध को बुला कर अगर पूछा हो तो पूछा हो, वरना जहां तक मुझे मालूम है किसी को बुला कर नहीं पूछा ।

तो अगर हमारा यह प्लान है तो उस को हमें प्लानिंग के तरीके से चलाना होगा । इस तरह यह नहीं चल सकता कि एक किताब में यह लिख दें कि यह प्राइवेट सेक्टर करेगा, यह फलां मिनिस्ट्री करेगी, यह स्टेट गवर्नमेंट करेगी और आप चुपचाप बैठे रहें । प्लान का मतलब यह है कि उस प्लान को निभाने के लिए जितने भी अंग हैं उन सबका बराबर कोआर्डिनेशन होना चाहिये । अगर आप उनको बार बार बुलाते रहें, डाइरेक्शन देते रहें और उनको साथ चलाते रहें तब तो प्लान चल सकता है लेकिन अगर यह सिर्फ किताब में ही लिख रक्खा जाय तो यह प्लान नहीं चलेगा । प्लान का यह मतलब नहीं है कि एक किताब लिख दी और फिर सब लोगों पर छोड़ दिया कि वह उस को चलावें । यह चीज़ उस वक्त खास तौर पर ज़रूरी हो जाती है जब कि आप डेफिसिट फाइनेंसिंग करने जा रहे हैं ।

आप पांच साल में ९०० करोड़ का डेफिसिट फाइनेन्सिंग करने जा रहे हैं । इस डेफिसिट फाइनेन्सिंग के मसले पर मैं दो एक सवाल अपने वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं । वह यह कि इधर तीन वर्षों में २२५ करोड़ का डेफ़िसिट फाइनेन्सिंग हुआ है और इस के नीचे जो एक नोट लिखा हुआ है उसमें यह है कि

[श्री बंसल]

९० करोड़ रुपया पब्लिक ने एबजार्ब किया। तो बचता है १३५ करोड़ रुपया। लेकिन जब मैं रिजर्व बैंक के आंकड़े देखता हूं तो मुझे यह १३५ करोड़ की बढ़ोत्तरी कहीं मालूम नहीं दे ी है। नोट्स इन सरकुलेशन एट दी एंड आफ मार्च (मार्च १९५१ के अन्त तक चलने वाले नोट) में है १२०४ करोड़ और २६ मार्च १९५४ में वह है ११८६। वह घट जाता है बढ़ता नहीं। मार्च ५२ और ५३ के बीच में बढ़ता है और मार्च १९५३ और ५४ के बीच में बढ़ता है लेकिन मार्च १९५१ से नहीं बढ़ता। बीच में जो बढ़ोत्तरी होती है वह १३५ करोड़ की नहीं है। १९५१ के मुकाबिले में आजकल १८करोड़ कम है,१९५२ के मुकाबिले में ८७ करोड़ ज्यादा है और १९५३ के मुकाबिले में ५३ करोड़ ज्यादा है। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आंकड़ों में थोड़ा सा फर्क है इसकी क्या वजह है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस चीज़ का मारकेट पर असर पड़ता है। मैं यह नहीं कहता कि जब आप डेफिसिट फाइनेन्सिंग करते हैं तो उसका असर मारकेट पर नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब आप इतने बड़े पैमाने पर डेफिसिट फाइनेन्सिंग करने जा रहे हैं तो आप को प्राइस ट्रेन्ड पर भी निगाह रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं ने वित्त मंत्री की स्पीच में इसका जिक्र नहीं पाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह काशन नहीं रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बात की ज़रूरत है कि हम प्राइस ट्रेंड्स (मूल्य तालिका) को वाच करें और आप का टच मारकेट से रहना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपका टच मारकेट से है या नहीं लेकिन यह चीज़ जरूरी है। आपका प्राइस इंडेक्स (मूल्य तालिका) इस काबिल नहीं है कि उस पर बहुत रिलाई (विश्वास) किया जाय। वह बहुत पुराना बना हुआ है और वह एसे सेंटर्स (केन्द्रों) से कलेक्ट किया जाता है कि गलत आंकड़े मिलते हैं। इसलिए जब तक आप अपना प्राइस इंडेक्स न सुधारें तब तक तो यह और भी ज़रूरी है कि आपका मारकेट से टच रहे और खास तौर से जब कि आपको इन अगले दो वर्षों में नियंत्रण रखना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर आप इतना डेफिसिट फाइनेन्सिंग करने जा रहे हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वह लड़ाई की तरह का नियंत्रण होगा तो आप की प्लान कभी नहीं चल सकेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो नियंत्रण लगायें उसके बारे में अभी से बैठकर बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर लें और उन लोगों के साथ बैठकर यह करें जिनका काम मारकेट के ट्रेंड को देखने का है और उनसे विचार विमर्ष करके आप इस बात का अन्दाजा लगायें कि किस किस प्रकार का नियंत्रण हम को करना चाहिए। कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि फिजीकल कंट्रोल हो, हालांकि मैं उसके भी बहुत खिलाफ नहीं हूं। अभी चीनी के दाम तेजी पर चल रहे थे तो खाद्य मंत्री ने बाहर से चीनी मंगाई। यह बहुत अच्छा नियंत्रण है। प्लान को पूरा करने के लिए आप को इसी तरह का नियंत्रण करना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से सोचें। ऐसा न हो कि एक महीने बाद दरें बढ़ें और आप बिना सोचे समझे नियंत्रण कर दें और उसका अच्छा असर होने के बजाय बुरा असर हो। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि इस नियंत्रण के मसले को आप अच्छी तरह से सोचिये और उसके लिए तैयार रहिये। मैं चाहता हूं और सारा देश चाहता है कि हमारा

प्लान ठीक तरह से चले क्योंकि अगर यह ठीक तरह से नहीं चलेगा तो आप बेकारी के मसले को हरगिज तै नहीं कर सकते।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम): मैं इस विधेयक की पूर्णतया विरोधिनी हूं। प्रतिवर्ष मैं देखती हूं कि सरकार कुछ न कुछ बहाना निकाल कर नये-नये कर लगाती जा रही है। वित्त देश का जीवन है और कर-दाता उसका आधार। न्हीं दोनों के चारों ओर आज की सम्पूर्ण वित्त-व्यवस्था घूम रही है और वित्त मंत्री के इशारे पर ही तो सारे देश की शान्ति एवं सम्पन्नता नाचती है। हमारा भाग्य-चक्र चलाने वाले वित्त मंत्री ही हैं जिन्हें आये दिन जनता को नये कर-भार से लाद देने में ही संतोष है। यह उनकी वित्तीय नीति है। सम्भवत: देश की सुदृढ़ मुद्रा नीति के लिये वह घाटे का आय-व्ययक रखते हैं और उसकी पूर्ति करों में वृद्धि के द्वारा करना चाहते हैं। मुझे यह स्पष्ट कहते हुए खेद होता है किन्तु मैं ऐसा कहने के लिये विवश हूं क्योंकि ये कर हमारे देश के गरीब लोगों के गले पर कुल्हाड़ी की मार वाली चोट पहुंचाते हैं।

मैं ने अभी जो अफवाह कैबिनेट में मत-भेद की सुनी है वह सम्पूर्ण विश्व के लिये आश्चर्यजनक है।

एक ओर वित्त मंत्री विदेशी पूंजी की बात करते हैं और प्रधान मंत्री अपनी गौरव की रक्षा के लिये राष्ट्रीय ऋण की मांग करते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि किस की बात मानी जाय। वित्त मंत्री मुझे क्षमा करें उनकी कार्य-वाही तो मुझे कुछ पंचमार्गियों जैसी जान पड़ती है। सरकारी नीति की पुष्टि के लिये इसको अस्वीकार करना आवश्यक है।

एशिया तथा यूरोप के देशों में विदेशी सहायता के जो परिणाम निकले हैं उनसे वित्त मंत्री परिचित हैं। इसलिये हमें तो अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिये अपने ही देश का सहारा लेना चाहिये भले ही इसमें कुछ समय अधिक लग जाय किन्तु विदेशों का मुंह ताकना मैं अच्छा नहीं समझती हूं। जब हमने इतने दिनों तक सतत युद्ध करके स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली तो फिर इस सहायता के लिये हम अपनी स्वतन्त्रता को संकट में क्यों डाल दें। इस लिये मैं इस प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: वह कृपया मेरी ओर सम्बोधन करें।

कुमारी एनी मस्करीन: अपने बजट भाषण की प्रस्तावना में माननीय मंत्री ने अपने मंत्रालय की प्राप्तियों के गुण गाए हैं तथा अन्त में कांग्रेस सरकार की प्राप्तियों के गुण गाए हैं किन्तु उन्होंने इन दो चीज़ों के बीच में अधिक कर लगाने की अपनी प्रस्थापनाएं भी पेश की हैं।

माननीय मंत्री ने सरकार की जिन प्राप्तियों का वर्णन किया है उन से न केवल हम सहमत हैं अपितु हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। शरणार्थी समस्या तथा ५०० देशीय राज्यों के एकीकरण की समस्या को जिस सफलता से हल किया गया है उस की हम सराहना किये बिना नहीं रह सकते हैं। यह सब कुछ सही है।

अब हम चित्र के दूसरे पहलू को देखते हैं। गत सात वर्षों में केन्द्रीय सरकार की कुल आय रेलवे बजट से तथा सामान्य बजट से ५८८५ करोड़ रुपये रही है। यदि हम भारत के सभी राज्यों की आय को ले लेंगे तो यह गत सात वर्षों में लगभग ३५,००० करोड़ रुपये के बराबर आ जाती है। ऐसी दशा में मैं माननीय वित्त मंत्री से

[कुमारी एनी मस्करीन]

पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो चित्र खींचा है क्या वह ऊपर उल्लिखित राशि को देखते हुये संतोषजनक है। यह संतोषजनक नहीं है, पर्याप्त नहीं है तथा जितना अच्छा यह होना चाहिये था उतना नहीं है। कारण क्या है ?

मैं ने कुछ शरणार्थी बस्तियां देखी हैं वहां क्वार्टरों में बड़ी भीड़ रहती है।

जहां तक परियोजनाओं का सम्बन्ध है अभी तक एक भी परियोजना पूरी नहीं हुई है जिससे कि देश को लाभ पहुंचता। चीन दो ही वर्षों में कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर सका है।

प्रत्येक सरकारी विभाग में फ़जूलखर्ची हो रही है तथा कई एक विभागों में भ्रष्टाचार का दौर दौरा है। लोक लेखा समिति की उपपत्तियां इस बात को सिद्ध करती है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जहां कि सरकार पैसा बचा सकती थी। इस समिति ने प्रशासकीय लेखा-परीक्षा प्रणाली अपनाने की सिफारिश की थी, परन्तु वैदेशिक कार्य मंत्रालय को छोड़ कर किसी भी अन्य मंत्रालय ने यह प्रणाली नहीं अपनाई। प्रतिरक्षा सेवाओं से सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि निश्चित टैंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है आदि जिसके परिणामस्वरूप सरकार को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा है। यह एक अफसोसनाक बात है।

इस के अलावा १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में लगभग सात करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तथा इस राशि को बट्टे खाते में डाला गया है।

इसी तरह से रेलवे से सम्बन्धित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भी अनधिकृत व्यय के मामले पेश किये गए हैं।

नांगल में इंजीनियरों की गोष्ठी से सम्बन्धित रिपोर्ट में भी कम उत्पादन, अधिक खर्चा आदि की शिकायत की गई है।

अब नई करारोपण प्रस्थापनाएं हमारे सामने रखी गई हैं। राज्य के पास पर्याप्त आय भी है तथा परियोजनाएं भी हैं। परन्तु योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई ढांचा तैयार नहीं किया है जिस की सहायता से कि इन्हें ध्यानपूर्वक क्रियान्वित किया जा सकता। सचिवालय में नौकर-शाही का दौर दौरा है। यही चीज लोक-तंत्र को बदनाम कर रही है। पहले इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा फिर करारोपण की प्रस्थापनाएं पेश की जानी चाहियें। इसलिए, श्रीमान् मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : श्रीमान्, कम्युनिस्ट पार्टी के उप-नेता ने अपने भाषण में कहा कि देश की वर्तमान आर्थिक नीति इसकी विदेश नीति के संगत नहीं है। एक ओर वह यह कह रहे हैं कि हम पश्चिमी देशों से सहायता ग्रहण कर रहे हैं तथा दूसरी ओर वह कह रहे हैं कि हम उन्हें कच्चा माल भेज कर सहायता दे रहे हैं। यह दोनों बातें परस्पर विरोधी दीख पड़ती हैं।

हमारे देश ने कुछेक विदेशी मामलों के सम्बन्ध में जो नीति अपनाई है उसे देखते हुये शायद वह यह समझते होंगे कि भारत कम्युनिस्ट गुट के समीप आ रहा है। जभी तो विदेशों से सहायता प्राप्त करने की बात उन्हें कुछ असंगत लगी। वर्तमान युग में सारे देश परस्पराश्रित हैं। भारत सारे विश्व को देता भी रहा है तथा इस

से लेता भी रहा है। आज उसकी जो सहायता की जा रही है वह उसकी महानता को तथा उसकी जीवन शक्ति को ध्यान में रखते हुये की जा रही है। कमज़ोर देश ही विदेशी सहायता को आत्मज्ञात नहीं कर सकते हैं। परन्तु यदि आप में शक्ति हो तो आप सहायता ले भी सकते हैं तथा दे भी सकते हैं। सहायता ग्रहण करने से हमारी प्रतिष्ठा में कोई फर्क नहीं आया है और न आयेगा। अतः वित्त मंत्री को अपनी नीति में परिवर्तन करने के लिए कहना अनुचित है। हमारा राष्ट्रीय-जीवन एक निरन्तर धारा की भांति चला आ रहा है। कोई विदेशी विचारधारा इस का रुख मोड़ नहीं सकती है। भारत के लिए वह एक कुलषित दिन होगा जब कि यहां की जनता इस का रुख मोड़ने का फैसला करेगी।

श्रीमान्, बजट प्रस्थापनाओं पर यहां लम्बी चर्चा हुई है। परन्तु इसके एक महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया है। यद्यपि लोकतंत्रीय ढ़ांचे के आधार पर आयोजन करने में हम ने अपनी योग्यता दिखाई है, फिर भी मैं समझता हूं कि आयोजन के काम में कुछ संघटन तथा सामूहीकरण की बातें भी आ जानी चाहियें। यदि यह चीजें इस में न आजायेंगी तो आयोजन का काम उतना प्रभावी न होगा। इस सम्बन्ध में मैं तीन अथवा चार बातों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पहली बात विचारधाराओं का संघर्ष है। कम्युनिस्ट दल के एक माननीय सदस्य ने अभी बताया कि हमें एक होकर तथा संगठित हो कर काम करना चाहिये। कहने को तो यह बात ठीक है। परन्तु जब हम देखते हैं कि राष्ट्र-ध्वज तथा अन्य बातों के प्रति उनका क्या रवैया है तो लोगों का यह कहना ठीक ही प्रतीत होता है कि वह देश की सीमाओं से बाहर कहीं और से प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि वह गलत रास्ते पर जा रहे हैं तथा वह राष्ट्र जीवन की धारा को मोड़ नहीं सकते हैं। वह देश की प्रतिभा तथा इसके आदेशों के विरुद्ध जा कर उलटी गंगा बहा नहीं सकते हैं। उन्हें यह बात समझनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि देश में ऐसे साहित्य तथा ऐसी फिल्मों की भर मार है जोकि हमारे युवकों के मन को भ्रष्ट करती हैं तथा इन से उनका नैतिक पतन होता है। हमें इस विपदा का निवारण करना चाहिये जिस से कि हमारी शक्तियां नष्ट भ्रष्ट न हो कर रचनात्मक कार्यों की ओर लग जायें।

अन्त में हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि कोई धन नाश न होने पाये। वित्त मंत्री जी का काम निस्सन्देह दुःसह है। हमें सारे राष्ट्र की उन्नति करनी होगी। अन्यथा यदि इस में कोई विलम्ब होगा तो हमारी मुसीबतें बढ़ती जायेंगी।

मैं दो एक और बातों की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति पहले हमें इस बात का फैसला करना चाहिये कि वित्त विधेयक के प्रथम वाचन के लिए कितना समय रखा जाय, द्वितीय वाचन के लिए कितना समय रखा जाय तथा तृतीय वाचन के लिए कितना रखा जाय। मैं भाषणों के लिए समय सीमा भी निश्चित करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे सदस्य बोलना चाहते हैं। पहले हम तृतीय वाचन को लेते हैं इस के लिए कितना समय रखा जाना चाहिये ?

कुछ माननीय सदस्य : एक घंटा ।

डा० लंका सुन्दरम : दो घंटे । गत वर्ष भी इतना समय रखा गया था ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : सामान्य चर्चा में अधिकांश सदस्य भाग लेने के लिए उत्सुक हैं । सामान्य चर्चा और तृतीय वाचन में अधिक अन्तर नहीं है । सामान्य चर्चा के लिए हम तीन दिन नियत करने को तैयार हैं । चूंकि संशोधन अथवा परिवर्तन के लिए विवादास्पद खण्ड नहीं हैं मेरा विचार है कि खण्डवार विचार कर और तृतीय वाचन के लिए भी चार घंटे पर्याप्त रहेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस लिये अब अन्तिम घन्टा तृतीय वाचन में लगाया जायेगा । तीन घन्टे खण्डवार चर्चा के लिए नियत हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : सामुदायिक योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्य संचालन के सम्बन्ध में मैं कुछ विचार उपस्थित करूंगा । यह सर्वविदित तथ्य है कि जिस क्षेत्र में राष्ट्रीय विस्तार सेवा का संचालन किया जा रहा है वहां सहकारिता आन्दोलन कृषकों को अधिक ऋण सुविधाएं प्रधान नहीं कर सका है । हमें मालूम है कि देश में अभी भूमि का प्रश्न हल नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप उन्हें सहकारी संस्थाओं से ऋण नहीं मिलेगा । जब तक कृषकों को रुपया उधार नहीं मिल सकता है उन्हें राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में पुनर्वासित करना दुष्कर है ।

एक और बाधा है । इन क्षेत्रों में कई मील लम्बी सड़कें ऐच्छिक श्रम द्वारा बनाई जा रही हैं । निर्वहनार्थ यह सड़कें स्थानीय निकायोंके सुपुर्द की जा रही हैं । जब तक सरकार इन सड़कों के निर्वहन के लिए स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता नहीं देती है जनता के श्रम से तैयार की गई यह सड़कें बरबाद हो जायेंगी । स्थानीय संस्थाएं तो जनता के लिए सामान्य सुविधाएं भी नहीं जुटा पाई हैं । मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सड़क निधि को सड़कों को बनाए रखने के लिए अधिक रकम देना चाहिए । राष्ट्रीय राजपथों के लिए नियत राशि में कमी की जा सकती है क्योंकि उन में एकदम मरम्मत की आवश्यकता नहीं है लेकिन ग्रामों की सड़कों का विकास ग्रामों के पुनर्वास की दृष्टि से नितान्त आवश्यक है ।

श्री थानू पिल्ले (तिरुनेलवेली) : बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारी वित्तीय नीति का आर्थिक स्वरूप कुछ इस प्रकार का है कि कोई अव्यवस्था न हो और जनता की अधिक सहायता की जा सके । इसी आशय से पंचवर्षीय योजना की रचना की गई है जिसे राष्ट्रीय समृद्धि की बाइबिल कहा जाता है । योजना के रचयिताओं ने कार्यान्विति की पद्धतियों के विषय में सुन्दर लेख लिखे हैं । उन्होंने कहा है कि योजना की सफलता के लिए कार्यकारिणी और जनता का सहयोग आवश्यक है । उन के अनुसार सेवा की कतिपय शर्तें; सम्पत्ति की घोषणा और सम्बन्धियों की सम्पत्ति के लेखे-जोखे के आधार पर भ्रष्टाचार और पक्षपात को निर्मूल किया जा सकता है । यदि आप सहयोग चाहते हैं तो वह उन्हें प्रेरित करने पर मिलेगा अथवा उनकी निन्दा करने पर ? सेवा नियोजित व्यक्ति अपनी बात कहने में

समर्थ नहीं है लेकिन अपनी व्यक्तिगत बात चीत के दौरान में वह जो उदगार प्रकट करते हैं उनका आशय है कि यद्यपि अपराधजीवी जाति अधिनियम समाप्त कर दिया गया है लेकिन सरकारी कर्मचारियों में एक नवीन अपराधी जाति पैदा कर दी गई है। इस में कोई सन्देह नहीं कि बुरे मनुष्य हैं। लेकिन बुरे मनुष्य बगैर दण्ड छूट जाते हैं और निरपराध व्यक्ति अनुभव करते हैं कि उनका अपमान किया जा रहा है। अच्छे व्यक्तियों की यह शिकायत दूर होनी चाहिए।

सेवाओं के प्रश्न में मुझे कुछ और भी कहना है। भरती का तरीका, स्थायीकरण, पदवृद्धि आदि सब कुछ असन्तोषजनक है। हम कह सकते हैं कि हमारे यहां संघ लोक सेवा आयोग, प्रान्तीय सेवा आयोग हैं। आखिरकार इन में भी तो देश के आदमी ही काम करते हैं। कायकारिणी के सुपुर्द अधिक सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। उक्त आयोगों को सर्वोच्च सत्ता देना आवश्यक नहीं है। उन में हमारी ही तरह साधारण व्यक्ति काम करते हैं। उन की उच्च योग्यताएं हो सकती हैं अन्यथा उन का काम करने का ढंग कार्यकारिणी के समान ही है। प्रान्तों में जातीयता की पक्षपातपूर्ण भावना है। संघलोक सेवा आयोग में जातीयता और भाषागत विचार का ध्यान रखा जाता है। अतः एक नई विधि की स्थापना की जानी चाहिए जहां संघलोक सेवा आयोग और कार्यकारिणी को संयुक्त रूप में अधिकार प्राप्त हों। वही चुनाव, पदवृद्धि और स्थायीकरण का काम करें। मुझे मालूम है कि जिन लोगों ने संघलोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करली थी उन्हें स्थायी नहीं किया गया और पास न करने वाले स्टेनोग्राफर स्थायी कर दिए गए। एक दूसरा तरीका यह भी है कि निपुण व्यक्तियों की पदवृद्धि द्रुतगति के साथ कर दी जाये।

इस के बाद सरकारी कर्मचारियों की सुविधा का प्रश्न है। यह बड़े कौतूहल की बात है कि १९४९ में मितव्ययता व्यवस्था के नाम सरकार ने पी० टी० ओ० की रियायतें निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों के विषय में स्थगित कर दीं और उन्होंने उच्च वेतन प्राप्त पदाधिकारियों के वेतन में ५०० रुपये की ऐच्छिक कमी का पुरःस्थापन किया। मुझे मालूम है कि यह कटौती बाद में वापस कर दी गई लेकिन पी० टी० ओ० की रियायतें अभी तक पूर्व अवस्था में नहीं लौटी हैं। उन की यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं भी सन्तोषजनक नहीं हैं। वाद्यगायकों और स्कूल के बालकों की चार या पांच के समूह में जाने पर सुविधाएं मिल जाती हैं लेकिन देश के सुदूर भागों से आने वाले सरकारी कर्मचारियों को यह रियायत उपलब्ध नहीं हैं। उन में बड़ा असन्तोष है और अन्ततोगत्वा असन्तोष का परिणाम स्वामीभक्ति हीनता में प्रकट होगा। मैं इस का समर्थन नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं इतना ही कहता हूं कि वित्त मंत्रालय की फाइल विरोधी दल के सदस्य के पास पहुंच जाने, रक्षा मंत्रालय की फाइल के पाकिस्तान में चले जाने और चन्दा रिपोर्ट के गुप्त प्रलेखों के समाचार पत्रों में छप जाने पर किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इन सब से प्रकट है कि कार्यकारिणी का जिस रूप में कार्य संचालन हो रहा है उस पर हमें विश्वास नहीं है।

आज के निम्न वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की स्थिति को बड़ा

[श्री थान पिल्ले]

नुकसान पहुंचा है। हमारे यहां आई० सी० एस० और आई० ए० एस० वर्ग है। उनकी अपनी एक अलग जाति है जिस की प्रशाखाओं में अवर सचिव, गजटेड और नान-गजटेड आदि पदाधिकारी हैं। मैं सरकार से पूछता हूं कि हम इन सब समस्याओं का हल किस प्रकार कर रहे हैं।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

कार्यकारिणी का पुनर्निर्माण, पुर्नसंगठन और पुनर्वासित करना हमारे अधिकार में हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार इसे शीघ्र करेगी।

हम भविष्य का लिए योजना बना रहे हैं लेकिन इन असंतुष्ट व्यक्तिमों के सम्बन्ध में कोई योजना सफल नहीं हो सकती। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में जनता के सहयोग की बात साम्यवादी दल के उप-नेता से सुनकर बड़ा कौतूहल हुआ। "समाजवादी प्रजातंत्र" एक सुन्दर अभि-व्यञ्जना है। लेकिन हम किसी के विरुद्ध नहीं हैं। यद्यपि हम यहां साम्यवादी दल के विरुद्ध हैं लेकिन हम रूस, चीन अथवा अन्य किसी देश के विरुद्ध नहीं हैं।

रूस की चलचित्र प्रदर्शनी आने पर एक सार्वजनिक सभा हुई। मास्को जाने वाले हमारे सब साथी वहां थे लेकिन किसी ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन जब वह रूस से लौटे तो उन्हें पुष्प मालायें पहनाई गईं, महापुरुषों की भांति उनका स्वागत किया गया। विदेशी संवाददाताओं के यह पूछने पर कि आपका ध्वज कहां है उन्होंने हंसुआ और हथौड़े वाले ध्वज की ओर संकेत कर दिया। लेकिन सभा में राष्ट्रीय ध्वज नहीं दिखाई दिया। मान-नीय मित्रों को इस प्रतिवेदन का खंडन करने के लिए मैं चुनौती देता हूं।

साम्प्रदायिक, जातीय और फूट की मनोवृत्तियां सब ओर फैली हुई हैं। भाषा सम्बन्धी बातों का उल्लेख कर हम इनमें बढ़ावा दे रहे हैं। हम दक्षिण में हिन्दी का समर्थन करते हैं। हम ने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा मान लिया है। आप सब जानते हैं कि हम हिन्दी नहीं जानते हैं। यहां जो लोग अंग्रेज़ी बोल सकते हैं उनसे हिन्दी बोलने के लिए कहा जा रहा है। पहले यहां हिन्दी भाषणों के अनुवाद का प्रबन्ध था लेकिन अब वह समाप्त हो गया है। मैं अपनी ओर से निवेदन कर दूं कि हिन्दी का पुरःस्थापन कीजिये, लेकिन हमने इसके लिए काला-वधि निश्चित कर दी है। भाषा का प्रश्न हमारे सहयोग से हल किया जाना चाहिए। हम हिन्दी के समर्थक हैं लेकिन आपकी नीति हमारी सहायता नहीं कर रही है। वह दक्षिण में उन लोगों की मदद कर रही है जो हिन्दी के विरोध में नारे लगा रहे हैं।

श्री वीरस्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : तामिलनाद हिन्दी का समर्थक नहीं है। वह हिन्दी का विरोधी है।

श्री थानू पिल्ले : हां, उन्हें विरोध करने दो। मैं उनके विरोध को चुनौती देता हूं। हम ने इसी प्रश्न पर उन्हें हराया है। अब उन में चुनाव लड़ने का भी साहस नहीं है।

श्री वीरस्वामी : मैं माननीय सदस्य को ही नहीं लेकिन सरकार को भी चुनौती देता हूं

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री थानू पिल्ले : हिन्दी के समर्थकों ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा तो बना दिया लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि मद्रास राज्य में स्कूलों में बालकों को हिन्दी पढ़ाने के लिए उपबन्ध नहीं रखा गया है । आप इसे यहां थोप रहे हैं लेकिन मद्रास के स्कूलों में इसके शिक्षण का उपबन्ध क्यों नहीं करते हैं । हम राष्ट्र की एकता के इच्छुक हैं और हम अनुभव करते हैं कि इस प्रश्न पर स्नेह तथा ममता के साथ विचार किया जाना चाहिए ।

श्री एम० आर० कृष्ण (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : आज देश में ४,००,००० भूतपूर्व सैनिक हैं । युद्ध काल में कई वर्षों तक काम करने के पश्चात् अब उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका गया है । इन भूतपूर्व सैनिकों की दशा बहुत ही दयनीय है । उनके खाने, रहने और कपड़ों का कोई प्रबन्ध नहीं है । हैदराबाद राज्य में भी हजारों भूतपूर्व सैनिक हैं । लेकिन उन में से अब तक केवल १७१ व्यक्तियों को बसाया गया है । यदि लाखों रुपये व्यय करने के पश्चात् १० हजार व्यक्तियों में से केवल १७१ व्यक्तियों को बसाया जा सका है तो यह कोई उत्साहजनक बात नहीं है । फिर, जिन १७१ व्यक्तियों को बसाया गया है वे भी केवल वहीं पर इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ रुपये मिल जाते हैं । यदि रक्षा मंत्रालय इन व्यक्तियों के उपदान और निवृत्ति-वेतनों आदि का प्रबन्ध कर दे तो उन व्यक्तियों को इतनी कठिनाइयां न उठानी पड़ें ।

बहुधा रक्षा मंत्रालय हैदराबाद स्थित वायु सेना अकादमी तथा अन्य सैनिक संस्थापनाओं को अजीब अजीब परिपत्र भेजा करता है । इन सैनिक संस्थापनाओं को हिदायतें भेजी गई हैं कि वे चपरासी और चौकीदारों के स्थानों पर भी हैदराबाद राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करें । हैदराबाद राज्य में भी तो अनेक भूतपूर्व सैनिक हैं फिर उन्हें इन स्थानों पर नियुक्त करने में क्या आपत्ति है ? मेरे विचार में उन्हें बसाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जानी चाहिए । यदि उन्हें गांवों में भेज दिया जाय तो वे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं । सफाई और शिक्षा के सम्बन्ध में उन्हें सेना का अनुभव प्राप्त है जिस से लाभ उठाया जा सकता है ।

बजट तथा पंच वर्षीय योजना में शारीरिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई विशेष उपबन्ध नहीं किया गया है । शिक्षा मंत्रालय ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है । जब तक हमारे नवयुवक स्वस्थ और बलवान् न होंगे तब तक हम अपने देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अधिक धन राशि दे जिससे वे शारीरिक शिक्षा पर भी उचित ध्यान दे सकें ।

अन्त में, मैं सरकार का ध्यान अनुसूचित जातियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है । उनम आज भी अपने लिये खाना और कपड़ा खरीदने की सामर्थ नहीं है । वे गन्दी बस्तियों में रहते हैं । बहुधा उन्हें ऐसी भूमि पर अपने झोंपड़े आदि बनाने पड़ते हैं जो किसी बड़े ज़मीदार आदि की होती है । इसका फ़ल यह होता है कि उन्हें कभी यहां कभी वहां मारे मारे फिरना पड़ता है । वे किसी झोंपड़े को भी अपना घर

[श्री एम० आर० कृष्ण]

नहीं कह सकते हैं । सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर करोड़ों रुपये व्यय किये हैं लेकिन उसने अनुसूचित जातियों के लोगों के लिये रहने तक के मकान भी नहीं बनाये हैं । सरकार को चाहिये कि वह अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के लिये मकान बनाने के वास्ते कम से कम १० करोड़ रुपये अलग रख दे । मेरा निवेदन है कि सरकार ज़मीन खरीद कर उसे सस्ते दामों पर अनुसूचित जातियों को दे जिससे वे वहां मकान आदि बना सकें । इसके अलावा मकान बनाने का सामान भी उन्हें सस्ते दामों पर दिया जाना चाहिये । सरकार को चाहिये कि वह इसके लिये एक ग्राम्य मकान निगम नियुक्त कर दे ।

श्री दाभी (कैरा उत्तर) : कुछ उद्योगपतियों ने यहां पर जो भाषण दिये हैं उनसे ऐसा पता लगता है कि वे सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों को सहायता देने के पक्ष में नहीं हैं । माननीय सदस्य श्री तुलसीदास के विचार में हमारी आर्थिक व्यवस्था उस समय के लिये ठीक है जब कि लोग बैलगाड़ियों में चला करते थे अर्थात पुरातनपंथी है । उनके विचार में सरकार द्वारा कुटीर उद्योगों को सहायता देना इसी बात का द्योतक है । हाल ही में श्री जी० डी० बिरला ने दिल्ली में अपने एक भाषण में कहा था कि हम उन्हीं कुटीर उद्योगों को चाहते हैं जो बड़े उद्योगों की सहायता कर सकें । वह चाहते हैं कि लोग खादी न खरीद कर मिल का कपड़ा खरीदें । घी न खरीद कर वनास्पति खरीदें । यही दृष्टिकोण अन्य उद्योगपतियों का भी है ।

अब हमें यह देखना है कि इन उद्योगों के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है । इस में तो सन्देह ही नहीं कि सरकार अब कुछ हद तक कुटीर उद्योगों की सहायता करने लगी है किन्तु फिर भी, यह नहीं कहा जा सकता कि उसे इस सम्बन्ध में जो कुछ करना चाहिये वह कर रही है । यहां तक कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोड की सिफारिशों को भी सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया है । बोर्ड ने सिफारिश की थी कि ग्राम तेल उद्योग को सहायता दी जाये अन्यथा यह उद्योग ठप्प हो जायेगा । किन्तु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया । यदि यही हाल रहा तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि बेकारों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती ही जायेगी । कुटीर उद्योगों से करोड़ों व्यक्तियों को रोटी मिलती है और यदि वे ही बन्द हो गये तो बेकारों की संख्या अनगिनत होगी । अतः मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाये तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त राशि दी जायें ।

एक दूसरी बात मैं मद्यनिषेध के बारे में कहना चाहता हूं । सरकार इस नीति को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में निश्चित कदम नहीं उठा रही है । यद्यपि यह एक राज्य विषय है, फिर भी, मैं यह पूछता हूं कि इसको थल, जल और नभ सेनाओं पर क्यों नहीं लागू किया जाता ? सैनिक जलसों में शराब का खुला उपयोग किया जाता है । यद्यपि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक संकल्प में मद्यनिषेध के ही पक्ष में अपना विचार प्रगट किया है, फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि इसका पालन ठीक से नहीं हो रहा है । अतः मेरा निवेदन है कि

मद्यनिषेध शीघ्र से शीघ्र थल, जल और नभ सेनाओं मे लागू कर दिया जाये ।

अन्त में, मैं एक छोटे से उद्योग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । भारत में वर्मा, लंका आदि से जवाहरात आयात किये जाते हैं और बाद में उन्हें काट कर और पालिश करके अमरीका, इंग्लैण्ड आदि देशों को भेज दिया जाता है । यह उद्योग कैम्बे में केन्द्रीत है । वहां के कारीगर अधिकतर इसी उद्योग पर निर्भर रहते हैं । लेकिन जब से जवाहरात के आयात करने पर २० प्रतिशत शुल्क लगा है तब से यह उद्योग गिरता जा रहा है । १९५२-५३ में जवाहरातों के निर्यात से १,२७,४४२ रुपये शुल्क के रुप में प्राप्त हुए थे लेकिन आयात पर २० प्रतिशत का शुल्क लगा देने से १९५३-५४ में यह घट कर केवल १४,३७७ रुपये रह गये थे । आयात पर यह शुल्क लगाने से केवल ४१,८४८ रुपये प्राप्त हुये । अतएव, मेरा निवेदन है कि जवाहरात के आयात पर से २० प्रतिशत का आयात-शुल्क तुरन्त ही हटा दिया जाये ।

श्री के० पी० सिन्हा (पटना मध्य) : मैं यहां आय-व्ययक के प्रस्तावों के पक्ष में और विपक्ष में विभिन्न तर्क सुनता रहा हूं और इन सब को सुनने के बाद मेरा यह विश्वास है कि हमारी वित्तीय व्यवस्था का कार्य पूर्ण तत्परता एंव सावधानी के साथ किया जा रहा है । मैं अर्थ-शास्त्र के मामले में ज्यादा नहीं जानता हूं, इसलिये, इस विधेयक की पेचीदगियों पर मैं अधिक प्रकाश नहीं डाल सकूंगा । इस अवसर पर मैं पिछड़े हुए वर्गों की हालत और उनकी शिकायतें आपके सामने रखूंगा । इन पिछड़े हुए लोगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है--अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां और अन्य पिछड़े हुए वर्ग । अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बारे में बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं, परन्तु इन पिछड़े हुए लोगों के लिये एक शब्द भी नहीं कहा गया है । यद्यपि हमारे संविधान में, इन लोगों को यथासंभव रक्षण देने का उपबन्ध है, परन्तु वास्तव में इनकी हालत को सुधारने के लिये कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है । केन्द्र ने इन पिछड़े हुए वर्गों को जो भी सहायता दी है वह केवल शिक्षा के संबंध में ही है । परन्तु यह सहायता भी बहुत थोड़ी मात्रा में दी गई है; मैं आपके सामने थोड़े से आंकड़े रखता हूं । १९४९-५० में छात्रवृत्तियों के लिये प्रार्थनापत्र देने वालों की संख्या ३१५४ थी परन्तु केवल ३४९ व्यक्तियों को ही छात्रवृत्तियां मंजूर की गई; १९५०-५१ में ३८३० उम्मीदवारों में से ५१७ को छात्रवृत्तियां दी गई; १९५१-५२ में ४०७९ में से ६५५ को और १९५२-५३ में ५७९५ में से १७०० को छात्रवृत्तियां मंजूर हुई थीं । इन आंकड़ों से पता चल सकता है कि सरकार कार्यवाही कर तो रही है परन्तु संतोषजनक रूप से नहीं कर रही है । मैं इस संबंध में यह बताना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता । उनके सारे उम्मीदवारों को छात्रवृत्तियां मंजूर हो जाती हैं परन्तु पिछड़े हुए वर्गों के लोगों के साथ ऐसी कोई रियायत नहीं की जाती । मैं यह तो नहीं कहता कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के बारे में स्थिति पर्णतः संतोषजनक है । परन्तु सरकार से इतना अनुरोध अवश्य करना चाहता हूं कि वह पिछड़े वर्गों के बारे में अधिक उदारता से कार्य करे ताकि

[श्री के० पी० सिन्हा]

इनके उम्मीदवारों को भी अधिक से अधिक संख्या में छात्रवृत्तियां मिलें ।

जहां तक राज्यों का प्रश्न है, केवल चार बड़े बड़े राज्यों यानी बिहार, उड़ीसा, बम्बई और बंगाल ने इन पिछड़े बर्गों की सूची बनाई है । अजमेर, सौराष्ट्र, ट्रावनकोर-कोचीन, भोपाल, कुर्ग, कच्छ और मनीपुर ने भी अपनी अपनी सूचियां तैयार की हैं, परन्तु अन्य राज्यों ने इस बात की कोई परवा नहीं की है कि इन पिछड़े हुए लोगों की तकलीफ़ें क्या हैं । और इन को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है । जिन राज्यों ने ये सूचियां बनाई हैं वहां इन लोगों के लिये कुछ काम किया गया है । मध्य-प्रदेश का यह मत है कि मुसलमानों में कोई पिछड़ा वर्ग नहीं है, पिछड़े हुए वर्ग केवल हिन्दुओं में ही हैं और इसलिये यदि पिछड़े वर्ग का कोई हिन्दू अपना धर्म बदल कर मुसलमान हो जाता है तो वह उस सहायता का पात्र नहीं रहता जो अब तक उसे मिलती रही हो । इस प्रकार की बातें चल रही हैं, इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन लोगों की हालत की जांच-पड़ताल करे; मुझे आशा है कि पिछड़े वर्गों से संबंधित आयोग इन सब बातों पर पूर्ण रुप से विचार करेगा और इन की सहायता के लिये सिफारिशें करेगा । मैं चाहता हूं कि इसकी रिपोर्ट के आने से पहले भी सरकार इन के लिये कुछ करे । पिछड़े हुए वर्गों की बहुत सारी शिकायतें हैं । उनकी मांग है कि सरकारी सेवाओं, विधान मंडलों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में उनका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व हो । केन्द्रीय अथवा राज्य के लोक सेवा आयोगों में कम से कम एक एक सदस्य हो । मैं देखता हूं कि सरकार द्वारा क़ानून बनाने के बावजूद भी लोगों की मनोवृत्ति में अभी परिवर्तन नहीं हुआ है । केवल कमिश्नर की रिपोर्ट और क़ानूनों से ही काम नहीं चलेगा; ज़रूरत इस बात की है कि लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन हो । जब तक यह परिवर्तन नहीं होगा तब तक उनकी हालत में सुधार होना कठिन है ।

अन्त में, मैं दो शब्द अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में कहूंगा । हमारे यहां की ज़मीन बहुत उपजाऊ है और वहां साल में दो फ़सलें पैदा की जाती है । वहां दो तीन नदियां है परन्तु उनसे या तो ज़मीन सूखी ही रह जाती है या फिर उनमें ज़रूरत से ज्यादा पानी आ जाता है । जिससे हर वर्ष किसी न किसी तरह फसल का नुक़सान होता है । हमने करोड़ों रुपयों की बड़ी बड़ी योजनायें बनाई हैं जिनसे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जायेगा, परन्तु हमारे यहां जैसी उपजाऊ ज़मीनों को बचाने के लिये कोई योजनायें नहीं बनाई गई हैं । कि मेरा निवेदन है कि इन बड़ी बड़ी योजानाओं के साथ इन उपजाऊ ज़मीनों के काश्तकारों की भलाई के लिये और उनकी फ़सलों को बचाने के लिये छोटी छोटी परियोजनायें तैयार की जानी चाहियें और उन पर काम आरम्भ होना चाहिये ।

श्री शिवनंजप्पा (मंडया) : माननीय वित्त मंत्री इस सदन में कई बार यह मत प्रकट कर चुके हैं कि पंच वर्षीय योजना के अधीन जो विकास-कार्य हुए हैं उन को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जिस रफ़्तार से रुपया खर्च किया जा रहा है वह संतोषजनक नहीं है; उनका कहना है कि प्रशासनिक विलम्ब के करण बहुत सी स्वीकृत धन-राशि से कोई वांछित परिणाम

नहीं निकले हैं । इस विषय में मेरा यह सुझाव है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को, जिसके अधीन यह बहु-प्रयोजनीय परियोजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, और अधिक सतर्कता तथा तत्परता से कार्य करना चाहिये । इस मंत्रालय का काम बहुत ढीलेपन से चल रहा है, यहां तक कि छः महीने तक इसका कोर्ट मंत्री भी नहीं था । इसके अलावा, अपने मुख्य अधिकारियों के बारे में भी इसकी नीति कमज़ोर रही है । दामोदर घाटी निगम का छः महीने तक कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ था । जब तक इन बड़े बड़े राष्ट्रीय उपक्रमों के प्रति सरकार दिलचस्पी नहीं दिखायेगी तब तक इनका काम सुचारु रूप से नहीं चलेगा ।

मुझे कुछ केन्द्रीय सचिवालय के बारे में भी कहना है । इस सचिवालय में ज़रूरत से ज्यादा कर्मचारी भरे पड़े हैं जो केवल सरकार से महीने के महीने वेतन लेते हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है । या तो इनकी जल्दी से जल्दी छंटनी की जाए या फिर किसी न्यायसंगत आधार पर इनके वेतनों में कमी की जाये ताकि हमारे खर्चे में कमी हो और काय-कुशलता में वृद्धि हो । केन्द्रीय वेतन आयोग से इस देश को काफ़ी नुकसान हुआ है । इस आयोग की रिपोर्ट अंग्रेज़ों को परेशान करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी । इसी वजह से श्री जिन्नाह ने इसे नहीं माना और पाकिस्तान के लिए एक दूसरा आयोग नियत किया जिसके कारण आज वहां जो वेतन-श्रेणियाँ हैं वे हमारे यहां से कम हैं।

६ म० प०

इस संबंध में मैं केन्द्र तथा राज्यों के कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में जो असमानता है उस की ओर आप का ध्यान दिलाऊंगा । इस असमानता के कारण राज्य सरकारों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है क्योंकि उनके कर्मचारी केन्द्र के बराबर ही वेतन और भत्ते मांग रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो उनकी शिकायत उचित ही है । आखिर क्या एक ही योग्यता रखने वाले और एक सा कार्य करने वाले दो कर्मचारियों के वेतन में इस आधार पर भिन्नता का होना उचित है कि एक केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है और दूसरा राज्य सरकार का? मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी नीति ऐसी बनाये जिससे राज्यों को कोई परेशानी न उठानी पड़े और उनके सामने कोई समस्या न खड़ी हो ।

अन्त में, मैं वित्त मंत्री का ध्यान मैसूर सरकार द्वारा सोने पर अधिकार शुल्क बढ़ाने के बारे में किये गये अभ्यावेदन की ओर आकर्षित करूंगा । स्वर्ण शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मैसूर राज्य को प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होती थी। १९४९ में इस अधिनियम के रद्द कर दिये जाने से उसकी यह आय बहुत कम हो गई है और उसे अब गोल्ड कम्पनी से ५ प्रतिशत की दर से अधिकार शुल्क मिलने के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है। मैसूर सरकार की वर्तमान वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह सोने पर अधिकार-शुल्क की दर ५ प्रतिशत से बढ़ा कर कम से कम १० प्रतिशत करने के लिए सहमति दे दें । मुझे इतना ही कहना है ।

श्री बी० मिश्र (गया उत्तर :) सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं । विरोध इस लिये करता हूं कि इस में

[श्री वी० मिश्र]

नये कर लगाने के विचार रखे गए हैं। हिन्दुस्तान की जनता पर बहुत से कर लगे हुए हैं, और हर साल कुछ न कुछ नये कर लग जाते हैं। इसलिए इस बिल का विरोध करना मेरे लिए जरूरी हो गया। मैं मानता हूं कि सरकारों को कर लगाने का अधिकार है और होना भी चाहिए। सरकारी खर्च कर ही से चलते हैं, परन्तु जो खर्च होते हैं उन का नतीजा जनता को क्या मिलता है ? पहले इस पर विचार हो जाने के बाद ही नये कर लगाये जायें। साथ ही कर कितने लगाये जा सकते हैं, कर देने की ताकत जनता में कितनी है, इन बातों पर भी विचार होना चाहिए। इस का विचार न करने से काम खराब हो जाता है और हिन्दुस्तान की हालत बिगड़ती चली जा रही है। आम लोग इस खयाल से परेशान हैं कि आखिर कितने कर लगेंगे और उन को कितने कर देने पड़ेंगे।

अभी जिन साहबों ने सरकारी पक्ष से भाषण किये हैं उन्होंने कहा है कि हम योजना काल से गुजर रहे हैं और हमारे लिए कर लेना जरूरी हो सकता है और लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि हम लोग योजना काल से गुजर रहे हैं, कर भी लगने चाहियें, मगर आखिर कर किन से लिया जाये और कितना लिया जाये ? यह सवाल बहुत बड़ा है, फिर योजना काल में हम कर लेते हैं तो जनता इस बात को सोचती है कि योजना काल में जो कुछ हो रहा है उस का नतीजा हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। अभी तक जो कुछ काम स्वराज्य के बाद पांच, सात सालों में हुआ है उस से जनता बहुत खुश नहीं है। कुछ ऐसे काम हुए हैं, जिन से हमारे खजाने तो भर जाते हैं पर जनता को कोई लाभ नहीं हुआ, उस की जेब खाली होती चली जा रही है। हमारे बिहार में जमींदारी प्रथा को उठाने का कानून उस राज्य की सरकार ने पास किया है और वह लागू भी हो रहा है। परन्तु उस से हुआ क्या ? लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि राज्य से जमींदारी उठ जायेगी तो किसानों को फायदा होगा, इस लिए कि सरकार को जितना कर जमींदार देते थे, उस से दसगुना वह किसानों से वसूल करते थे। मगर अभी क्या हो रहा है ? जो कानून बना है और जो अब अमल में लाया जा रहा है, उस के हिसाब से सरकारी खजाने में तो दसगुना कर चला जायेगा, पर उस से किसानों को एक पैसे की छूट नहीं हुई। तो लोगों का ऐसा खयाल है कि सरकार के खजाने में पैसा देने के लिए जमींदारी को उठाया गया है। आज जब इस योजना काल से हम गुजर रहे हैं, अगर यही भावना लोगों में रहती गई और वह समझें कि शायद रुपया जो खर्च किया जा रहा है, सरकारी खजाने को लगातार मोटा बनाने के लिए इन्तजाम है, जब कि उन की जेब खाली की खाली रहीं, तो उस से हमें हानि होगी।

आप जानते हैं कि देश में आम लोगों का रोजगार टूटता जा रहा है, जिस रोज़गार पर लोग जिन्दा रहते थे वह टूटते जा रहे हैं और लोगों की आमदनी घटती जा रही है। साथ ही कर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी हालत में लोग कब तक जिन्दा रहेंगे, और किस हालत में जिन्दा रहेंगे, यह मैं वित्त मंत्री साहब से पूछना चाहता हूं। आप यह सोचें कि अगर इस तरह लोगों का रोजगार टूटता जाए और उन पर कर बढ़ते जाएं तो इस का आखिर क्या नतीजा होगा। मैं जानता हूं कि बहुत से रोजगार टूट रहे हैं, आज जिन कामों को कर के लोग

अपना पेट पालते थे उन के वहां रोज़गार टूट रहे हैं, उन को जिन्दा रखने का उपाय नहीं हुआ है। सभी चीजों पर कर लगाये जा रहे हैं। इस विधेयक में एक ही चीज है जिस का मैं समर्थन कर सकता हूं, और इस की मुझे खुशी भी है, कि इस में नमक पर कर लगाने का विचार नहीं है और अगले साल भी नमक पर कर नहीं लगेगा। इस के अलावा जितनी भी बातें हैं, कोई ऐसी नहीं है कि जिनका समर्थन किया जा सके। पुराने कर लगे हैं और नये कर लगाये जा रहे हैं। जूते पर कर लगाया गया है, साबुन पर कर लगाया गया है। और इसी तरह से और चीजें भी हैं जिन पर कर लगाये गए हैं। आप जानते हैं कि जूते पर कर लगाने का असर किन लोगों पर पड़ेगा। कर का बोझ उन लोगों पर पड़ेगा जो कि बीच की, मध्यम श्रेणी के लोग हैं। साबुन का कर भी मध्यम श्रेणी पर पड़ेगा। अगर आप कर लगाना चाहते हैं तो शराब पर कर लगाइये, गांजा पर कर लगाइये, अफीम पर कर लगाइये; जिस से कि ऐसे व्यसनों में जो पैसा खर्च होता है वह सरकार को मिले। आखिर आप क्यों सिगरेट पर कर नहीं लगाते? मैं भी सिगरेट पीता हूं, अगर पीता हूं तो इस के लिए मैं भी कर देने को राजी हूं क्योंकि यह चीज कोई जिन्दगी की ज़रूरत की नहीं है। आप वेजिटेबल आयल पर कर लगाइये जिस से जनता का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। नाच गानों पर कर लगाइये। पर आप तो जूते पर कर लगाते हैं। यह सारे काम आदमी जिन्दा न रहे इस का उपचार कर रहे हैं। मेरा खयाल है कि यह बुरी बात है, इस को न कोई कबूल ही करेगा और न ऐसी चीज़ों को आप को हमारे सामने लाना ही चाहिए।

साथ ही मैं कहता हूं कि रोजगार टूटते हैं, कुछ इसका उपाय कीजिए, बहुत चीजों पर आप प्रतिबन्ध लगाते हैं, मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले ब्लेड पर प्रतिबन्ध लगाइये सेफ्टी रेज़र पर कर लगाईये, इससे कम से कम देश के नाईयों का रोजगार बढ़ जायगा। आप चर्खा चर्खा चिल्लाते हैं तो लोगों से कहिये कि नाइयों से दाढ़ी बनवायें यह बहुत खतरे की बात है, आप जानते हैं कि नाइयों का रोजगार टूटता है तो उन्हें कोई रोज़गार देने वाला नहीं है। इसी तरह से आप कहेंगे कि अगर जूता पहिनना है तो सरकार को कुछ पैसा दो, साबुन से कपड़ा धोना है तो सरकार को कुछ पैसा दो, साथ में और भी चीजें हैं जिनसे लोगों का रोजगार टूटता है।

आजकल जिस समय कि हम योजना काल से गुजर रहे हैं, इस योजना में कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनसे हमें उम्मीद थी कि हमारा कुछ भला होगा। लेकिन आप ने कहा कि आटा पीसने की कलें कम होनी चाहियें चावल कूटने की कलें कम हो ी चाहियें आप जानते हैं कि आटा पीसती हैं वह औरतें जो विधवा होतीं हैं, उनकी आमदनी का और कोई जरिया नहीं वह चक्की चला कर अपने बाल बच्चों का पेट पालती हैं, इसी तरह चावल कूटने का काम गांवों में होतां है, इसके लिए आपकी योजना की कोई जरुरत नहीं थी। आप सिर्फ़ ऐसी मिलें बन्द कर देते जिससे कि वह औरतें अपना रोजगार कर सकतीं। आप को बाहर से कोई मशीन नहीं मंगानी पड़ती, कोई इंजीनियर नहीं बुलाने पड़ते और लोगों का पेट भर जाता। आप योजना ऐसी बनाते हैं जिनमें इंजीनियर भी

[श्री वी० मिश्र]

बाहर के होने चाहिएं, मशीनरी बाहर की होनी चाहिए और रुपया हमारा होना चाहिए। सब से बड़ी मुश्किल यही हो जाती है। रुपया हम दें और रोजगार दूसरों को मिलता है। अंग्रेज इंजीनियर आते हैं और अमरीका और लन्दन से बनकर मशीनें आती हैं और ये लोग हम पर हकूमत करते हैं। क़ानूनी हकूमत दूर हो गई मगर हकूमत करने वाले आते जाते हैं और हमारे रोजगार टूटते जाते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से, यानि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप जो यह कर लगा रहे हैं इनको हटाइये और दूसरी तरह के कर लगाने के लिए दूसरा विधेयक लाइये। आप ब्लेड पर कर लगाइये, सिगरेट पर कर लगाइये, शराब पर कर लगाइय, गांजा और चरस पर कर लगाइये। आप कैनाट सरकस में चले जाइये। वहां अंग्रेजी शराब की दुकानें उठ रही हैं और दूसरी तरफ हमारे जुलाहों की दुकानें टूट रही हैं, हमारे तेलियों के कोल्हू टूट रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि इससे देश का उद्धार होने वाला है। मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकता है। और अगर आप इसी तरह का उद्धार करना चाहते हैं तो देश के लिए कफन का भी इंतजाम आपको करना चाहिए जिसमें कि जब देश मर जाय तो आप उसका कफन कर सकें। यह चीजें मुझे पसंद नही हैं इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। बातें बहुत की जाती हैं। मैं ने देखा है कि जो कुछ भी सरकारी इंतजाम होता है उस पर से लोगों का भरोसा टूट जाता है। बहुत सी बातें ऐसी कही जाती हैं कि जिससे लोग घबरा उठते हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी में एक नदी है। उसकी योजना बहुत दिनों से बन रही है। कभी कोई स्टेट के मिनिस्टर साहब आते हैं कभी कोई पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आते हैं और बहुत सी बातें कह जाते हैं। उसकी नाप करवाते हैं और कहते हैं कि वह बनेगी। लोग इस भरोसे में दूसरा इंतजाम नहीं करते और उसका फल यह होता है कि कभी तो उनकी फस्ल पानी में डूब जाती है और कभी पानी के बिना सूख जाती है। इसमें बहुत कुछ पैसा खर्च नहीं होगा। अगर आप उसे करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे जो बातें आप से कहनी हैं वह इसी सिलसिले में कहनी हैं कि ऐसे कर लगाइय जिनसे देश में नये रोज़गार पैदा हों और जिनके पास रोज़गार हैं उनके रोजगार टूटे नहीं। आप ऐसे टैक्स न लगाइये जिनसे कि देश की जिन्दगी हराम हो जाय। आखिर जिन्दा तो रहना है। आप साबुन पर, चश्मों पर, जूतों पर, मसालों पर कर लगाते हैं, और चीजों पर सेल्स टैक्स लगा हुआ है। कुछ भी बाकी नहीं है। आखिर जिन्दा रहने के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए और जिन्दगी के लिए आवश्यक चीजों के अलावा जो चीजें हैं उन पर आप टैक्स लगाइये। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस विधेयक को वापिस ले लें और दूसरा विधेयक लायें जिसमें दूसरे प्रकार के टैक्स लगाये जायें। उस अवस्था में मैं समझता हूं कि उस विधेयक का मेरी पार्टी भी समर्थन कर सकती है और आप को अपना सहयोग दे सकती है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे काम उठायें जिनसे जनता को लाभ हो। मैं ने बिहार के एक मन्त्री से कहा था कि आप उस

नदी के काम को उठायें तो जो कच्चा काम होगा उसको कराने में हम सहयोग देंगे। मैं खुद काम करूंगा और किसान मेरे साथ काम करेंगे। आप पक्का काम करा दीजिए। आप उस काम को करा दें।

इसी के साथ साथ मुझे दूसरी बात अर्ज करनी है। हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में नहर के पानी की जो सिंचाई की रेट है वह दुगुनी, तिगुनी और कहीं कहीं चौगुनी हो रही है। इसका कारण यह बताया जाता है कि दूसरी जगह नहर खोद रहे हैं इसलिये यह टैक्स ले रहे हैं। आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसी बातें नहीं समझते। हम और आप इस विषय में यहां बैठ कर बातें कर सकते हैं लेकिन जिनको टैक्स देना पड़ता है वह समझते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। आप कह देते हैं कि दूसरी जगह नहर खोद रहे हैं इसलिये उनको ज्यादह पैसा देना चाहिए। दूसरी तरफ नहर में पहले जितना पानी मिलता था वह घटता जा रहा है। पैसा बढ़ता जा रहा है और पानी घटता जा रहा है। ऐसी हालत है। यहां पर बहुत सी बातें होती हैं।

पिछले साल मैं ने बजट के मौके पर कहा था कि किसानों को अपनी पूरी चीजों के पूरे दाम नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में एक बहुत अच्छा गांव है जिसमें नहर भी है। मैं ने वहां पर एक किसान से कहा कि तुम हिसाब लगाओ कि एक मन ऊख पैदा करने में तुम्हारा क्या खर्चा होता है। उसने हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि एक रुपया पौने ग्यारह आने एक मन ऊख पैदा करने पर खर्चा आता है। यह उसकी क़ीमत खेत पर है। आप उससे कहते हैं कि एक रुपया पांच आने मन में ऊख बेचो और नहर का दुगना टैक्स दो। आप समझते हैं कि यह चीजें क्यों चल रही हैं? यह इसलिए चल रही हैं कि हमारे यहां का किसान हिसाब किताब नहीं रखता। अगर वह हिसाब किताब रखने लगे तो वह खेती करना छोड़ दे और आपका प्लान खत्म हो जाय, और कोई किसान न रहे।

मुझे और कुछ नहीं कहना और ज्यादह कहने से फायदा भी क्या है। मैं जानता हूं कि यह बिल पास होने वाला है और पास होकर रहेगा और यह टैक्स लगने वाले हैं। इसलिए मैं इसका पूरी ताकत से विरोध करता हूं और अपील करता हूं कि अच्छा हो कि आप नया बिल लायें जिसके द्वारा टैक्स लगायें। मैं चाहता हूं कि आप इन टैक्सों को हटा दें।

श्री एन० एल० जोशी (इन्दौर): चेयरमैन महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

वित्त मंत्री जी ने जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया है उस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। अभी जो सामने के कुछ मित्रों ने कई बातें कहीं उनमें से एक बात को लेता हूं और वह यह कि यह सरकार अपनी योजना को चलाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए अमरीका से ऋण लेती है। परन्तु उन मित्रों ने कभी यह नहीं सोचा कि इस सरकार ने कभी भी किसी देश के साथ पक्षपात नहीं किया। आज जो दुनिया दो बड़े भागों में विभक्त है उन दो भागों में से किसी भी एक भाग की यह सरकार

[श्री एन० एल० जोशी]

पक्षपाती नहीं है। कोई भी भाग जो चाहे वह इस देश की आर्थिक उन्नति के लिए इस देश की सहायता कर सकता है और यह देश उसकी सहायता लेने में कभी भी इन्कार नहीं करेगा। तो यह बात उनको मान लेनी चाहिए कि इस तरह की आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है। उस सरकार की यह इच्छा है कि इस देश की गरीबी दूर हो, इस देश की बेकारी दूर हो और इस देश के लोग खुशहाल हों। यह कैसे हो सकता है? अगर हमारे मित्रों के सामने इसके लिए कोई उपाय हों तो वह उनको जरूर सुझावें और यह सरकार उन पर अवश्य अमल करेगी। मालवे में एक पुरानी कहावत है, "माल खाये माटी को, गीत गाये बीरा को"। यह बात यदि वे चलाना चाहें तो काम नहीं चलेगा। अगर वह इस देश में रहने वाले हैं, इस देश का अन्न खाते हैं, इस देश का पानी पीते हैं तो यह बात बड़ी आवश्यक है कि उनको इस देश की ही बातें करनी होंगी। इससे कोई लाभ नहीं कि वह विदेशों की बातें करें, विदेशों की बड़ाई करें और इस देश की सरकार की निन्दा करें। बहुत अच्छा हो कि वे कोई ऐसे काम करें ऐसे कोई सुझाव दें कि जिन कामों के करने से और सुझावों के देने से यह देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़े अन्यथा बातों से यह चीज नहीं होगी। आलोचनाओं से कोई काम नहीं बनेगा।

अब मैं मुख्य रूप से उन बातों की ओर आता हूं जिनको हमारे वित्त मन्त्री जी ने टैक्स लगाने के सिलसिले में इस सभा भवन के सामने कहा है। इसमें कोई शक नहीं कि पंच वर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए देश को पैसे की आवश्यकता है परन्तु इसकी पूर्ति दो तीन तरीकों से ही हो सकती है। एक तरीका तो यह है कि हम टैक्स लगायें दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम कुछ कर्ज लें, या तीसरा तरीका यह हो सकता है कि जितना कुछ खर्च हम करते हैं उस में हम जितनी भी किफायत हो सकती है करें। जब हम इस टैक्स लगाने या कर्ज लेने की बात पर विचार करते हैं तो हमारे सामने यह बात आती है कि जब हम अपने देश के राज्य को चलाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है तो हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उसको चलाने के लिए हम टैक्से दें और जहां तक हो सके हम अपना पूरा शारीरिक और मानसिक बल इस देश की सरकार को कामयाब बनाने के लिए लगावें। जो प्रश्न बार बार उठता है वह यह है कि क्या सरकार को कोई ऐसा उपाय करना है कि जिसके करने से सारे देश के लोग इन सब कामों में जुट जायें और यह महसूस करें कि वास्तव में यह राज्य हमारा है और इस राज्य को कामयाब बनाना हमारा कर्त्तव्य है। अगर शासन यह महसूस करे कि कहीं पर कुछ खामी है तो उसको उस खामी को निकालना चाहिये और उसका इलाज करना चाहिए। अगर शासन इस ओर ध्यान न दे तो कोई कारण मालूम नहीं होता कि सफलता क्यों न प्राप्त हो। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने अपने पिछले भाषण में बताया कि आज देश को पंचवर्षीय योजना को कामयाब बनाने के लिए केवल नौ अरब रुपये की आवश्यकता है।

केवल नौ अरब रुपये की कमी है, अगर नौ अरब रुपया हमको और मिल जाय तो हम पूरी तरह से इस पंच

वर्षीय योजना को कामयाब बना सकते हैं। चेयरमैन महोदय, आप विचार कीजिए, इस देश में ३६ करोड़ आदमी रहते हैं ; ३६ करोड़ का नौ अरब में भाग दीजिए तो आप देखिएगा कि एक व्यक्ति के पीछे कितना रुपया हिस्से में आता है, २५ रुपया मुश्किल से ही आता हे और वह २५ रुपये भी उसे दो साल में देने हैं।यदि इस देश के लोग यह सोच लें, यह विचार कर लें और देश के लोगों के मन में यह उत्साह पैदा कर दिया जाय कि वास्तव में जो सरकार काम करने जा रही है, वह उनके हित में है और देश के हित में है तो क्या आप यह ख्याल करते हैं कि इस देश का कोई भी व्तक्ति दो साल में २५ रुपये सरकार को ने से इन्कार करेगा ? वह अवश्य सरकार को देगा और सहर्ष देगा। इस देश के निवासियों के सामने जो आदर्श है, वह आदर्श अपने अस्तित्व का नहीं बल्कि समाज के अस्तित्व का प्रश्न उसके सामने रहता है। भारतवासी समाज के अस्तित्व को कायम रखने के लिए जीना चाहता है, यहां वालों का यह आदर्श नहीं है कि वह खुद खाये और आमोद प्रमोद में अपने पैसे को लगाये, बल्कि उनकी इच्छा यह रही है और सदा रही है कि वह जहां तक बने समाज के उत्थान में अपने आप को लगायें। समाज के उत्थान के लिए किसी से रुपया लिया जाता है तो इसलिये नहीं लिया जाता कि उससे रुपया एक बार लेकर उसको वापिस नहीं लौटाया जायगा। वह खूब समझता है कि वह रुपया सरकार को चाहे टैक्स के रूप में दे चाहे कर्ज़ के रूप में दे, लेकिन फ़ायदा आखिर में उसी को मिलना है। कर्ज़ के रूप में उससे जो रुपया प्राप्त किया जायगा, वह रुपया मय सूद के उसको वापिस दिया जायगा और वह रुपया जो टैक्स के रूप में उससे वसूल किया जायगा, तो उस के लिये वह सरकार से आशा करता है कि वह उसके हित के लिये खर्च किया जायगा। उसकी नज़र में तो सरकार का काम सूर्य के समान है, सूर्य बड़े छोटे स्रोतों से, नदियों और समुद्रों से पानी खींचता है और सब को समान रूप से उसका वितरण करता है और सारे देश को हरा भरा करता है। वितरण करते वक्त यह ख़याल नहीं करता, यह तमीज़ नहीं करता कि कहां से मैंने ज्यादा लिया था और कहां से मैंने कम लिया, जिससे मैंने ज्यादा लिया है उसको मैं ज्यादा दूं और जिसमें मैंने कम लिया है उसको कम दूं वह यह फर्क और तमीज़ नहीं बर्त्तता और समान रूप से उसका वितरण करता है। ठीक वहीं सूर्य वाला आदर्श यहां के देशवासी अपनी सरकार से अपनाने की आशा रखते हैं। आज मैं आपको बतलाऊं कि जनता के सामने सिर्फ़ एक सवाल हर जगह रहता है और जब हम लोग अपने २ निर्वाचन क्षेत्रों में जातें है, दौरा करते हैं और जनता से मिलते हैं तो हर आदमी हम से एक प्रश्न करता है, मैं आपको बतलाऊं कि जब पिछली बार अधिवेशन की समाप्ति पर मैं दौरे पर गया तो मुझ से एक अनपढ़े बिल्कुल सीधे साधे किसान ने एक प्रश्न किया।

जब मैंने उन से कहा कि हमारी योजनाएं किस प्रकार चल रही हैं, केन्द्रीय सरकार किस तरह खर्च कर रही है और राज्यों की सरकारें क्या काम कर रही हैं तो उन्होंने मुझ से यह प्रश्न किया कि साहब यह तो बहुत अच्छा है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार हमारे सामाजिक और आर्थिक उन्नति के कामों मे लगी हुई है, लेकिन हम आप से एक प्रश्न करना चाहते हैं और वह यह कि सरकार ने

[श्री एन० एल० जोशी]

अपने शासन यंत्र को संभालने के लिये अब तक क्या किया ? आप चाहे जो कुछ भी काम करें, हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि यदि आप केवल उस चपरासी और पटवारी से या उस मुन्शी से जिससे कि हमारा साबका कचहरियों में जाने पर पड़ता है, अगर किसी तरह से आप यह जो थोड़ा बहुत पैसा वे हम से ले लेते हैं उनसे यदि आप हम को मुक्त करवा दें, केवल उन पर ही आप अपना नियंत्रण कर लें तो हम समझेंगे कि आप ने हमारे लिये बहुत काम किया। चेयरमैन महोदय मैं आपके सामने और अपने फ़ाइनेन्स मिनिस्टर के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि यह बात ठीक नहीं है कि पैसा एकत्रित करना एक बहुत बड़ी समस्या है और बड़ा कठिन काम है; वह जनता से आप को मिलेगा। लोग तो आप से जानना चाहते हैं कि आप उनके लिये क्या कर रहे हैं ? मध्य भारत में चम्बल योजना आरम्भ हो रही है और हो गयी है। बहुत अच्छा हुआ कि गये वर्ष शासन ने उसके लिये स्वीकृति दी और उस का काम भी प्रारम्भ हो गया तथा हमारे प्रधान मंत्री करीब डेढ़ महीने पहले वहां पधारे और उन्होंने उसका शिलान्यास भी किया, परन्तु मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि वहां के गांव के लोग पूछते हैं कि क्या यह जो चम्बल योजना बन रही है, इससें हमको बिजली मिलेगी ? बहुत सहज सा प्रश्न वह हम लोगों के समक्ष उपस्थित कर देते हैं। जब उन से कहा जाता है कि आप थोड़ा सा कर्ज़ दीजिये, सरकार को पांच रुपया, दस रुपया लोन दीजिये तो वह हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या आप हमें बिजली देंगे, क्या हम उस बिजली द्वारा अपने कुंओं से पानी निकाल सकेंगे और क्या हम उस बिजली से अपने छोटे २ उद्योगों को चला सकेंगे? चेयरमैन महोदय मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी आदमी उनसे अधिकार पूर्वक कह दे कि हां तुम इस बिजली से काम ले सकोगे और साथ ही अपने छोटे २ उद्योगों को भी बिजली से चला सकोगे, तो वह आप को सहर्ष हर तरह से सहायता करने को तत्पर हो जायेंगे। अभी पिछले दिनों डाक्टर काटजू मध्यभारत गये थे और उन्होंने यह कहा था कि मध्यभारत की चम्बल योजना पर जितना रुपया खर्च होने वाला है, उस चम्बल योजना की धन राशि में १० करोड़ रुपया यहां से कर्ज़ के रूप म लेंगे। मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर आप गांव वालों से यह कह दें कि उस बिजली का फायदा गांव वालों को मिलने वाला है. तो दस करोड़ क्या पचास करोड़ रुपया भी गांव वाले आप को दे देंगे, यह कोई कठन बात नहीं है, गांव के लोगों को एक बार पता लग जाना चाहिये कि यह वास्तव में उनके उपयोग और लाभ की चीज़ है। परन्तु अफसोस यह है कि इस तरह के पहलू से कोई विचार हमारे शासन द्वारा नहीं होता और अगर कोई बात कभी कही भी जाती है तो ऐसे एक गोलमाल तरीके से कही जाती है कि जिन से लोगों में ज़रूरी उत्साह नहीं पैदा होता और हमारी योजनाओं के प्रात लोगों में उत्साह न होने के कारण हमें सोचना पड़ता है कि इस पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिये हम रुपया कहां से लायें और हमें उसके लिये बड़े २ पूजीपतियों और कुबेर-पतियों का मुंह ताकना पड़ता है कि वह हमारी सहायता करें, ऐसे लोगों का मुंह ताकना पड़ता है जो न मालूम किस तरह से रुपया पैसा इकट्ठा करते हैं, यह मुनाफाखोर लोग होते हैं जो चोरबाज़ारी करके और इनकमटैक्स की चोरी करके रुपया इकट्ठा करते ह हम ऐसे लोगो के सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं और रुपये

के लिये उनसे याचना करते हैं। अभी हमारे प्रधान मंत्री ने पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये राष्ट्र से जो ऋण देने की अपील की है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रुपया इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है हां, एक बार लोगों में इसके लिये उत्साह पैदा हो जाने दीजिये, उत्साह हो जाय और लोग यह जान लें कि वास्तव में यह उन का काम है और उनके हित और फायदे के लिये होने वाला है तो यह रुपया सरकार को उनसे अवश्य मिल जायगा? सरकार का अमरीका या उन बड़े २ कुबेरपतियों से रुपये की सहायता की मांग करना मैं उचित नहीं समझता। मैं आप को बतलाऊं कि साधारण से साधारण व्यक्ति अगर उसमें आप उसके लिये उत्साह पैदा करें तो वह आपको रुपया ही नहीं देगा बल्कि अगर वह आपके साथ हो जाय तो आपको ३६ करोड़ लोगों का शारीरिक श्रम भी उपलब्ध हो सकेगा; श्रमशक्ति उन में कूट २ कर भरी हुई है और उन के श्रम से आप करोड़ों और अरबों रुपये का काम करवा लेंगे। चम्बल योजना के लिये सरकार कहती है कि उनको नहर निकालने के लिये काम करना है। मैं कहता हूं कि अगर सरकार यह ऐलान कर दे कि जिन इलाकों में यह नहर निकलनी है, उन गांव वालों की जिम्मेदारी है कि वह नहर निकाल दें तो मैं आप से कहता हूं कि जब आप उनको उनकी पंचायतों को विश्वास में लेंगे उनके अगुवाओं और पंचों को यह काम इंट्रस्ट करेंगे और उनको अपने विश्वास में ले लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अरबों और करोड़ों रुपये के काम वह आपके लिये सहज में कर देंगे। चेयरमैन महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सुझावों पर शासन विचार करेगा और उनको स्वीकार करने का प्रयत्न करेगा।

श्री बेली राम दास (बारपेटा): आसाम राज्य, जहां का मैं रहने वाला हूं बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और वहां विकास प्रयोजनों के लिए निधि की सदा कमी रही है। सब व्यापार, वाणिज्य और उद्योग विदेशियों के हाथ में हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को आसाम राज्य की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

आधुनिक सभ्यता में तेल, शान्ति और युद्ध दोनों कालों के लिए आवश्यक है। भारत में, आसाम में दिगबोई के स्थान पर तेल पाया जाता है। हाल ही म नाहरखोटिया में तेल पाया जाता है। नाहरखोटिया का पट्टा एक विदेशी समिति को देने के बारे में इस सदन को कोई जानकारी नहीं दी गई। मुझे समवाय के संचालकों में से एक से पता लगा है कि नाहरखोटिया का तेल क्षेत्र बहुत लाभप्रद है इसे थोड़े से अधिकार शुल्क पर पट्टे पर नहीं देना चाहिय था। स्वतंत्र हो जाने पर भी हम में वह साहस नहीं कि किसी यूरोपियन से समान शर्तों पर व्यापार विनिमय कर सकें। इस के अतिरिक्त, भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी उनके अनुग्रह शीघ्र मानने में अनुचित सहानुभूति दिखाते हैं। यह महत्वपुर्ण विषय है और नाहरखोटिया के पट्टा देते हुए कम से कम विधान विधायकों को विश्वास में लिया जाना चाहिये था।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने योजना आयोग की सिपारिश के अनुसार गारो पहाड़ियों में कोयले की खोज के लिए रेलवे बनाने की कार्यवाही की है। इससे बिहार और बंगाल

[श्री बेली राम दास]

के दूर प्रदेशों से कोयला न मंगाना पड़ेगा और आसाम में अन्य आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए माल के डिब्बों की कमी न रहेगी ।

इसके अतिरिक्त गारो की पहाड़ियों में गंधक बहुत मात्रा में मिलती है । योजना आयोग ने वहां गन्धक की विभिन्न रूपों में खोज करने की सिफारिश की है । मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि वह कोयले की खान खोदने के लिए इंजीनियर नियुक्त करे जो आसाम के कोयले के क्षेत्रों में कोयले की किस्म तथा मात्रा सम्बन्धी खोज कर सके ।

आसाम समाज विरोधी अंशों और ऐसी विचारधाराओं का प्रवेशद्वार है जो भारत की प्राचीन संस्कृति तथा परम्परा के विरुद्ध हैं । यदि आप सीमान्त एजंसी की आदिमजातियों की स्थिति को सुधार कर उन को स्वतंत्र भारत के नागरिक होने में हर्ष तथा गर्व अनुभव न करायें तो कितनी भी पुलिस अथवा सैनिक शक्ति उन्हें नहीं संभाल सकेगी ।

हम गत दो वर्ष से यह सुनते आ रहे हैं कि भारत सरकार ब्रह्मपुत्र को छोड़ अन्य सभी नदियों पर पुल बनाने का विचार कर रही है । युद्ध काल में ब्रह्मपुत्र पर पुल की जो रचना आरम्भ की गई थी, युद्ध पश्चात उसे बन्द कर दिया गया । यदि आप आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और सीमांत क्षेत्रों का विकास चाहते हैं तो ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है । मेरा अनुरोध है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसे सम्मिलित किया जाये ।

आसाम की वित्तीय स्थिति को लीजिये । आसाम में न तो कोई उद्योग है और न ही वाणिज्य । आसाम के पास चाय, पटसन और तेल है और भारत सरकार को ९ करोड़ रुपया उत्पादन शुल्क और निर्यात शुल्क के रूप में मिलता है । उस का राजस्व लगभग १०·८२ करोड़ रुपये का है । उस में प्रति वर्ष लगभग २ करोड़ रुपये का घाटा रहता है । संविधान के अनुच्छेद २७३ और २७५ (१) के अनुसार आसाम को ४० लाख रुपये का अंशदान दिया जाता है । परन्तु यह राशि वहां के स्वायत्तशासी ज़िलों के व्यय और राजस्व के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं ।

आसाम के वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक सम्बन्धी गत भाषण में यह स्पष्ट बताया है कि यह धारणा सर्वथा मिथ्या है कि स्वायत्तशासी ज़िलों के राजस्व और व्यय के बीच का अन्तर ४० लाख रुपये के अंशदान से पूरा हो जाता है । आसाम की स्थिति ऐसी है कि यदि भारत सरकार ने उसे अधिक अनुदान न दिया तो आसाम राज्य का कार्य संचालन ठीक प्रकार नहीं हो सकेगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि आसाम राज्य को कुछ और अनुदान दिये जायें । आयकर के बटवारे के संबंध में भी आसाम के मामले पर ठीक प्रकार से विचार नहीं किया गया । जनसंख्या के सिद्धांत का प्रयोग ठीक नहीं क्योंकि आसाम के बड़े अनुपजाऊ क्षेत्र में जन संख्या बहुत थोड़ी है ।

संचार के सम्बन्ध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं विभाजन पश्चात आसाम बाकी देश से कट गया है । रेलवे सारा माल ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं । नदी परिवहन एक विदेशी समवाय के हाथों में है जो उन स्थानों पर अत्यधिक भाडा

लगाता है जहां रेल के साथ उन की प्रतिस्पर्धा नहीं। मुझे आशा है कि सरकार इस समवाय का राष्ट्रीयकरण करेगी।

आसाम में "झूम" नाम की कृषि प्रणाली चलती है और इससे उपज इतनी कम है कि लोगों को कचालू आदि जड़ों पर गज़र करना पड़ता है। उस से गण्ड माला इत्यादि बीमारियां फैलती हैं। सरकार से मेरी प्रार्थना है कि वह पहाड़ों में सीढ़ीवार कृषि प्रणाली जारी करे।

कृषि की झूम प्रणाली से वृक्ष काटने के कारण मिट्टी का काटव होता है जिस से बाढ़ें आती हैं। इस लिए माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे आसाम राज्य में सीढ़ीवार प्रणाली द्वारा कृषि जारी करने के लिए विशेष अनुदान का उपबन्ध करें।

आसाम में आदिमजातियों की मुख्य फसलें संगतरे, केले और अनानास है। परन्तु उनके लिए अच्छे बाज़ार नहीं हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वे भारत के सब भागों, विशेषकर उत्तर भारत में इन वस्तुओं की बिक्री का प्रबन्ध करें।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि आसाम की इमारती लकड़ी की बिक्री नहीं होती। विभाजन पूर्व पाकिस्तान में अच्छी बिक्री होती थी। सरकार को इस की बिक्री का प्रबंध करना चाहिये। मुझे पता लगा है कि सरकार बर्मा से लकड़ी मंगाती है। इसकी बजाय उन्हें आसाम की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिये। इस से आसाम राज्य को और धनराशि कमाने में सहायता मिलेगी।

श्री झूलन सिन्हा (सारन उत्तर) : मैं वित्त विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कह देना चाहता हूं कि मैं विधेयक के अन्तर्निहित सिद्धान्तों को स्वीकार करता हूं।

मैं वित्त मंत्री की इस बात से सर्वथा सहमत हूं कि, सामान्य कर व्यवस्था में परिवर्तन से पूर्व कर जांच आयोग के निर्णयों की प्रतीक्षा की जानी चाहिये।

मैं उनकी इस बात का भी समर्थन करता हूं कि जब हमारा देश उपभोक्ताओं की वस्तुओं के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये संघर्ष कर रहा है तो हमें बहिःशुल्क पर अधिक निर्भर न रह कर उपभोग की वस्तुओं पर उत्पादन-शुल्क लगाने की ओर ध्यान देना चाहिये।

परन्तु मैं जूतों पर लगाये गये शुल्कों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। वित्त मंत्री ने बहुत उदारतापूर्वक इस शुल्क में कुछ रियायतें दी हैं, परन्तु उन रियायतों से कुछ नहीं बनता। मैं यह अनुभव करता हूं कि जब तक यह देश ग्राम तथा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन नहीं देता, बेकारी की समस्या का हल नहीं हो सकता। कुटीर उद्योग जिन क्षेत्रों में विकसित हो रहा है उन्हीं क्षेत्रों में इस की पूर्ण सहायता की आवश्यकता है। आजकल एक प्रदर्शनी आरम्भ हुई है और उन्होंने एक पुस्तिका छापी है जिसका नाम 'पूरे रोज़गार की योजना' है। उसे पढ़ कर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि केवल बड़े उद्योगों द्वारा बेरोज़गारी की समस्या हल नहीं हो सकती। बड़े उद्योगों के लिए पहले तो सब आवश्यक मशीनों को आयात नहीं किया जा सकता। दूसरे यदि हमें मशीनों के लिए धन भी मिल जाये तो हम सब भूख से पीड़ित लोगों को रोज़गार नहीं दे सकेंगे। इस लिए मशीनें आयात करने

[श्री झूलन सिन्हा]

की बजाय हमें देश में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर रहना होगा । इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझ सका कि जूतों पर रियायतों सहित भी कर क्यों लगाया गया है । वित्त विधेयक में कहा गया है कि कारखाना आधनियम १९४८ की परिभाषा के अनुसार कारखानों में बनाये गये जूतों पर कर लगाया जायेगा । जहां तक कारखाने की परिभाषा कारखाना अधिनिमम १९४८ के खण्ड २ उपखण्ड (ड) में यह दी गई है कि जहां १० या अधिक श्रमिक कार्य करते रहे हों और जहां निर्माण कार्य विद्युत की सहायता से किया जाए इत्यादि, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं । परन्तु कारखाने की परिभाषा में यह भी कहा गया है कि जहां २० या अधिक श्रमिक कार्य करते हों या करते रहे हों और वहां विद्युत की सहायता के बिना ही निर्माणकार्य होता हो इत्यादि । इस का यह अभिप्राय हुआ कि यदि जूता बनाने वालों का एक समाज हो तो वित्त विधेयक के अधीन यह कर उन पर भी लागू होगा । यह बात उचित नहीं ।

प्रायः सभी यह जानते हैं कि इस देश के ग्रामीण क्षेत्र पर अत्यधिक ऋण भार है । बैंकिंग जांच आयोग इस समस्या की जांच करने के लिए १९३१-३२ में नियुक्त गया था । वह इस परिणाम पर पहुंचा था कि देश में ऋण भार लगभग ५० रुपये प्रति व्यक्ति है । तत्पश्चात् देश को ऋण भार से मुक्त करने के लिए कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया । मैं समझता हूं कि इस देश की सर्वप्रथम आवश्यकता ऋणभार की पूरी स्थिति को समझना है । देश के लोगों में इस योजना, आने वाली योजना अथवा अन्य किसी वस्तु के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाई देता । कारण यही है कि वे ऋण से दबे हुए हैं । इस लिए वित्त मंत्री से मेरा यह निवेदन है कि वे इस की पूरी जांच करवायें और ऋणभार समाप्त करने के लिए कार्यवाही करें । यद्यपि यह एक राज्य विषय है, यह इतनी विशाल और गहन समस्या है कि केन्द्रीय सरकार को ऋण-भार कम करने के लिए अथवा पीड़ित व्यक्तियों को तुरन्त सहायता देने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करनी चाहिये ।

पशुधन की समस्या के सम्बन्ध में मैं जानता हूं कि केन्द्रीय गोसंवर्द्धन समिति गवेषणा कार्य कर रही है । परन्तु मैं जहां तक समझता हूं इस सारी योजना में एक महत्वपूर्ण बात की आवश्यकता है । वह यह है कि गोवध सर्वथा बन्द हो जाना चाहिये । जब तक गौ की रक्षा नहीं होगी जिसका हम दूध पीते हैं, इस देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता ।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान वनस्पति के घातक प्रभाव की ओर दिलाना चाहता हूं : निस्संदेह इस पर कर द्वारा राजकोष में ४ करोड़ रुपये की वृद्धि होती है, परन्तु मैं नहीं जानता कि इस के घातक प्रभाव के फलस्वरूप लोगों को उपचार पर कितना व्यय करना पड़ता है । इस सम्बन्ध में भले ही मतभेद हो परन्तु इस द्वारा असली घी में मिलावट बहुत सुगमता से हो जाती है । इस लिए इस समस्या को, वनस्पति को रंग देने अथवा इस पर इतना कर लगा देने से सुलझाया जा सकता है कि इस का मूल्य बाज़ार में असली घी के समान हो जाये ।

मेरा यह सदा विचार रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में ऐसी परियोजनायें होनी चाहिये थीं जो शीघ्र और सुगमता से पूरी हो सकतीं । किसी कारणवश इस सिद्धान्त को ध्यान म नहीं रखा गया । मुझे योजना आयोग से यह भी शिकायत है कि उन्होंने गंडक परियोजना को न आरम्भ करके बिहार के लोगों के हितों की अवहेलना की है ।

७ म० प०

बिहार के प्रति सौतेली मां का सा व्यवहार किया जा रहा है । बिहार को लघु बचत के अधीन रुपया एकत्र करने की अनुज्ञा दी गई है । परन्तु यह अनुज्ञा राज्य के लिए निश्चित लक्ष्य के अतिरिक्त संग्रह के लिए ही है । मैं एक उदाहरण जानता हूं जिस में केन्द्र ने एक राज्य को विकास कार्यों के लिए सारी संग्रहीत पूंजी दे दी थी और मैं समझता हूं कि बिहार के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिये था ।

गंडक परियोजना पर लगभग ३०,३१ करोड़ रुपया व्यय होगा और उससे इस राज्य, नेपाल और उत्तर प्रदेश की ३९ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी । इस से यह निर्धारित होता है कि इस परियोजना से प्रति एकड़ भूमि की सिंचाई अति न्यून मूल्य पर होगी और विद्युत उत्पादन की लागत भी अतिन्यून होगी । यदि केन्द्रीय सरकार उदारतापूर्वक इस राज्य की सारी संग्रहीत पूंजी लेने दे तो इन योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है ।

इस के अतिरिक्त मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि योजना बनाते समय देश के निर्धन लोगों के हितों का निरन्तर ध्याना रखना चाहिये ।

सभापति महोदय : सभा कल सवा साठ बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इस के पश्चात् सभा मंगलवार २० अप्रैल १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई :

GIPD—HS—100 PSD—23-9-54—000